Tuesday, 23 November, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Parliament Library
19-6-92
26.11.83

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14—मंगलवार, 23 नवम्बर, 1965/2 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 14—Tuesday, November 23, 1965/Agrahayana 2, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
386	देहाती क्षेत्रों में ग्रामोद्योग	Village Industries in Rural Areas	1212–14
387	राशन व्यवस्था	Rationing	1215–21
388	पशु तथा डेरी विकास	Cattle and Dairy Development .	1221–24
389	गोंडा संसदीय चुनाव	Gonda Parliamentary Elections .	1224–26
390	विधानमंडलों तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद	Jurisdictional Conflict between Legislatures & Judiciary .	1227–29

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
391	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें	D. T. U. Buses	1229
392	सहकारी डेरी फार्म	Cooperative Dairy Farms . .	1229
393	किसानों से सीधा खाद्यान्न का समाहार	Procurement of Food grains directly from Farmers . . .	1230
394	बिहार में राशन व्यवस्था	Rationing in Bihar	1230–31
395	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	I. C. A. O.	1231
396	कृषि-मूल्य नीति	Farm Price Policy	1231
397	अन्तर्राज्य परिवहन आयोग	Inter-State Transport Commission	1231–32
398	वनों का विकास	Development of Forests . .	1233
399	बंगाल आसाम स्टीमर सेवा	Bengal Assam Steamer Service .	1233
400	सहकारी खेती सम्बन्धी समिति	Committee on Co-operative Farming	1233–34
401	कृषि-मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission	1234
402	दूध का भाव	Milk Prices	1234
403	उवरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers . .	1234–35
404	पाकिस्तान को चावल और डिब्बे के दूध की तस्करी	Smuggling of Rice and Tinned Milk into Pakistan . .	1235

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—4 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
405	आयातित गेहूं का दाम	Price of Imported Wheat . .	1235–36
406	चने का भाव	Price of Gram	1236
407	चीनी जांच आयोग	Sugar Inquiry Commission .	1236–37
408	खाद्यान्नों का उत्पादन	Foodgrains Productions .	1237
409	चीनी की उत्पादन-लागत	Production Cost of Sugar . .	1237
410	कृषि उत्पादन मात्रा	Agricultural Growth Rate . .	1238
411	खाद्य स्थिति	Food Situation	1238
412	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the I. A. C. .	1238–39
413	देश में सूखा की स्थिति	Draught conditions in the Country	1239
414	राष्ट्रीय खाद्य वितरण योजना	National Food Distribution Scheme	1240
415	अमरीकी सहायता से खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता की प्राप्ति	Attainment of Self-sufficiency in Food by U.S. Aid . . .	1240
अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1091	हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी	Harijan, Adivasi and Backward Class Students . . .	1240–41
1092	मैक्सिको का गेहूं	Mexican Wheat . . .	1241
1093	मछली पकड़ने के जाल बनाने का कारखाना	Fishing Net Factory . . .	1241
1094	केरल में हरिजनों का बसाया जाना	Rehabilitation of Harijans in Kerala	1242
1095	बालीपट्ट सड़क पुल	Balipatta Road Bridge . .	1242
1096	काली मिर्च की खेती	Cultivation of Pepper . .	1242–43
1097	केरल के वन	Forests of Kerala . . .	1243
1098	बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय बस सेवा	Bahadurgarh Central Secretariat Bus Service	1243
1099	उप-चुनाव	Bye-elections	1244
1100	किसानों की संस्थाओं को सहायता	Aid to Institutions of Farmers .	1244–45
1101	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains .	1245–46
1102	खेती वाली भूमि	Acreage under Cultivation .	1246
1104	केरल में काक्कोटी-पूनूर सड़क	Kokkoti-Poonoor Road in Kerala	1246–47
1105	सपरेटा पाउडर का आयात	Import of Skimmed Milk Powder	1247
1107	हुमायूं मकबरा, दिल्ली के निकट जमुना पुल का निर्माण	Construction of Jamuna Bridge, Humayun's Tomb, Delhi .	1247–48
1108	सीमा क्षेत्रों की परिवहन सम्बन्धी समस्यायें	Transport Problems of Border Areas	1248

अ०ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1109	चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sugar Factories	1249
1110	आपातकाल में निजी मोटरगाड़ी मालिकों का सहयोग	Cooperation from Private Transport Operators during Emergency	1249
1111	कृषि उत्पादन	Agricultural Production . .	1250–51
1112	उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखे	Accounts of U. P. Khadi and and Villages Industries Board	1251
1113	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध का गुण-प्रकार	Quality of Milk Supplied by D. M. S.	1251
1114	माल भाड़ा दर	Freight Rates	1251–52
1115	एयर इंडिया टर्मिनल बिल्डिंग, बम्बई	Air India Terminal Building, Bombay	1252
1116	गैर-सरकारी जहाज कम्पनियों के पुराने जहाज	Old Vessels with Private Liners	1252
1117	ग्राम समाज में प्रचार	Publicity in Village Communities	1253
1118	पर्यटन से आय	Earnings from Tourism . .	1253
1119	मसूर में मछली पकड़ने का उद्योग	Fishing Industry in Mysore .	1253–54
1120	भारत कृषक समाज	Bharat Krishik Samaj . .	1254
1121	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors . . .	1254
1122	चीनी का अभ्यंश	Quota of Sugar . . .	1255
1123	पंजाब में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Punjab .	1256
1124	हल्दिया में सूखी गोदी	Dry Dock at Haldia . .	1256–57
1125	पर्यटन	Tourism	1257
1126	बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक होटल	International Tourist Hotel at Bangalore	1257
1127	नकदी तथा खाद्य फसलों के दाम	Prices of Cash and Food Crops .	1258
1128	सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म में रबी की फसल	Rabi Crop in Mechanised Farm at Suratgarh	1258
1129	केरल में राशन का अभ्यंश	Ration Quota in Kerala . .	1258
1130	मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Mysore	1259
1131	गोहाटी में भर्ती केन्द्र	Recruitment Centre at Gauhati	1259
1132	केरल में बोलगट्टी महल का पट्टा	Lease of Bolgatty Palace in Kerala	1260
1133	विशाखापटनम पत्तन	Visakhapatnam Port . . .	1260
1134	मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Madhya Pradesh	1260–61
1135	मैसूर में दुर्भिक्ष	Scarcity Conditions in Mysore .	1261
1136	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Airport . . .	1261–62

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1137	उत्तर प्रदेश को रबी की फसल के लिये ऋण	Loan to U.P. for Rabi Crop	1262
1138	गोमती नदी पर पुल	Bridge Across Gomti . .	1262–63
1139	अनाज का आयात	Import of Foodgrains . .	1263
1140	मतों की गिनती	Counting of Votes . . .	1263
1141	गांवों में सामाजिक सुरक्षा योजनायें	Social Security Schemes in Villages.	1264
1142	बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Waste Lands .	1264
1143	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas .	1264–65
1144	हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम	Hindu Succession Act . .	1265
1145	पंजाब में डरी फार्म	Dairy Farms in Punjab . .	1265
1146	देसी गेहूं का संभरण	Supply of Indigenous Wheat .	1265
1147	कपास	Raw Cotton	1265–66
1148	उत्तर प्रदेश को उर्वरक का दिया जाना	Supply of Fertilizers to U. P. .	1266
1149	उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Denotified tribes in Orissa	1266
1150	उर्वरक का जमा हो जाना	Accumulation of Fertilizers .	1267
1151	उड़ीसा में भाण्डागार	Warehouses in Orissa . .	1267
1152	मुगल-लाइन लिमिटेड, बम्बई के निदेशक	Director of Mughul Line Limited, Bombay . . .	1267–68
1153	बरेली-अमीनगांव सड़क पर पुल	Bridges on Bareilly-Amingaon Road	1268
1154	बीजों का उत्पादन	Production of Seeds . . .	1268–69
1155	वन विकास	Development of Forests . .	1269
1156	आन्ध्र प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Andhra Pradesh . . .	1269–70
1157	बकरी पालन	Rearing of Goats . . .	1270
1158	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	Employees Provident Fund Act .	1271–72
1159	कृषि उत्पादन	Agricultural Production . .	1272
1160	केरल सड़क परिवहन निगम	Kerala Road Transport Corporation	1272
1161	सरकारी क्षेत्र में चावल की मिलें	Rice Mills in Public Sector .	1273
1162	अगरतला-आसाम सड़क	Agartala Assam Road . .	1273
1163	कलकत्ता-अगरतला भारवाही सेवा	Calcutta Agartala Freighter Service	1273–74
1164	त्रिपुरा की सड़कें	Roads in Tripura . .	1274
1166	चेलारी हवाई अड्डा	Chelari Aerodrome . . .	1274

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1167	केरल में गैर-सरकारी वन	Private Forests in Kerla	1274–75
1168	दुग्ध संयंत्र	Milk Plant . .	1275
1169	मध्य प्रदेश में "फ्लाइंग क्लब"	Flying Clubs in M.P. .	1275–76
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
	हिन्द महासागर में ब्रिटेन द्वारा सैनिक अड्डों की स्थापना—	Establishment of Military bases in Indian Ocean by U. K.—	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	1276
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	1276–77
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में—(प्रश्न)	Re: Calling Attention notice—(Query).	1277–79
	राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	1279
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	Banaras Hindu University (Amendment)—	
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Bill Laid on the Table, as passed by Rajya Sabha . .	1279
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Question of Privilege .	1280
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1280–82
	नियम समिति—	Rules Committee—	
	पहला प्रतिवेदन	First Report . .	1282
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
	बारहवां प्रतिवेदन	Twelfth Report	1282
	एकस्व विधेयक—	Patents Bill—	
	संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee—	
	श्री श्रीनारायण दास	Shri Sree Narain Das	1282–83
	श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	1283–84
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	1284–85
	श्री छ० म० केदारिया	Shri C. M. Kedaria	1285–86
	श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh .	1286
	श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	1287
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	1287–88
	डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney .	1288
	श्री दीवान चन्द शर्मा	Shri D. C. Sharma .	1288–90
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	1290–91

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : Annual Report of Life Insurance Corporation of India—	
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	1291–94
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti	1294
श्री क० न० तिवारी	Shri K. N. Tiwary . .	1294
श्री प्रभात कार	Shri Prabhat Kar	1295
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . .	1295–96
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf .	1296–97
श्री शिंकरे	Shri Shinkre .	1297–98
श्री उ० म० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	1298–99
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . . .	1299
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1299–1300
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	1300–01
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Situation arising out of the Strike by the Sudents of the Banaras Hindu University—	
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla .	1301–02

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 नवम्बर, 1965/2 अग्रहायण, 1887 (शक)
Tuesday, November 23, 1965/Agrahayana 2, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री किरई मुसहर के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है। उन का 18 अगस्त 1965 को जिला सहरसा के मुरहु स्थान पर देहान्त हो गया था। वह 1953 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य थे।

हमें इस मित्र के निधन पर बड़ा दुख हुआ है और मुझे विश्वास है कि सभा संतप्त परिवार को समवेदना भेजने के लिये मेरे साथ सहमत होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) **:** Mr. Speaker, Sir, you can very well imagine the pangs and agonies and the past memories on the death of an intimate friend. I would only like to narrate to the House that when Shri Kirai Rishidev was elected he took his seat on the floor instead of on the berth in the railway compartment during his first travel. He hailed from such a class. But later on he gained self-respect and strength and I have rarely seen staunch socialists, like him whom we may call as born Socialists. I therefore, submit that in spite of number of short comings in India, it has been a matter of pleasure that downtrodden people, Harijans, Adivasis, backward classes and women etc. have gradually attained fearlessness and self-respect during the last eighteen years.

In the end I express my sorrow for his pre-mature and untimely death which has been caused for want of certain circumstances beyond our control and as such we have lost a very intimate friend.

अध्यक्ष महोदय : सभा के सभी सदस्य अपना शोक व्यक्त करने के लिये कुछ क्षण मौन खड़े हों।

तब सभी सदस्य कुछ समय के लिये मौन खडे हुए।

Mr. Speaker : I would like to mention to the House that all members are equal as Shri Lohia has said, and that we do not want to make any discrimination in them.

We are really happy to learn that a man belonging to such a place and status was elected to this House and he earned a name and place for him by his good

work. But the real question was that we were not informed when he expired and a long time elapsed. Here the Speaker makes a reference so that Members may pay their homage by standing for a while and it is done in all cases which come to our knowledge. All members are equal in this House. There is no record or register showing the deaths of Members and we are also not in communication with the ex-Members. In such a case if any of the hon. Member comes to know about the death of an ex-Member, I shall request the hon. Member to inform the House about the same so that obituary reference could be made in the House immediately. But it looks awkward to make reference after the lapse of three or four months.

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to make the position clear. We ourselves got this information very late otherwise it could have conveyed to you earlier. As far instance, his name was 'Rishidev' but he was called 'Mushar'.

Mr. Speaker : It is not necessary to make a reference after such a long time. It does not sound well after three or four months.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) **:** Mr. Speaker, Sir, I would like to make a suggestion. A letter may be addressed to every District Magistrate requesting him to intimate immediately the death of an ex-Member in the area.

Mr. Speaker : There are so many ex-Members of the Constituent Assembly about whom it would not be possible to say any thing.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Village Industries in Rural Areas

***386. Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish more industries in the rural areas to improve the economic conditions of the villagers;

(b) whether Government also propose to provide all the facilities for the development of industries in villages; and

(c) if so, the details thereof ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) : सरकार वित्तीय, तकनीकी, प्रशिक्षण सम्बन्धी, बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी तथा साधारण सेवाएं इत्यादि सुविधायें देगी ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government have collected statistics regarding per-capita income in each district of the State and have concluded thereby that the wide disparity in income is due to the fact that for the last two hundred years, *i.e.* from the beginning of the English regime to date—investments are made only on big cities like Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and that no proper arrangements have since been made for the development of villages?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि नगर और ग्राम की आय में बहुत फर्क है परन्तु ग्रामों में उद्योगों की स्थापना, भूमि, पानी, विद्युत्, बाजार का निकट होना तथा संचार की सुविधाओं आदि कई बातों पर निर्भर रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमारे पास ग्रामीण आय के आंकड़े हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : इस बात का हमारे विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : When the projects like Damodar Valley, Sharavati, Koyani etc. were started it was said that the electricity produced by them would be used for the development of rural areas. I would like to know the percentage of electricity, produced by all such projects and consumed by factories located in big cities like Calcutta, Bombay etc. and by the cottage industries in villages?

श्री जगन्नाथ राव : यह विभाग ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा उद्योगो से सम्बन्धित है । छोटे पमाने के तथा बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने का कार्य उद्योग मन्त्रालय करता है । इस लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि जब कोई जल विद्युत् परियोजना तैयार हो जाती है तब वह अगले दिन ही काम करना शुरू कर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : जबकि मन्त्रालय ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है और खासकर उसे ही यह काम सौंपा गया है, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के अधिक प्रयास किये जायें और वहां पर उद्योग भी स्थापित किये जायें ।

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा ही किया जा रहा है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने गत दो योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च की गई धन राशि का मूल्यांकन किया है और क्या सरकार यह बता सकती है कि उस में से कितनी राशि का ठीक ढंग से प्रयोग किया गया और कितनी राशि का अपव्यय हुआ है ?

श्री जगन्नाथ राव : ग्रामीण उद्योगों का काम पहले आरम्भ नहीं किया गया था । हाल ही में योजना आयोग ने 45 परियोजनायें आरम्भ की हैं । इतनी जल्दी उन की प्रगति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

Shri Bagri : Are the Government aware that Agriculture and Industry are the only two methods by which we can uplift the rural people ?

The large scale industries have been particularly shifted from rural areas to big cities and the small scale industries have not been supplied the power for want of profit. Will the Government be pleased to state the figures regarding the ratio between the difference in the quantities of electricity supplied to the industries in rural and urban areas?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री ओझा : क्या सरकार का विचार कृषि-अर्थव्यवस्था पर या किसी दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है ?

श्री जगन्नाथ राव : किसी भी उद्योग को जिस का भविष्य ग्रामीण क्षेत्र से जुडा हुआ है, प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : जहां तक मैं समझता हुं देश के बहुत से भागों में ग्रामीण उद्योग परियोजना नाम की एक योजना है । वास्तव में मेरा जिला भी इस योजना में शामिल है । क्या यह मन्त्रालय खासकर इस ग्रामीण उद्योग परियोजना से सम्बन्ध रखता है और यदि हां तो इस परियोजना में अब तक क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : इस परियोजना का सम्बन्ध उद्योग मन्त्रालय से है । हमारा उस से सम्बन्ध नहीं है । इस विभाग का सम्बन्ध केवल ग्रामीण उद्योगों से है ।

श्री वासुदेवन नायर : यह कसे हो सकता है कि यह मन्त्रालय ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित है और उद्योग मन्त्रालय भी ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्ध रखता है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह विभाग लघु उद्योगों से सम्बन्ध नही रखता । इस का सम्बन्ध उद्योग मन्त्रालय से है । इस विभाग का सम्बन्ध हथकरधा उद्योग जैसे कुटीर उद्योगों से ही है।

Shri Braj Behari Mehrotra : Will the Government make provision for the supply of cheap electricity to village industries and for their protection against the large scale industries?

श्री जगन्नाथ राव : हम सहायता के रूप में उन उद्योगों को संरक्षण देते हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ग्रामों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये अपनी कृषि सम्बन्धी नीति पर पुन: विचार करेगी ताकि खेतों की अलाभप्रद उच्चतम सीमा समाप्त की जा सके ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए योग्य नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार भी कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है ?

Shri M. L. Dwivedi : I want to draw your attention to part (c) of this question. It has been said there 'If so, the details thereof'. The hon. Minister has not replied to this part of the question. I would like to know why the details have not been given when one month's notice was given for this question. Will the hon. Minister be pleased to state now ?

श्री जगन्नाथ राव : ब्यौरा दिया गया है । सरकार वित्तीय, तकनीकी, प्रशिक्षण बिक्री संबंधी और दूसरी सुविधायें देगी ।

श्री म० ला० द्विवदी : यह ब्यौरा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि ब्यौरा यही है । माननीय सदस्य कहते हैं कि यह ब्यौरा नहीं है । मैं क्या कर सकता हूं ?

Shri Sinhasan Singh : May I know whether the Government have issued instructions to the Department of Industry and other connected departments on behalf of this department to bring at par the rates of electricity supplied to large scale industries, big mills and that supplied to cottage industries, small scale industries and sugar industry because there is a wide disparity in them. Have any steps been taken in this direction ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझ सूचना चाहिये ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Before the English regime there were salt, nitre, indigo industries in the Hariana area. They were crushed during the English regime. May I know whether the Government will consider to restart these industries to uplift the villages?

Mr. Speaker : It is a very good suggestion.

राशन व्यवस्था

*387. श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री काजरोलकर :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० बरूआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन किन शहरों में राशन व्यवस्था लागू की गयी है ;

(ख) प्रति यूनिट प्रति दिन कितना खाद्यान्न दिया जाता है ;

(ग) क्या देश के लिये खाद्य बजट तैयार कर लिया गया है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) किन राज्यों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है । तथा किन राज्यों में कमी रहती है तथा यथास्थिति कितना खाद्यान्न बच जाता है और कितनी कमी रहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता, मद्रास और क्योम्बत्तूर में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू की जा चुकी है ।

(ख) राशन पर दी जाने वाली मात्रा साप्ताहिक आधार पर निर्धारित की गयी है और कलकत्ता में 1900 ग्राम प्रति प्रौढ़ प्रति सप्ताह और मद्रास तथा क्योम्बत्तूर में 2,000 ग्राम प्रति प्रौढ़ प्रति सप्ताह ।

(ग) और (घ) : देश के लिये एक खाद्य बजट तैयार किया जा रहा है । राज्यों के अधिशेषों तथा कमियों का अनुमान लगाया जा रहा है ।

श्री श्रीनारायण दास : यदि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में राशन व्यवस्था लागू की जानी है तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों संबंधी अपनी-अपनी आवश्यकता के बारे में सूचना दे दी है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सर्वप्रथम राशन व्यवस्था को 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में लागू किया जायेगा । प्रत्येक प्रौढ़ को सप्ताह में दो किलोग्राम राशन दिया जायेगा ।

श्री रंगा : कितने औंस होंगे ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने जो बताया है उस के आधार पर इस का हिसाब लगया जा सकता है ।

श्री श्रीनारायण दास : यदि सभी नगरों में राशन व्यवस्था लागू करनी है तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से अपेक्षित मात्रा में अनाज की मांग की है । यदि हां, तो उन्होंने कितना कितना अनाज मांगा है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं ने अभी भाग (ग) और (घ) के उत्तर में बताया है कि देश के लिये अनाज का बजट अभी तैयार किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में फालतू अनाज और उसकी कमी का अनुमान लगाया जा रहा है । जब तक यह अनुमान नही लगा लिया जाता कि कमी वाले राज्यों को कितने अनाज की आवश्यकता है और कितना अनाज फालतू होगा, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि कितना अनाज दूसरे देशों से आयात किया जायेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : श्रीमान् हमें इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने में कुछ कठिनाई है । मख्य प्रश्न में नगरों के बारे में सूचना पूछी गई थी और माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में केवल तीन नगरों का उल्लेख किया है । परन्तु आप जानते हैं कि हमारे देश में कानूनी राशन व्यवस्था लागू की गई है और हमारे यहां भी कुछ ऐसे नगर हैं । मैं नही जानता कि माननीय मंत्री उन को नगर समझते हैं या नहीं । कोयम्बटूर और त्रिवेन्द्रम भी नगर हैं । वहां पर नगर निगम भी हैं । कालीकट एक दूसरा नगर है । वहां भी नगर निगम हैं । माननीय मंत्री ने उन के बारे में कुछ नहीं बताया है । जबकि उन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है हम अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जो जानकारी दी गई है, हो सकता है वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के बारे में हो ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रश्न नगरों के बारे में है । यह सच है कि केरल में 24 अक्टूबर 1965 से अनौपचारिक राशन व्यवस्था के स्थान पर कानूनी राशन व्यवस्था कर दी गई है । चूंकि प्रश्न केवल नगरों के बारे मे पूछा गया था इस लिये उत्तर तीन नगरों के बारे में दिया गया है । केरल में 24 अक्टूबर 1965 से कानूनी राशन व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक प्रौढ़ को 160 ग्राम चावल और 120 ग्राम गेहूं प्रति दिन के हिसाब से राशन दिया जाता है और बच्चों को प्रतिदिन इससे आधी मात्रा में राशन दिया जाता है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिये कोटा नियत करते समय कोयले की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की, जो बहुत कठिन और मेहनत का कार्य करते हैं, आवश्यक मांगों पर विचार किया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैं ने अभी बताया है एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों और उन सब स्थानों को जहां उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का जमाव है ध्यान में रखा जायेगा । जहां तक उल्लिखित नगरों का सम्बन्ध है, यदि मेरे माननीय मित्र राशन के पमाने को देखें तो उन को मालूम होगा कि शारीरिक परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को कुछ अधिक मात्रा में राशन दिया जाता है ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the attention of the hon. minister has been drawn to Hindi forms distributed in Delhi wherein 'death' (मरण) 'Department has been written in place of 'Supply' Department and the information required relates to the dead persons and their families? If that is so by what time it would be corrected?

डा० दा० रा० चव्हाण : इस के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कलकत्ते में 1900 ग्राम प्रति सप्ताह के हिसाब से राशन दिया जाता है जबकि मद्रास में और कोयम्बटूर में यह मात्रा 2000 ग्राम प्रति सप्ताह है। केरल में इसके आकड़े कुछ भिन्न हैं। जहां तक राशन व्यवस्था का सम्बन्ध है, अलग-अलग नगरों में अलग अलग राशन की मात्रा नियत किये जाने के क्या कारण है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में सचाई यह है कि राशन की जो अतिरिक्त मात्रा दी जाती हैं वह गेहूं के रूप में दी जाती है और बहुत से लोग गेहूं स्वीकार नहीं करते क्योंकि मद्रास का मुख्य भोजन चावल है। चूंकि बहुत से मामलों में गेंहु को जोड़ दिया गया है इसलिए वे कुछ अधिक उदार हो सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकारों ने कोटा नियत किया है।

श्री वासुदेवन नायर : चावल के राशन में भिन्नता के क्या कारण हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : चावल के राशन को सप्लाई के आधार पर नियत किया जाता है। इस को राज्य सरकारों ने नियत किया है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह उत्तरदायित्व की बात नहीं है। मात्रा राज्य सरकारों ने नियत की हैं और इसे केन्द्र सरकार ने मान लिया हैं।

श्री सुबोध हंसदा : जिन नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था की गई है, क्या वहां राशन कार्डों का वर्गीकरण किया गया हैं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हू कि जब आप समाजवाद की बातें करते हैं तो नगरों में यह कार्डो का वर्गीकरण क्यों किया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं ठीक ढंग से प्रश्न नही समझ सका हूं परन्तु यदि माननीय सदस्य ने राशन कार्डों का उल्लेख किया है तो मैं बताना चाहता हूं कि राशन कार्डों के आधार पर ही राशन का वितरण किया जायेगा।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय, जब मात्रा ग्रामों में बताई जाती है तो उसे समझना मेरे लिये कठिन हो जाता है। मैं इस मात्रा को औन्सों में जानना चाहता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाद्य तथा कृषि संगठन तथा अन्य आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक मजदूर को 16 औंस राशन दिया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह मात्रा उसकी तुलना में कितनी है ? यदि यह मात्रा प्रति दिन प्रति प्रौढ़ 16 औंसों से बहुत कम है, तो सरकार यह कैसे आशा कर सकती है कि वे अपना आहार पूरा कर सकते हैं ? क्या राशन व्यवस्था के साथ साथ वे वस्तुयें खुले बाजार में भी मिल सकती हैं ताकि लोग वहां से उन्हें खरीद सकें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ग्रामों में मात्रा को समझाने में मैं माननीय मित्र की कठिनाई को अच्छी तरह समझता हूं। यह मात्रा प्रति तोला 10 और 11 ग्रामों के बीच बैठती है। जहां तक मज़दूरों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने इस ओर अच्छी तरह ध्यान दिया है और वे ऐसे उपाय ढूंढ रही हैं जिनके अनुसार वे उनको अधिक राशन दे सकें।

श्री रंगा : क्या कुछ राशन खुले बाजार से लिया जा सकता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे विचार से खुले बाजार का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। मजदूरों को अतिरिक्त राशन देने के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों ने बातचीत की है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि राशन व्यवस्था लागू करने से पहले शहरों या उनके इर्दगिर्द अनाज का कितना स्टॉक जमा हैं ? यह स्टॉक कितने महीनों के लिये रखा जाता है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : राशन की मांग पूरी करने के लिये कम से कम एक या डेढ़ महीने का राशन रखा जाता है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the attention of Government has been drawn to the fact that in rural areas not even a grain of food grains is available and lakhs of acres of land have remained uncultivated because the seeds were not available? In this connection, may I know what steps have been taken for introducing rationing in these areas where neither seeds nor foodstuffs are available?

श्री दा० रा० चव्हाण : शहरी लोग देहातों से भारी मात्रा में अनाज खरीद लेते हैं। अब शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू की जायेगी। वहां राशन व्यवस्था इसी लिये लागू की जा रही है कि वे देहातों से अनाज न खरीद सकें। तब देहातों में कुछ अनाज मिल सकेगा क्योंकि वह वहीं पैदा होता है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या सभी शहरों में राशन का एक सा मापदंड होगा या भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : फिलहाल भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न राशन दिया जा रहा है।

श्री वासुदेवन नायर : इसी से कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी हां। मैं इसे समझता हूं। मैं इस प्रश्न के गुणदोषों का विवेचन नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल तथ्य बता रहा हूं। राशन की मात्रा प्रत्येक राज्य में भिन्न है और दिन, सप्ताह तथा महीने की राशन की मात्रा में भी अन्तर है। अभी राशन में समानता लाना कठिन है। ऐसा बाद में किया जा सकता है।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे राज्यों में, जो अपने लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा कर लेते हैं, देशी अनाज राशन में देने का विचार कर रही है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वर्तमान परिस्थितियों में, तीन या चार राज्यों में--जो आत्मनिर्भर हैं--अतिरिक्त अनाज देना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न समझा नहीं गया है और इस लिये उसका ठीक उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : उनके सभी प्रश्न समझने में कठिन होते हैं।

श्री कपूर सिंह : मैं अपने प्रश्न की व्याख्या करता हूं। उदाहरण के तौर पर आप पंजाब से गेहूं लेते हैं और उसके स्थान पर अमरीकी गेहूं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक ठीक समझ नहीं पाया। परन्तु ऐसे क्षेत्रों में जो आत्मनिर्भर हैं, वहां सप्लाई भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों से जो आवश्यकता से कम गेहूं पैदा करते हैं कुछ गेहूं ले लिया जाय तो उसके बदले में उन्हें किसी दूसरी किस्म का गेहूं देने के लिये कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ती है।

श्री वारियर : माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में राशन का कोटा अलग-अलग है, क्या कारण है कि केन्द्र ने यह निर्णय कर लिया है कि जहां उनका उत्तरदायित्व हैं वे वहां पर लगभग 6 औंस चावल का राशन देने की ही जिम्मेदारी लेंगे ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं आप का प्रश्न समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह केरल की बात कर रहे हैं । वह यह पूछ रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह उत्तरदायित्व अपने उपर ले लिया है कि राशन केवल 6 औंस होगा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : केरल का प्रश्न बहुत विचित्र है । केन्द्र ने कमी पूरी करने का उत्तर-दायित्व अपने उपर ले लिया है । राशन व्यवस्था का संपूर्ण प्रश्न स्टॉक की उपलब्धि पर निर्भर करता है । बात यह है कि चावल की कमी गेहूं से पूरी की जाती है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : The hon. Minister has just now said that a plan is being worked out in connection with States' demands for foodgrains. May I know the time by which this plan will be formulated and a decision taken thereon by Government?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का प्रश्न है, सब से पहले यह अनाज की उपलब्धि पर निर्भर होगा; परन्तु यह निर्णय किया गया है कि जहां तक संभव हो 1 जनवरी, 1966 के आस पास के दस लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों में राशन व्यवस्था लागू कर दी जाये ।

श्री मुहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में स्थिति बहुत गम्भीर है । हमें एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में प्रश्नकर्त्ता बहुत हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना होता है ।

श्री मुहम्मद इलियास : परन्तु उनमें से बहुत से तो उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्राम प्रसाद ।

Shri Vishram Prasad : As full ration for a month is not supplied to an individual so naturally he would have to go to the black market. Will the Minister be, therefore, pleased to state the steps Government have taken to put an end to this sort of black marketing?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां पर सांविधिक राशन व्यवस्था होगी वहां ब्लैक मार्केट नहीं हो सकेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : जाली राशन कार्ड वाले असली राशन कार्ड वालों का राशन ले जाते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जहां राशन व्यवस्था लागू हो गयी है वहां से जाली राशन कार्ड खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां राशन व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है वहां जाली कार्ड खत्म करने के लिये सभी उपाय किये जाते हैं । यह काम राज्य सरकारों का है और वे अपना काम कर रही हैं ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि हम देश भर में राशन व्यवस्था क्यों नहीं आरम्भ कर सकते ? दूसरे विश्व युद्ध में भी देश भर में राशन व्यवस्था थी ।

श्री रंगा : जी, नहीं ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं यह बता सकता हूं कि लोगों की यह धारणा बन रही है कि औद्योगिक शहरों में राशन इस लिये आरम्भ किया जा रहा है कि शहर के लोग शोर मचाने वाले होते हैं इसलिये

उन को शान्त करने के लिये सरकार राशन व्यवस्था लागू कर रही है । मैं तर्क नहीं देना चाहता परन्तु मुझे कृपया अनुमति दी जाये--मैं उस राज्य का निवासी हूं जहां अकाल पड़ने का खतरा है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये मैंने अलग से अनुमति दे दी है । उस पर वाद-विवाद हो रहा है इसके अतिरिक्त "ध्यान दिलाने वाली" सूचना भी है ।

श्री नाथ पाई : मैंने महाराष्ट्र का उल्लेख किया था । लोगों की इस धारणा को, कि राशन केवल शहरों में ही किया जा रहा है ? जो मेरे विचार से न्यायसंगत भी है, दूर करने के लिये सरकार क्या करेगी ? उनकी इस बात से कि शहरों में बहुत अनाज खरीदा जा रहा है पता चलता है कि सरकार इसके लिये चिन्तित है कि कहीं शहरों में कठिनाई उत्पन्न न हो जाये इस लिये उसे ध्यान में रखते हुए सरकार राशन व्यवस्था लागू कर रही है; जब कि किसान लोगों को जो देहातों में रहने वाले होते हैं उन्हें अनाज खरीदने के लिये कहीं नहीं जाना है । इस बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : शहरों में राशन व्यवस्था इस लिये लागू की जा रहा है कि वे लोग जो जो शहरों में रहते हैं और अधिक क्रय शक्ति के कारण देहातों से बहुत अनाज खरीद लेते हैं उसे खरीद न सकें । राशन व्यवस्था लागू करने का यही उद्देश्य रहा है । यह प्रश्न इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुआ था । परन्तु अब राशन व्यवस्था अधिक स्थानों पर लागू करने की भी आवश्यकता पड़ गई है । क्योंकि कुछ राज्यों में प्रत्येक स्थान पर राशन व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता अनुभव की गई है । यही कारण है कि महाराष्ट्र मे बहुत के क्षेत्र में राशन होने जा रहा है ....

श्री नाथ पाई : यदि उन्हें राशन में गेहूं न दिया जाये तो वे राशन नहीं लेते ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : .... दूसरे शहर को मिला कर जो आरम्भ में विचार किया गया था युद्ध के अनुभव के सम्बन्ध में जो बात माननीय सदस्य आरम्भ में कह चुके हैं वह ठीक ही है । युद्ध के अन्तिम दिनों में सरकार ने देश भर में एक सा राशन कर दिया था ।

श्री रंगा : सारे देश में नहीं ।

श्री ति० ति० कृष्णमाचारी : युद्ध काल में छोटे शहरों में भी राशन था । परन्तु यह राशन आरम्भ में नहीं किया गया था बल्कि कुछ समय बाद । इस लिये हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि जहां क्रय शक्ति अधिक है वहां राशन किया जाये ।

श्री मुहम्मद इलियास : अभी अभी उपमंत्री महोदय ने बतलाया था कि कलकत्ता और हावड़ा में राशन क्षेत्र में हर सप्ताह 1900 ग्राम राशन दिया जाता है; परन्तु यह बात सच नहीं है । राशन में तेजी से कमी की जा रही है और यूनिटों में भी तेजी से कमी की जा रही है । कलकत्ता और हावड़ा में जोकि विश्व के बड़े औद्योगिक शहरों में से हैं, राशन व्यवस्था समाप्त होने जा रही है । हावड़ा, 24 परगना तथा हुगली जैसे शहरों में, जो कलकत्ता शहर के आस पास हैं, कोई राशन व्यवस्था नहीं है । जिस समय माननीय खाद्य मंत्री कलकत्ता में थे तो उन्होने आश्वासन दिया था की केन्द्र शिघ्रही और सप्लाई भेजेगा.......

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये ।

श्री मुहम्मद इलियास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनाज के राशन को जारी रखने कि लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सहायता देने वाली है । राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत संपूर्ण समाहार होने वाला है; यह अगले महीने से आरम्भ हो जायेगा ।

श्री कपूरसिंह : यह पद्धति समाप्त होने दीजिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, ऐसा लगता है कि वे सभी जिलों में तो अनौपचारिक राशन तथा कलकत्ता में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करना चाहते है और उन्होंने अपनी मांग भी उसी के अनुसार की है। यह भी ठीक है कि कलकत्ता में संपूर्ण समाहार हो रहा है, जिस के परिणामस्वरूप बाद में अधिक क्षेत्र में सांविधिक राशन हो सकता है। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं।

पशु तथा डेरी विकास

*388. **श्री ० प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरुआ :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पशु तथा डेरी विकास का गतिशील कार्यक्रम तैयार करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है तो किस हद तक, और जिन राज्यों में योजना क्रियान्वित की गई है वहां उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जून 1964 में भारत सरकार ने एक विशेष विकास कार्यक्रम चलाया था, जिसके अन्तर्गत अधिक पशु विकास सम्बन्धी 22 परियोजनाओं का स्थापन स्वीकार किया गया है :—आन्ध्र प्रदेश (2), बिहार (2), गुजरात (2), मध्य प्रदेश (1), मद्रास (3), महाराष्ट्र (3), मैसूर (1), उड़ीसा (1), पंजाब (3), उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (1)। इस कार्यक्रम में पशु विकास के सभी पहलू शामिल हैं जैसे नियंत्रित प्रजनन, सुधरा चारा, रोग-नियन्त्रण और उत्तम प्रबन्ध। इसके साथ ही दाना और चारा विकास कार्यक्रम और ग्रामीण डेरी विस्तार कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक परियोजना में एक लाख प्रजनन वाली गायें/ भैंसे होने की आशा है और डेरी परियोजनाओं के दुग्ध शालाओं में प्रत्येक की स्थापना की जायेगी। भारत सरकार की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार य 22 परियोजनायें 1965-66 के अन्त तक स्थापित किये जाने हैं। अन्तिम सूचना के अनुसार, प्रारम्भिक आवश्यकतायें जैसे प्रस्तावित परियोजनाओं के स्थान पर पशु-पालन अवस्थाओं के आरम्भिक सर्वे, स्टाफ की नियुक्ति, भवनों का निर्माण, सामान की खरीद, सांडों का रखना इत्यादि कार्य पूरे किये गये या किये जा रहे हैं।

सितम्बर 1965 में खाद्य और कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कहा था कि फसलों तथा दूध जैसे संरक्षी खाद्यों के उत्पादन में अधिक से अधिक सम्भव बढ़ौत्तरी करने के लिए समस्त सम्भव

उपाय किये जायें। राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि फसलों के सम्बन्ध में अपनाई गयी इन्टेन्सिव पैकेज अपरोच को पशु-पालन कार्य में भी अपनाया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों से चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक गहन पशु विकास योजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रार्थना की गयी। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया को नवम्बर-दिसम्बर 1965 में वार्षिक राज्य प्लान विचार-विमर्श के समय जान लिया जायेगा और उन पर विचार किया जायेगा।

श्री प्र० के० देव : विवरण में कहा गया है कि :

"सितम्बर 1965 में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कहा था कि फसलों तथा दूध जैसे संरक्षी खाद्यों के उत्पादन में अधिक से अधिक सम्भव बढ़ौत्तरी करने के लिये समस्त सम्भव उपाय किये जायें।"

परन्तु पश्चिम बंगाल के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि "सन्देश" बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उसके बनाने वालों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता के शहरी क्षेत्र में दूध जैसे संरक्षी खाद्यों की सप्लाई बढ़ाने की अपेक्षा पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई केन्द्र द्वारा दी गई हिदायतों से कहां तक मेल खाती है?

श्री शाहनवाज खां : हम कलकत्ता क्षेत्र के लिय दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे मेरे माननीय मित्र जानते ही हैं, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और दूध की सप्लाई बहुत कम है। हमने पहले ही खरेघाट में एक बहुत अच्छी डेरी खोल दी है जो बहुत अच्छी तरह चल रही है........

अध्यक्ष महोदय : वह "सन्देश" के बारे में उत्तर चाहते हैं; लोगों को यह मिल नहीं रहा है।

श्री शाहनवाज खां : इसके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय कर सकती है। बच्चों की मांग को पूरा करने के लिये दूध की बहुत आवश्यकता होती है। इस लिये उनके लिये या तो "सन्देश" अथवा दूध लिया जा सकता है। मुझे आशा है कि वह सभी बच्चों के लिये दूध की मांग को प्राथमिकता देगी।

श्री प्र० के० देव : क्या सरकार के पास योजना की क्रियान्विति के लिये पाकिस्तान से साहीवाल और राठी नस्ल की गायें आयात करने के लिये कोई प्रस्ताव है?

श्री शाहनवाज खां : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि थारपारकर हमारे देश की ही नस्ल है और हमारे पास थारपारकर की बहुत अच्छी नस्ल की तथा राठी और हरियाना नस्ल की गायें भारी संख्या में हैं। हम उन्हें देने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और हमारा पशुओं को जरसे, बरौन, स्विस और हौलस्टीन जैसी विदेशी नस्लों से देश के पशुओं को संकर कराने का विस्तृत कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि हस्तक्षेप करने के लिये सभा मुझे क्षमा करेगी। मैं मंत्रालय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। वह कृपया उस पर विचार करें। अंग्रेजों के राज में जिला मान्टगुमरी में साहीवाल में उन्होंने गायों और घोड़ों के प्रजनन के लिये भूमि अलॉट की थी। इस संघर्ष के दौरान भी, जब पर्वतीय युद्ध हो रहा था, हमारे पास खच्चरों और घोड़ों की कमी थी और इस लिये हमें उन्हें ऊंचा मूल्य देकर आयात करना पड़ा। यदि सरकार उस योजना पर विचार करे जिसे अंग्रेजों ने चलाया था और जिसके अन्तगत उन्होंने पशुओं और घोड़ों के प्रजनन के लिये भूमि अलॉट की थी तो उन्हें बहुत अच्छी नस्ल अवश्य मिल सकती है। वे उन फार्मों पर सेना निवृत्त व्यक्तियों को बसा सकते हैं और उन्हें अच्छी नस्ल मिल सकती है। वे इस पर अब विचार कर सकते हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं मंत्रालय को इस पर विचार करने के लिये कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यक्रम बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। उन्हें अच्छी नस्ल के जितने खच्चरों की आवश्यकता थी वे उन्हें मिल गये और उन्होंने उन्हें बाजार में बेचा भी। अब भी ऐसा किया जा सकता है। ऐसा गायों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी नस्ल की गायें मिल सकती हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिया है उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

श्री नाथ पाई : आपके इस रचनात्मक सुझाव पर अच्छी प्रतिक्रिया रही है। यदि यह सुझाव हममें से किसी और ने दिया होता तो उसके उत्तर में यह कह दिया जाता कि मामला विचाराधीन है या इस प्रकार का कोई अन्य उत्तर दे दिया जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आप ऐसे सुझाव प्रायः देने की कृपा किया करें?

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार विचार करने के लिये तैयार है, तो मैं एक विस्तृत योजना पेश कर सकता हूं।

श्री कर्णी सिंहजी : ऊंट की नस्ल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी ऊंटों के दल का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

अध्यक्ष महोदय : वह राजस्थान की विशेषता है।

Shri Madhu Limaye : It has just been mentioned that Government have decided to take in hand twenty-two new programmes under extensive development scheme. May I know whether Government is aware that animals other than milch cattle such as goats can live on natural grass, though we will have to increase the production of special grass for milch Cattle. For that some suggestions have been given by Dr. White of the World Organisation for Food and Agriculture. May I know whether Government have taken any action on these suggestions and formulated any scheme in regard to fodder ?

Shri Shahnawaz Khan : I am very glad that the Hon. Member take deep interest in cattle and also knows well how to get more milk from them. I want to assure him that we pay special attention towards Cattle feed and Cattle fodder in our schemes. We are also trying to produce the best quality of grass like *hybrid Nepia*, *Barseem*, *Lensin Lonia* etc. We are also considering the report regarding grass lands, submitted by Dr. White and the Hon. Member will be glad to know that we have also made much research in arid zone research station and much progress has been made there in connection with the grass of the quality of *Semen* and *Dhawan*. .

श्री दे० जी० नायक : खली पशुओं का पौष्टिक आहार होता है और उससे उनका दूध भी बढ़ जाता है। परन्तु हम काफी मात्रा में इसे विदेशों में भेज देते हैं। क्या सरकार उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विचार कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : विशेषकर मूंगफली की खली से काफी विदेशी मुद्रा मिल रही है चाहे इसकी मुर्गियों और पशुओं के खाने के लिये जरूरत होती है। इस लिए हम निर्यात और देश की मांग के बीच संतुलन कायम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पशुओं की संख्या मनुष्यों की संख्या के बराबर रहती है, क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा था कि बिहार में पशुओं और मनुष्यों की संख्या दूसरे दर्जे पर है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी और विकास परियोजनाओं की संख्या बढ़ा कर तीन कर देंगी?

श्री शाहनवाज खां : बिहार में दो गहन पशु विकास परियोजनायें बनाई गई हैं। यदि उनमें अच्छी प्रगति हुई, तो वहां और बनाई जा सकती हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या विकास कार्यक्रम में पशुओं के बीमें और दूध तथा दूध उत्पादों के स्टैण्डर्ड कायम करने को भी शामिल किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : पशुओं के बीमें का प्रश्न अलग है। उस बारे में कल ही मैंने इस सभा में कहा था कि पंजाब सरकार ऐसी योजना आरम्भ कर रही है।

श्री रंगा : वह फसलों के बीमें के बारे में थी।

श्री शाहनवाज खां : जहां तक दूध की शुद्धता का सम्बन्ध है हम उसके सम्बन्ध में ऊंचा स्तर बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। और हम दूध का मानकीकरण भी करते हैं।

श्री कपूर सिंह : वह फसलों के बीमें और पशुओं के बीमें को मिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या पंजाब सरकार पशुओं के बीमे को भी ले रही है ?

श्री शाहनवाज खां : वह दोनों फसलों और पशुओं के बीमे को ले रही है।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में उन्होंने अमरीकी गाय और भारतीय सांडों से एक नई नस्ल के सांड तैयार किये हैं और इन सांडों को ब्राह्मण सांड कहा जाता है। अमरीका में इन सांडो की सफलता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन ब्राह्मण सांडों को अपने देश में भी तैयार करने का विचार कर रही है ?

श्री कपूर सिंह : ब्राह्मण सांड नहीं बल्कि ब्राह्मणी सांड होते हैं।

श्री हेम बरूआ : उन्हें ब्राह्मण सांड कहा जाता है।

श्री शाहनवाज खां : माननीय मंत्री उस किस्म के सांड की बात कर रहे हैं जो साहीवाल नस्ल तथा जेरसी जैसे देशी नस्ल के बीच से तैयार किया गया हो। हम यहां पर बड़े पैमाने में संकर कार्यक्रम बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री हेम बरूआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन ब्राह्मणी सांडों को इस देश में भी पैदा करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदव : मैं ने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है।

गोंडा संसदीय चुनाव

*389. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या विधि मंत्री गोंडा संसदीय चुनाव के बारे में 14 सितम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर, जिसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत किये जाने पर इस मामले की जांच की थी, उत्तर प्रदेश सरकार को मुअत्तिल आयुक्त, श्री निगम, के विरुद्ध घोर एवं व्यापक भ्रष्टाचार के अपराध में कार्यवाही करने की सलाह दी थी और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो क्या इन आरोपों के लिए उन पर अभियोग चलाने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

श्री हजरनवीस : यह सच नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था ....

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, 'नहीं', और दूसरे भाग का उत्तर है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को मालूम है कि इस सभा के अपदस्थ भूतपूर्व सदस्य, कांग्रेस दल के मोटे सेठ ('ब्लोटेड मनी-बैग') द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील को निबटाने में कुछ हद तक असामान्य विलम्ब ......

श्री दी० चं० शर्मा : वे अपने प्रश्न में कांग्रेस दल का उल्लेख क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न का आशय स्पष्ट करने के लिय ये शब्द आवश्यक हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : वे केवल सदस्य की पहचान के लिये हैं। मैं ने उनका नाम नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है लेकिन नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी अनुमान, विशेष नाम तथा किसी अन्य विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे प्रश्न का आशय समझाने के लिए आवश्यक न हो; और माननीय सदस्य का प्रश्न इन शब्दों के बिना समझा जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को मालूम है कि इस सभा के अपदस्थ भूतपूर्व सदस्य द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील के निपटारे में असामान्य विलम्ब उनके लिए तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए इस रूप में सहायक सिद्ध हो रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील निबटाने से निर्वाचन कानून के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध गैर-कानूनी तथा भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने के कारण कार्यवाही करने के लिए रास्ता साफ हो जायेगा और यदि हां, तो असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सरकार न्यायपालिका के, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के, कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय को सामान्यतः निर्वाचन याचिका को छः महीनों में निबटा देना चाहिये। इस अपील को तो 18 महीने हो गये हैं। इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि ऐसा कानून है तो उच्च न्यायालय इसका पालन करने के लिए सर्वोत्तम प्राधिकार है और वे इस पर विचार करेंगे। लेकिन सरकार के लिए इस ओर संकेत करना भी उचित नही होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले एक अवसर पर श्री सेन ने 1962 में दायर की गई निर्वाचन याचिका को निबटाने में विलम्ब के कारण बताये थे ।

अध्यक्ष महोदय : उच्च न्यायालय को कहना उचित नहीं होगा......

श्री नि० चं० चटर्जी : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा और श्री कामत यह नहीं कह रहे हैं । वे तो इस विलम्ब के कारण जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कारण मालूम हैं ?

श्री हजरनवीस : नहीं, श्रीमान् । यह तो अपदस्थ सदस्य और एक अन्य सदस्य का मामला है । इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हैं । यदि कोई इस मामले का शीघ्रता से निबटारा करवाना चाहता है तो वह न्यायालय में जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का ध्यान मैं एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । क्या कोई आपत्तियां दायर की गई हैं, क्या उसमें कुछ समय लगा, क्या दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अपील दायर की, आदि तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सभा को बताई जा सकती है ।

श्री हजरनवीस : मैं निवदन करना चाहता हूं कि प्रश्न मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर किसी अधिकारी के विरूद्ध आरम्भ की गई जांच के बारे में हैं । यह अनुपूरक प्रश्न अपील के बारे में है । यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं अवश्य हीं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी करने के लिए कोई समय नियत किया गया है ?

श्री रंगा : हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने के लिए कहा । उसने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । क्या वे अपने विभाग के बारे में ही अगले निर्वाचन तक प्रतीक्षा करेंगे ?

श्री हजरनवीस : मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का सम्बन्ध है उसे रोका नहीं गया है । लेकिन सम्बन्धित अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एक प्रलेख याचिका दायर की है । जांच जारी है ।

श्री हरी विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में कहा है । अन्तरिम रिपोर्ट के जांच परिणाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, on a point of order. A similar case in another form is pending in the supreme court and perhaps in Allahabad High Court also. Another man has been prosecuted. There is a case relating to Uttar Pradesh Legislative Assembly. Then there is the case of Shri Madhu Limaye. Therefore, I shall urge that this entire question should be considered dispassionately and since Lok Sabha is the Legislative body its views should also be voiced before arising at a decision.

Mr. Speaker : I have not understood what is the point of order. It has nothing to do with the question.

विधानमंडलों तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद

*390. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**

श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या विधि मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बीच श्री केशव सिंह की लेखयाचिका पर अपना निर्णय सुना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसे ध्यान में रख कर विधानमंडलों और न्यायपालिका के बीच विशेषाधिकारों के प्रश्न संबंधी विवाद के बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) जनवरी, 1965 में बम्बई में हुए पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 अक्तूबर, 1965 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा श्री केशव सिंह को दिये गये दण्ड की पुष्टि करने के उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दिये जाने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था।

(ख) श्री केशव सिंह 18 अक्तूबर, 1965 को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रमाणपत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की तिथि से साठ दिन के अन्दर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए, इस मामले में कोई निर्णय करने से पहले सरकार इस कार्यवाही के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

(ग) इस मामले में निर्णय करने से पहले सरकार निस्संशय ही जनवरी, 1965 में बम्बई में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पारित संकल्प पर उचित रूप से विचार करेगी।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know what is coming in the way of Government in taking a decision independently on the resolution passed by the conference of Presiding officers held in Bombay and submitted to Government?

The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Security (Shri Hajarnavis) : As already stated in the House, we should await the final outcome in the Keshav Singh's case. Then only a decison will be taken in the matter dispassionately.

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to kow whether the Attorney General will be consulted after the final outcome of the appeal filed by Shri Keshav Singh in the High Court.

Shri Hajarnavis : Certainly, everybody will be consulted.

श्री हेम बरूआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान बम्बई सम्मेलन में लोक-सभा के अध्यक्ष महोदय के दृष्टिकोण की ओर आकर्षित किया गया है और, यदि हां, तो क्या सरकार ने इसपर विचार किया है और क्या वे न्यायपालिका और विधानमंडल के अधिकारों के बारे में इसके अनुसार कार्य करने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

4—4 L. S./66

श्री हजरनवीस : इस सम्मेलन में अध्यक्ष महोदय का भाषण अत्यधिक सांवैधानिक महत्व का एक विषय—प्रबोधक प्रलेख है। अवश्य ही इस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, both the Law Minister and the Minister of Parliamentary Affairs, while referring to the Presiding Officers' Conference at Bombay, had stated that after their decision, the Government would consider over the course of action to settle this issue. That decision has been given. Now another case that of shri Jagdish Gandhi has come up in the Court, time and again, complications are arising. In view of this situation, why does the Government not make its stand clear ?

Mr. Speaker : Mr. Shastri, I think it has been replied. He has stated that Shri Keshav Singh can still file an appeal in the Supreme Court. They will take a final decision after the expiry of the time limit for appeal or the decision of the supreme court in case an appeal is filed there.

Shri Prakash Vir Shastri : I shall only submit that being the Supreme legislative Body, the Lok Sabha should decide a definite policy in the matter so that such issues are not raised time and again.

Shri Hajarnavis : I fully appreciate the feelings of the hon. Member. But a decision has been taken that we should await the final decision of the case.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विश्व के कुछ लोकतंत्रीय देशों में प्रचालित संसदीय कार्यप्रणाली के अनुसार यह न्यायिक प्रश्न की अपेक्षा सांवैधानिक प्रश्न अधिक है; और यदि हां, तो क्या इसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जायेगा और लोक-सभा को इस पर अपना निर्णय देने दिया जायेगा ?

श्री हजरनवीस : इस प्रश्न के बारे में यह भी एक मत है, जिस पर विचार करना है।

Shri Bade : It is quite clear from the speech of the Speaker of Lok Sabha and the ruling given by the Supreme Court that the constitution should be amended. So, may I know whether Government propose to amend the constitution?

Shri Hajarnavis : We have to consider it.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमन्, माननीय मंत्री का इस बारे में यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया कि कानून के अनुसार श्री केशव सिंह द्वारा 10 दिन की मियाद पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय में अपील पर उसपर निर्णय की प्रतीक्षा की जाये, क्योंकि उच्च न्यायालय में केशव सिंह के मामले में निर्णय और बम्बई में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव में मुझे कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने एक निश्चित सिफारिश की है और उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय करेगा इससे उसका बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सरकार ने बम्बई में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों पर अभी तक विचार नहीं किया है ?

श्री हजरनवीस : पहली बात का उत्तर यह है कि जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कोई भी निर्णय तब अन्तिम होता है जब समय बीत जाने पर कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। श्री केशव सिंह के मामले के बारे में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। इसलिए हम निश्चय ही यह चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस पर और प्रकाश डालें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने सम्मेलन में आपका पूरा अभिभाषण पढ़ा भी है ?

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या सरकार ने विशेषाधिकार संबंधी कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई निर्णय किया है ? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्णय भी भिन्न-भिन्न होता है ।

श्री हजरनवीस : हर एक बात पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें

*391. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या परिवहन मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये जाने वाले पुर्जों की कमी के कारण दिल्ली परिवहन की कितनी बसें अब भी बकार खड़ी हैं ;

(ख) कुछ पुर्जों की कमी के बावजूद भी कितनी बसें चल रही हैं ;

(ग) क्या रुपयों में भुगतान कर के पुर्जों का आयात किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 132 ।

(ख) 250 ।

(ग) और (घ) : जी नहीं, ये केवल यू० के० से आयात किये जा सकते है ।

सहकारी डेरी फार्म

*392. **श्री बागड़ी :**

श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी डेरी फार्म बनाने के लिए सरकार किस प्रकार प्रोत्साहन देती है ; और

(ख) इन संस्थाओं में कदाचार को रोकने के लिए क्या सरकार उनकी सामान्य देख-भाल करती है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय सरकार की सहायता विशेष तौर पर देश में सहकारी डेरी फार्मों की स्थापना के बारे में प्रदान की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

किसानों से सीधा खाद्यान्न का समाहार

*393. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री स० चं० सामंत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ब० कु० दास : **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री मं० रं० कृष्ण : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वसूली व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे उत्पादकों से अनाज लेने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय ली गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : सरकार ने उत्पादकों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की है लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि उत्पादकों पर जोत के क्षेत्र के उपयुक्त एक राष्ट्रीय आपात लेवी लागू करनी चाहिये। एक एकड़ (सिंचित) और दो एकड़ (असिंचित) जैसी थाड़ी जोत के क्षेत्र वालों को लेवी से छूट दे दी गयी है। अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने के लिये उत्पादकों पर लेवी लगानी अनिवार्य हो गयी थी। यह लेवी न केवल अधिशेष राज्यों में उत्पादकों पर बल्कि कमी वाले राज्यों के अधिशेष उत्पादकों पर भी लागू की जानी थी। व्यापारियों/मिल मालिकों पर लेवी लागू करने की पूर्व-पद्धति भी जारी रखी जा रही है। केरल, मैसूर, मद्रास और बिहार राज्यों ने पहले ही उत्पादकों पर लेवी लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उडीसा और राजस्थान द्वारा इसी प्रकार के आदेश तैयार किये जा रहे हैं। पश्चिमी-बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम राज्यों ने या तो अधिप्राप्ति की एकाधिकार पद्धति अपना ली है या अपनाने का विचार कर रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में मिल मालिकों पर लेवी की पद्धति जारी रखी जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में राशन व्यवस्था

*394. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों तथा औद्योगिक बस्तियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कानूनी राशन व्यवस्था लागू करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रतिदिन प्रति वयस्क छः औंस के वर्तमान कोटे को बनाये रखने के लिये अधिक मात्रा में गेहूं मांगा है ;

(ग) क्या केन्द्र ने केवल 35,000 टन गेहूं और 4,000 टन चावल दिया है जबकि राज्य सरकार ने 150,000 टन गेहूं और 50,000 टन चावल मांगा था ; और

(घ) क्या सरकार ने अधिक गहूं और चावल भेजना स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने गेहूं के अधिक नियतन के लिये नहीं कहा था ।

(ग) और (घ) : बिहार सरकार ने नवम्बर के लिये 1,00,000 मीट्रिक टन गेहूं और 20,000 मीट्रिक टन चावल अलाट करने के लिये कहा था । वास्तव में 35,000 मीट्रिक टन गेहूं और 2,000 मीट्रिक टन चावल अलाट किया गया था । भारत सरकार के पास समस्त उपलब्धि को देखते हुये और अन्य राज्यों की मांग तथा राज्यों में उपज की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये नवम्बर में बिहार को गेहूं और चावल की मात्रा में और वृद्धि करना सम्भव नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन

***395. श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिंमतसिंहका :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन से अलग हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि-मूल्य आयोग

***396. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि-मूल्य आयोग के प्रधान द्वारा 29 सितम्बर, 1965 को "इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर" में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने कृषि-मूल्य निधि उत्पादन के आधार पर निर्धारित करने का सुझाव दिया और जान-बूझकर आय को हस्तांतरित करने के लिए कृषि-मूल्यों का एक साधन के रूप में प्रयोग करने का विरोध किया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीतियों तथा उनकी क्रियान्विति के बारे में उनका किन मुख्य बातों पर मतभेद है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) किसी पर नहीं । उन्होंने केवल सरकार की वर्तमान नीति पर ज़ोर दिया है ।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग

***397. श्री रा० गि० दुबे :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने निदेश जारी किया है की तीन सौ मील से अधिक अन्तर्राज्य यात्रा करने वाली प्रत्येक मोटर गाड़ी को परमिट टोकन साथ रखना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) अंतर्देशीय रास्तों पर चलने वाली निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों का राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न जांच-ठिकानों पर रूटीन जांच के लिये अनावश्यक रोका जाना दूर करने के लिये परमिट टोकन निर्धारित किया गया है।

वनों का विकास

***398. श्री विद्या चरण शुक्ल :**	**श्री दाजी :**
श्री हुकम चंद कछवाय :	**श्री वाडीवा :**
श्री पाराशर :	**श्री रा० स० तिवारी :**
डा० चन्द्रभान सिंह :	**श्री बड़े :**
श्री चाण्डक :	**श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री महेशदत्त मिश्र :	**श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :	**श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्रीमती मिनीमाता :	**श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौ राज्यों में 11,500 वर्गमील अल्पविकसित वन क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कितने वर्गमील अल्पविकसित वन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) क्या मध्य प्रदश सरकार को सूचित किया गया है कि किन क्षत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण कार्य में राज्य सरकार से कितनी सहायता की अपेक्षा होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय ज़ोन के लगभग 7,200 वर्गमील के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। इसमें मध्य प्रदेश का लगभग 3,500 वर्गमील का क्षेत्र भी शामिल है, परन्तु प्रत्येक राज्य के सर्वेक्षण होने वाले वास्तविक क्षेत्र का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है।

(ग) आशा है परियोजना 1968 तक पूरी हो जायगी।

(घ) प्रस्तावित सर्वेक्षण विषयक क्षेत्रों के बारे में निर्णय करते समय राज्यों के वन अधिकारियों से परामर्श किया गया है। सर्वेक्षण तथा वास्तविक क्षेत्र कार्यों के विषय में मूलभूत सूचना की उपलब्धि के लिए राज्य सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। परियोजना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय राज्य सरकारों से उनके अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों के बारे में उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार ने आवश्यक सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया है।

बंगाल-आसाम स्टीमर सेवा

*399. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल और आसाम के बीच रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी द्वारा फिर से अपनी सेवा चालू किये जाने की कोई संभावना है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कम्पनी के जहाजों, गोदी तथा अन्य संसाधनों का कोई अन्य उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) क्या रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों को नौकरी पर कायम रखा जायेगा, उनकी छटनी की जायगी अथवा उन्हें किसी अन्य काम पर लगाया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नदी सेवाओं को फिर से आरंभ करने का प्रश्न उन दशाओं के पैदा होने पर निर्भर करता है जिसमें ये सेवायें बिना बाधा के और सुरक्षापूर्वक चलाई जा सकें। जैसे ही इस प्रकार की दशाओं का सुनिश्चयन हो जायेगा ये सेवायें निश्चयरूप से चालू कर दी जायेगी।

(ख) आजकल रिवर स्टीम नेविगेशन कं० के बेड़े का एक भाग आसाम में आन्तरिक सेवाओं के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में उपलब्ध बेड़े को व्यवहार में लाने के लिये कुछ योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है और वे विचाराधीन हैं। जहां तक राजाबगान डाकयार्ड का संबंध है उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये विदेशों से आर्डर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) कंपनी की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये जितने अधिक कर्मचारी रखना संभव होगा उनको रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो कर्मचारी कंपनी की मौजूदा जरूरतों के लिये फालतू है उनके लिये वैकल्पिक नौकरी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी खेती सम्बन्धी समिति

*400. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती बिमला देवी :
श्री राम हरख यादव :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी खेती सम्बन्धी गाडगिल समिति ने सरकारको अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उसकी सिफारिशें कहां तक स्वीकार कर ली हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों का संक्षेप सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5211/65।]**

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजी गई हैं। हाल ही में हुए रजिस्ट्रारों और सहकारिता के कार्यभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलनों में भी समिति की मुख्य सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने सामान्य रूप से इन सिफारिशों का अनुमोदन किया। आगे और कार्यवाही योजना आयोग के परामर्श से की जा रही है।

कृषि-मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

*401. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि-मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

खाद्य और कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णय "रिव्यू आफ दी फूड सिचुएशन, अगस्त, 1965" जो 19 अगस्त, 1965 को संसद् सदस्यों को दिया गया, के पैरा 32 में दिये गये हैं।

Milk Prices

*402. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Rajdeo Singh : Shri P. C. Borooah :
Shri Mohsin : Shri Himatsinghka :
Shri D. C. Sharma : Shri Rameshwar Tantia :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided to increase once again the rates of milk being supplied by the Delhi Milk Scheme; and

(b) if so, the reasons therefor?

Minister of Finance on behalf of Minister of Food and Agriculture (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) The revision of prices became necessary in view of the increased cost of procurement of raw milk as well as an increase in the cost of processing and distribution.

उर्वरों का वितरण

*403. **श्री म० रं० कृष्ण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक वितरण का कार्य केन्द्रीय उर्वरक पूल के स्थान पर उर्वरक विपणन निगम को सौंपने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पूल के स्थान पर निगम बनाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। संवर्द्धन कार्यकलाप, भूपरीक्षण तथा प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का विपणन करने के लिए उर्वरक प्रयोग वृद्धि निगम बनाने की उर्वरक समिति ने जो सिफारिश की है उसका सरकार विचार कर रही है। सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय उर्वरक पूल के स्थानपर बनाया गया निगम इस समय केवल कुछ नाइट्रोजन उर्वरक (सल्फेट आफ अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट तथा कैल्सियम आमोनियम नाइट्रेट) तथा आमोनियम फास्फेट का प्रचार के लिए आयात किया जाता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Smuggling of Rice and Tinned Milk into Pakistan

***404. Shri Onkar Lal Berwa :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rice and tinned milk are being smuggled into Pakistan from Assam in large quantity; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check this smuggling?

The Minister of Finance on behalf of the Minister of Food and Agriculture (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Price of Imported wheat

***405. Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Basappa :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided to increase the selling price of imported wheat;

(b) if so, the extent of such an increase and the operative date thereof as also the reasons therefor; and

(c) the cost and selling price of imported wheat before the increase in price became effective?

The Minister of Finance on behalf of the Minister of Food and Agriculture (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The issue price of imported wheat from Central Stocks has been revised from Rs. 48 to Rs. 50 per quintal with effect from 15th November, 1965. This revision follows the recommendations of the Chief Minister's Conference held in August, 1965. The increase which was partly necessitated by the higher economic cost will also serve to narrow down the differential that existed between the price of imported wheat and the comparable indigenous red variety as also of coarse grain like jowar.

(c) The price prior to its revision was Rs. 48 per quintal. The economic cost of this wheat for the year 1965-66 is estimated to be Rs. 47.14 per quintal.

चने के भाव

*406. श्री कपूर सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में चने के भाव बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भाव को कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या चने पर मूल्य नियन्त्रण लागू करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। तथापि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की राज्य सरकारों ने भारत सरकार से कहा था कि उन्हें अपने अपने राज्य में चने के भाव निर्धारित करने के लिये अधिकार सौंपे जाएं और यह मान लिया गया है।

चीनी जांच आयोग

*407. श्री मोहसिन :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री हिंमतसिंहका :

श्री प्र० चं० बरूआ :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री रा० बरूआ :

श्री यशपाल सिंह :

श्री योगेन्द्र झा :

श्री जसवन्त मेहता :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री राम हरख यादव :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में सरकार द्वारा नियुक्त चीनी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5212/65।]**

(ग) सरकार 1965-66 के लिये गन्ने की कीमत से सम्बन्धित शर्करा जांच आयोग की सिफारिश पर पहले ही विचार कर चुकी है और इस सम्बन्ध में निर्णय घोषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*408. **श्री अल्वारेस :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष की आवश्यकता क्या है; और

(ग) अनुमानित उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : योजना आयोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन के अनुसार खाद्यान्नों की आवश्यकता तथा खाद्यान्न उत्पादन का वह लक्ष्य जो 1965-66 तक पूरा किया जाना है, 1000 लाख टन (या 1016 लाख मीटरी टन हैं)। बाद में किये गये मूल्यांकन के अनुसार कुछ सम्भरणों व विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी कमियों का पता चला है। अक्तूबर, 1964 में प्रकाशित होने वाले योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना विषयक ज्ञापन के अनुसार 1965-66 की सामान्य मौसमी परिस्थितियों की मौजूदगी में प्रत्याशित खाद्यान्न का उत्पादन 900 से 920 लाख मीटरी टन होना था। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, जिनमें सूखा पड़ना, कम वर्षा होना तथा देश के बहुत से भागों में असामयिक वर्षा होना तथा समस्त स्थानों पर एक-सी वर्षा न होना भी शामिल है, के कारण इस समय चालू वर्ष के खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में सही सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

इस कमी के और भी कारण हैं परन्तु महत्वपूर्ण कारण उर्वरकों की कमी तथा सिंचाई संसाधनों के उपयोग की कमी आदि हैं। लघु सिंचाई व कृषि आवश्यकताओं के लिए सीमेंट तथा इस्पात की कमी, सिंचाई के काम आने वाले पम्प सैटों के लिए बिजली की कमी, ऋणों की कमी आदि के कारण भी खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट हुई है।

Production cost of Sugar

*409. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Siddhanti :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reduce the production cost of sugar; and

(b) if so, the extent of reduction and the time by which it would be effected?

The Minister of Finance on Behalf of the Minister of Food and Agriculture (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b). Sugar Industry is a highly regulated industry wherein the price of sugarcane is fixed and the taxes are also fixed. The cost of production of sugar can be reduced by increasing the per acre yield of cane and the sucrose content in cane. Various steps have been and are being taken for achieving these objectives.

कृषि उत्पादन मात्रा

*410. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964-65 में कृषि विकास की गति में पर्याप्त कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में उसे बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। बल्कि देश में कृषि उत्पादन 1963-64 में 142.6 से 1964-65 के दौरान 157.6 (बेस ईयर 1949-50-100) 10 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

खाद्य स्थिति

*411. **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री मलाइछामी :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य सम्बन्धी स्थिति पर विचार करने हेतु 8 नवम्बर, 1965 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 1965 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में खाद्य स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गयी हैं। तथापि, नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति में देश की वर्तमान खाद्य स्थिति पर विचार विनिमय करने का लाभ प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विरुद्ध शिकायतें

*412. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विरुद्ध शिकायतों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य संचालन की विभागीय तौर पर तथा अन्य तरीकों से जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। देरियों के सम्बन्ध में शिकायतों को छोड़कर।

(ख) और (ग) : एक विभागीय समिति द्वारा कारपोरेशन के इंजीनियरी और स्टोर्स संगठन की जांच की गयी है, जिसने विभागीय संगठन, संधारण और ओवरहाल की क्रिया-विधियों और सामान की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कुछ सुधारों के सुझाव दिये हैं। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कारपोरेशन की सेवाओं में 1 अप्रैल से 15 जुलाई, 1965 तक होने वाली देरियों के मामलों का भी अध्ययन किया गया है और उनके कारणों का विश्लेषण किया गया है। देरियों का मुख्य कारण अपर्याप्त क्षमता है। जैसे ही कारपोरेशन अतिरिक्त विमानों का प्राप्त कर लेगा वैसे ही देरियां कम होती जायेंगी।

देश में सूखा की स्थिति

*413. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री रामचन्द्र उलांका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री सोनावने :
श्री भा० दा० देशमुख :
श्री किशन वीर :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री बसवन्त :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री लोनीकर :
श्री तु० अ० पाटिल :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बहुत बड़े भाग में सूखा पड़ गया है जिसके कारण खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप फसलों को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या क्या सहायता उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) मैसूर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों से सुखे की स्थिति की सूचना मिली है।

(ख) क्षति का पता तब चलेगा जबकि राज्यों से फसल-कटाई सर्वेक्षण के आधार पर उत्पादन के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे। मौजूदा संकेतों के अनुसार वर्तमान खरीफ की फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 30 लाख मीटरी टन से अधिक की कमी होगी।

(ग) राज्य सरकारें आवश्यक उपायों के विषय में कदम उठा रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य विवरण योजना

*414. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सफलता पूर्वक राज्यों को खाद्यान्न बांटने के लिये एक राष्ट्रीय खाद्य वितरण योजना तैयार की है; और

(ख) क्या इस योजना को राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : एक आपात खाद्य वितरण योजना तैयार की जा रही है और इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श किया जाएगा ।

अमरीकी सहायता से खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता की प्राप्ति

*415. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका खेती-बाड़ी को बढ़ाने के लिये भारत की सहायता कर रहा है जिससे कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं का स्वरूप क्या है तथा उनमें से प्रत्येक योजना के लिये अब तक कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या अमरीका फालतू कृषि-औजार पहले के समान ही देगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री की ओर से वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत के कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए भारत को पर्याप्त सहायता दी है लेकिन इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ख) 1952 में भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से अब तक अमरीकी सरकार ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में 61.35 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5213/65 ।**]

(ग) ओ० ए० संख्या 22 के अन्तर्गत अमरीकी सरकार ने दिसम्बर, 1962 तक 114,652.15 डालर के मूल्यों के कृषि औज़ार तथा मशीनें आदि प्रदान की । पहले की तरह इस समय अमरीकी सरकार द्वारा कृषि औज़ार उपकरण देने की कोई पेशकश नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Harijan, Adivasi and Backward Class Students

1091. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government have collected figures relating to Harijan, Adivasi and Backward Class students getting education at Primary, Higher Secondary and University stages as has been done in the case of Girl Students;

(b) if so, the details thereof, Statewise; and

(c) the percentage of Harijan, Adivasi and Backward Class students getting education at Primary, Higher Secondary and University stages out of the total population of Harijan, Adivasi and Backward Classes boys of these three age-groups?

Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar) : (a) & (b). The figures in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students have been collected in the 1961-Census, and the same are being compiled by the Registrar General of India. The figures in respect of Other Backward Classes have, however, not been collected.

(c) This information was not collected during the 1961-Census.

मेक्सिकों का गेहूं

1092. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई योजना के अनुसरण में मैक्सिको के पी० वी०-18 किस्म के गहूं का पंजाब राज्य में उत्पादन इस बीच बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस किस्म की गेहूं की खती आरम्भ करने से पहले तथा बाद में प्रति एकड़ उपज में कितना अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) 1964-65 की अवधि में लुधियाना में एक छोटे-से प्रदर्शन-प्लाट में किये गये प्रारंभिक परीक्षणों के परिणामस्वरूप मैक्सिकन गेहूं की पी० वी०-18 नामक किस्म से लगभग 32.50 क्विन्टल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज प्राप्त हुई है। गेहूं की इस किस्म से ऐसी ही परिस्थितियों में पंजाब के सर्वोत्तम गेहूं की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त हुई है। अभी तक यह किस्म आम बुवाई के लिए जारी नहीं की गई है क्योंकि कृषकों को देने से पहले इस पर कुछ और परीक्षण होने हैं।

मछली पकड़ने के जाल बनाने का कारखाना

1093. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के सहयोग से कोचीन में मछली पकड़ने के जाल बनाने का एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायगा; और

(ग) इसके लिये कितनी पुंजी की आवश्यकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) येन ऋण द्वारा जापान से 4.2 लाख रुपये के मूल्य का मछली पकड़ने के जाल बनाने का एक संयंत्र का आयात करने का केरल सरकार का विचार है;

(ख) ऐसी आशा है कि कारखाने में 1968 के मध्य में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(ग) लगभग 10 लाख रुपये।

केरल में हरिजनों का बसाया जाना

1094. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में कन्नानूर जिले में हरिजन समुदाय के लोगों को बसाने तथा उनकी उन्नति करने के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में इस जिले के कार्यक्रम में शिक्षात्मक कार्यों के लिये कितनी रकम नियत की गई है;

(ग) अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(घ) वर्ष 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में अब तक इन कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बालीपट्ट सड़क पुल

1095. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालीपट्ट सड़क पुल, कन्नानूर (केरल), के निर्माण के लिये कितना धन मंजूर किया गया है;

(ख) काम कब आरम्भ होगा; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : केरल में पश्चिमी तट सड़क पर वलियापट्ट बाहरी सड़क पर पहले ही एक सड़क-कम-रेल पुल है। वर्तमान समय में निर्माणकार्यों में अत्यधिक मितव्ययिता की आवश्यकता के संदर्भ में निकट भविष्य में वलियापट्ट में अलग सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी इस प्रकार के पुल के लिये जांच पड़ताल की गयी है।

काली मिर्च की खेती

1096. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काली मिर्च की खेती के लिये योजना तैयार करने के हेतु राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन के आधार पर दी गई रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) देश में काली मिर्च की खेती कुल कितने एकड़ भूमि पर होती है तथा केरल राज्य में कितनी भूमि पर काली मिर्च की खेती होती है;

(ग) क्या केरल में प्रति एकड़ उपज में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) काली मिर्च के भाव स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) "काली मिर्च के निर्यात के भविष्य" पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में देश में काली मिर्च की खेती के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(1) चौथी योजना में अतिरिक्त 5,000 टोन्ज़ के लक्ष्य से अधिक 10,000 टोन्ज़ काली मिर्च के उत्पादन को बढ़ाना अर्थात् 15,000 टोन्ज़ का लक्ष्य का होना।

(2) सन् 1970 तक 5,000 टोन्ज़ सफेद मिर्च पैदा करना ताकि यूरोपियन तथा आस्ट्रेलियन बाज़ारों में माल भेजा जा सके जहां सफेद मिर्च को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) सुधरे हुए तरीके अपनाकर तथा पुरानी अधिक रहने वाली लताओं को बदल करके प्रति एकड़ उपज बढ़ायी जाये ताकि काली मिर्च के उत्पादन की लागत कम की जा सके।

(ख) देश में कुल भूमि जिसमें काली मिर्च की खेती होती है . 253.71 हज़ार एकड़

केरल में क्षेत्रफल (एकड़ों में) . . . 246 हज़ार एकड़

(ग) जी हां।

(घ) कमी होने के कई कारण हैं—पुरानी लताओं का होना, छटाई के उपयुक्त तरीकों तथा खेती करने के अच्छे तकनीकियों की कमी का होना।

(ङ) भारत में काली मिर्च के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है, अतः मूल्य मुख्यतया विश्व बाजार में शर्तों के अनुसार निश्चित किये जाते हैं। फिर भी उचित उत्पादकों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी उपायों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

केरल के वन

1097. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के गैर-सरकारी वनों को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई विधान बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक तैयार हो जायेगा;

(ग) केरल में गैर-सरकारी वन कितने क्षेत्र में हैं तथा इसमें से कितना क्षेत्र मलाबार में है;

(घ) क्या उन्हीं भूमिहीन किसानों को जिनके कब्जे में इस समय यह वन भूमि है, वन भूमि का कब्जा देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बहादुरगढ़-केन्द्रीय सचिवालय बस सेवा

1098. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या परिवहन मंत्री बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के बीच सीधी बस सेवा चलाने के बारे में 24 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : केन्द्रीय सचिवालय–बहादुरगढ़ मार्ग पर दो सेवायें चलाने के पंजाब अधिकारियों के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, राज्य परिवहन अधिकारी, दिल्ली ने 23 सितंबर, 1965 को एक नोटिस द्वारा मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 की धारा 57 के अन्तर्गत परमिट जारी करने के लिये आवेदन पत्र मांगे थे। इस प्रकार के आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि 12-10-65 थी। मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इन आवेदन पत्रों से संबंधित आपत्तियां और प्रतिवेदन भी राज्य परिवहन अधिकारी को 15 नवम्बर, 1965 तक मिल जाने के लिये मांगे गये थे।

राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली अपनी दिसम्बर, 1965 को होने वाली बैठक में इन आवेदनों और प्रतिवेदनों पर विचार करेंगे।

5—4 L. Sabha/66

उप-चुनाव

1099. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनावों के बाद से अब तक लोक-सभा तथा विभिन्न विधान सभाओं के लिये कितने उपचुनाव किये गये हैं;

(ख) कितने प्रत्याशियों ने, किन-किन दलों की ओर से अथवा स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, उनको कितने-कितने मत पड़े, प्रत्येक को कितने प्रतिशत वैध मत मिले तथा कितने मत अवैध थे; और

(ग) पिछले आम चुनाव के बाद स्वतंत्र प्रत्याशियों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिये हुए उप-चुनावों में कुल कितने प्रतिशत वैध मत मिले ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) आम चुनाव के बाद से अब तक लोक-सभा के लिए 30 और विधान सभाओं के लिए 116 उप-चुनाव किये गये हैं;

(ख) और (ग) : निम्नलिखित प्रकाशनों में जानकारी दी गई है :—

*(एक) अगस्त, 1961 और जून, 1963 के बीच हुए उप-चुनावों के परिणाम (29-11-1963 को सभा-पटल पर रखा गया) ।

*(दो) जुलाई, 1963 और दिसम्बर, 1964 के बीच हुए उप-चुनावों के परिणाम (17-8-1965 को सभा-पटर पर रखा गया) ।

Aid to Institutions of Farmers

1100. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of institutions of farmers to whom grant or aid has been given during the last five years and the amount thereof;

(b) whether their accounts have also been audited;

(c) the number of farmers who have been sent abroad during the last five years under the Exchange Programme and the names of those countries; and

(d) whether there is any similar programme for this year or for the next year ?

---

*निर्वाचन आयोग ने पिछले आम चुनावों के बाद से अब तक स्वतंत्र प्रत्याशियों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को प्राप्त कुल वैध तथा अवैध मतों की प्रतिशतता नहीं निकाली है क्योंकि इस जानकारी प्राप्त करने में लगने वाला समय और परिश्रम प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं समझा गया ।

1965 में हुए उप-चुनावों के बारे में जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ।

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Following grants-in-aid were sanctioned by the Ministry of Food & Agriculture to the farmers' organisations during the last five years:—

	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66
Bharatiya Grameen Mahila Sangh.		9,276·78		4,600	
Young Farmers Association.	45,000	40,000		35,970	45,420

(b) Yes, by Registered Chartered Accountants.

(c) 99 Farmers were sent abroad during last five years, as under:—

Year	Country to which sent	Number
1961	U.S.A.	16
1962	U.S.A.	23
1963	..	Nil.
1964	U.S.A. G.D.R.	20 8
1965	U.S.A. G.D.R.	26 6

(d) Yes.

Procurement of Foodgrains

1101. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the States where procurement of bajra, paddy, from gram and jawar has been started;

(b) the minimum price fixed by Government for paddy, gram, jawar and bajra State-wise; and

(c) the effect on producers' prices in various States as a result of the fixation of the minimum price thereof?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) A statement (Annexure I) showing the States which are reported to be procuring bajra, paddy, gram and jowar is attached. [**Placed in the Library. See No. L. T. 5214(i)/65.**]

(b) Another statement (Annexure II) showing the minimum prices announced for these grains is also attached. **[Placed in the Library. See No. L. T. 5214 (ii) /65.]**

(c) The producer has been getting reasonable prices and these are not lower than the minimum prices announced by the Government.

Acreage under Cultivation

1102. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage being brought under cultivation under emergency food production programme and the area to be utilized for wheat production;

(b) the area, State-wise, used for Rabi crop under this programme; and

(c) the amount given by the Central Government to State Governments under the said programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b). The emergency food production programme contemplates bringing into cultivation for one or more crops areas which are already receiving irrigation from various major and medium irrigation sources but which have not so far been cultivated in the rabi or the summer season. In addition to this, States have been asked to increase production of potatoes and vegetables wherever possible. The acreages for bringing into rabi and summer cultivation are in the statement enclosed. **[Placed in the Library. See No. L. T. 5218/65.]** Wheat is expected to be grown in about 10 lakhs acres in the rabi seasons.

(c) No special financial assistance is contemplated for the programme but loans are proposed to be given for the fertilisers that will be employed in this programme and to some extent for seeds. The amounts will depend upon the programme of receipt of fertilisers and help that the States may require over and above funds found from the cooperative sector. Amounts have not yet been finalised. The potato and vegetable programme is to be supported by location of cold storages which though not an immediate programme for the present season will strengthen the 1966 rabi programme. The details are under discussion with the State Governments.

केरल में काक्कोटी-पून्नूर सड़क

1104. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में काक्कोटी-पून्नूर सड़क को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में केरल सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस क्षत्र में परिवहन व्यवस्था न होने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो मोटर गाड़ी यातायात के लिये सड़क को उपयुक्त बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : काक्कोटी-पुन्नूर सड़क केरल राज्य में राज्य सड़क है । अतः प्रधानतः इस परियोजना का संबंध केरल सरकार से है । अतएव राज्य लोक निर्माण विभाग से इस मामले में परामर्श किया गया । उस विभाग ने सूचित किया है कि उस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयां उसे ज्ञात है और इस सड़क के सुधार के लिये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । सुधार कार्य का कुछ भाग तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में किया जा रहा है और शेष कार्य राज्य की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया है ।

सपरेटा पाउडर का आयात

1105. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कुल कितने सपरेटा पाउडर का आयात किया गया;

(ख) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कितना पाउडर उपहार के रूप में दिया तथा कितना पाउडर विदेशों से खरीदा गया है;

(ग) उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) आयातित सपरेटा पाउडर का प्रति टन बम्बई में रेल भाड़ा सहित मूल्य क्या है;

(ङ) इस आयात के लिये कौन सी एजेन्सी/एजेन्सियों की सहायता ली गई; और

(च) भारत में इसका विक्रय मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (च) : जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

हुमायूं मकबरा, दिल्ली के निकट जमुना पुल का निर्माण

1107. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुमायूं के मकबरे के पीछे जमुना पुल के निर्माण के लिये ठेका सर्व प्रथम 1961 में दिया गया था;

(ख) ठेके की शर्तें तथा उपबंध क्या थे;

(ग) क्या ठेका पूरा किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ङ) क्या टेंडर पुनः मांगे गये थे;

(च) यदि हां, तो कब;

(छ) नये ठेके की शर्तें तथा उपबंध क्या है; और

(ज) पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, हुमायूं मकबरे के पीछे यमुना पर पुल के निर्माण का ठेका पहले मई, 1961 में दिया गया था।

(ख) ठेके के लिये निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत 60,85,622 रु० थी और बातचीत के बाद स्वीकार किया गया सबसे निम्न ठेका 49,28,231 रु० का था। निर्माण कार्य के पूरा करने का समय उसकी शुरूआत से 36 महीने था।

(ग) और (घ) : ठेका करने वाली फर्म ने ठेके पर दस्तखत नहीं किये और ठेका किये गये आफर के अलावा अतिरिक्त खर्च का दावा किया। ये दावे नामंजूर कर दिये गये और निर्माणकार्य का पंचाट मंसूख कर दिया गया।

(ङ) और (च) : 31 जुलाई, 1963 को फिर से टेंडर मांगे गये और अक्टूबर, 1963 में निर्माण-कार्य का पंचाट देने का निर्णय लिया गया।

(छ) ठेके के लिये, निर्माणकार्य की प्राक्कलित लागत 50,76,000 रु० की रखी गई थी और निर्माणकार्य के लिये 88.50 लाख रुपये पर ठेका दिया गया था। निर्माणकार्य की अवधि उसके शुरूआत से 36 महीने आंकी गई थी। निर्माणकार्य 15 नवंबर, 1963 से प्रारंभ किया गया है।

(ज) अभी तक 39 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

सीमा क्षेत्रों की परिवहन सम्बन्धी समस्यायें

1108. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के सीमा क्षेत्रों की परिवहन संबंधी विशेषकर नदी परिवहन संबंधी समस्याओं के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इन क्षेत्रों में परिवहन सुचारु रूप से चलता रहे यह सुनिश्चित करने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) उस क्षेत्र की सड़क, सड़क परिवहन और अन्तर्देशी जल परिवहन से संबद्ध समस्याओं का अध्ययन करने के लिये परिवहन मंत्री और परिवहन मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है।

(ख) और (ग) : इन क्षेत्रों में संचार विकास करने की दृष्टि से परिवहन पद्धति की कमजोर कड़ियों को सशक्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उस क्षेत्र में संयोजित रेल और सड़क तथा रेल और नदी सेवायें भी विकसित की जा रही हैं।

चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण

1109. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री द्वा०ना० तिवारी : **श्री कपूर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीनी के कारखानों की मशीनों आदि को ठीक करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किये है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत में चीनी के कारखानों की मशीनों आदि को ठीक करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी समिति द्वारा सरकार को दिये गये अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें 31–8–65 को तारांकित प्रश्न संख्या 321 के उत्तर देते समय सभा-पटल पर रख दी गई थीं।

(ख) सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

Co-operation from Private Transport operators during Emergency

1110. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. N. Chaturvedi :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Gulshan :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Buta Singh :**
Shri Parashar : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) the nature of co-operation received by Government from private transport operators during the last Pakistani attack:

(b) the number of private vehicles damaged during the last Indo-Pak. conflict;

(c) whether any arrangements have been made by Government for paying compensation to the owners, operators and other persons engaged on the said transport work for the loss suffered by them; if so, the nature thereof; and

(d) the details of loss of life and property caused to the private sector transport industry?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Reports received indicate that private truck operators offered their vehicles to Government ungrudgingly during the emergency.

(b) & (d). The information is being collected from the State Governments concerned and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received.

(c) Yes. Compensation is payable for use of vehicles requisitioned. Higher scale of compensation has been provided for the loss of vehicles as a result of enemy action. Priority will also be given for replacement of lost vehicles.

Agricultural Production

1111. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the special measures adopted by the Block Development Administration to increase the agricultural production;

(b) whether the Block Development Officers and staff members possess practical knowledge of advanced agricultural methods;

(c) the number of Development Blocks which possess their own model agricultural farms for experimentation and demonstration ;

(d) whether there are arrangements for refresher courses in agricultural production for the Block Development Officers and their staff; and

(e) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) Besides the other administrative and organisational measures for stepping up agricultural production in the present context, the Block Administration has been assigned special responsibilities for ensuring maximum utilisation of available irrigation facilities, organising plan protection measures and accelerating the programmes of composting, poultry, pisciculture and fruits and vegetable cultivation.

(b) The Extension Officers (Agriculture) who are graduates in Agriculture have the knowledge; the Village Level Workers also have basic knowledge of improved agricultural practices. The Block Development Officers, responsible for coordinating the work of agricultural production in the Block, possess working knowlege of the subject.

(c) Apart from the departmental agricultural farms, the Blocks do not, as such, have separate farms for experimentation and demonstration. The Block staff, however, carry out demonstrations of improved agricultural practices on fields belonging to the farmers.

(d) The syllabi for training courses of Block Development Officers and other Extension Officers have been revised in the context of the need for increased agricultural production. Extension Officers (Agriculture)/(Animal Husbandry) and Village Level Workers and Gram Sevikas are also provided refresher training in the subject.

(e) The Block Development Officers and other Extension Officers are given a fifteen day training course once every five years which includes topics on agricultural production.

Extension Officers (Agriculture)/(Animal Husbandry) are given one month's subject matter refresher training after every three years at Agriculture/Veterinary Colleges, Agricultural Universities and other suitable institutions.

Village Level Workers are given two months refresher training in agricultural production and allied subjects at the Gram Sevak Training Centres after three to five years of field work. The two months refresher training course at the Gram Sevika Training Centres, prescribed for Gram Sevikas who have put in more than three years service in the field, also includes topics on Agriculture and allied subjects.

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखे

1112. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लेखा परीक्षकों ने उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गत आठ सर्ष की लेखा परीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी रकम का गोलमाल पाया गया है;

(ग) धन के दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (घ) : सरकार को इन बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य विधानमंडल के अन्तर्गत गठित किया गया है और, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, न तो भारत सरकार और न ही खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है ।

Quality of Milk Supplied by D. M. S.

1113. **Shri Ram Sevak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quality of milk being supplied by the Delhi Milk Scheme is deteriorating day by day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government for the supply of nutritious milk to the public?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

माल भाड़ा दर

1114. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और ब्रिटेन से आने वाले तथा उन देशों को जाने वाले माल की भाड़ा दरों पर भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह व्यापार करने वाली जहाजरानी कम्पनियों आदि ने अभी तक भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण माल भाड़ा दरों में किसी वृद्धि की घोषणा नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया टर्मिनल बिल्डींग, बम्बई

1115. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एयर इण्डिया' का विचार बम्बई में एक "सिटी एयर टर्मिनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग" बनाने का है;

(ख) इस परियोजना पर कितना धन व्यय होगा ;

(ग) क्या 'एयर इण्डिया' ने इस परियोजना के 'डिजाइनों' के लिए 'कोटेशन' मांगे थे ;

(घ) क्या एक विदेशी कम्पनी को 'डिजाइन', सिविल कार्य के अधीक्षण के लिए तरजीह दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 3.93 करोड़ रुपये।

(ग) से (ङ) : चूंकि भारत में भवन-निर्माण आयोजन में गगनचुम्बी (स्काई-स्क्रैपर) भवन बनाने का विचार एक नई बात है, यह सोचा गया कि गगनचुम्बी भवन बनाने में भवनों के डिजाइन बनाने में किसी अनुभवी विदेशी भवन-निर्माण विज्ञ से परामर्श किया जाये। तदनुसार, नक्शे बनाने के लिए एक अमरीकी भवन-निर्माण फर्म को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, ढांचे का डिजाइन, वातानुकूलन का डिजाइन, सिविल और अन्य कार्य का पर्यवेक्षण भवन-निर्माताओं और इंजीनियरों की एक भारतीय फर्म को सौंपा गया है। इस भवन परियोजना के बारे में निगम के प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार द्वारा परियोजना मंजूर कर ली जाने के बाद भवन के निर्माण के लिए भारतीय फर्मों से 'कोटेशन' मांगी जायेंगी। परामर्शदाता भवन-निर्माताओं को शुल्क के रूप में लगभग 150,000 डालर दिये जायेंगे जिसमें से 60,000 डालर परिवहन-सामग्री के बिक्री के विरूद्ध हिसाब में ले ली जायेगी।

गैर-सरकारी जहाज कम्पनियों के पुराने जहाज

1116. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर-सरकारी जहाज कम्पनियों को अपने पुराने जहाज विदेशों को बेचने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा उपार्जित करने के विचार से जुलाई, 1965 में आदेश जारी किये गये थे कि भविष्य में पुराने भारतीय जहाजों की बिक्री विदेशों में ही करनी पड़ेगी। ये आदेश गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की जहाज कम्पनियों दोनों पर ही लागू होते हैं। इन आदेशों के अनुसरण में अब तक दो गैर-सरकारी जहाज कम्पनियों के तीन पुराने जहाज बेचे गये हैं।

ग्राम समाज में प्रचार

1117. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संसद् सदस्य को एक परिपत्र भेजा था जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के संघर्ष से सम्बन्धित मुख्य बातों से ग्राम्य समाज को अवगत कराने के लिये उनका सहयोग मांगा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में संसद् सदस्यों ने कितना उत्साह दिखाया और मंत्री द्वारा संसद् सदस्यों को भेजे गये परिपत्र में निहित उद्देश्य को पूरा करने के लिये क्या तरीके अपनाने की सलाह दी गई थी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक संसद् सदस्यों से उत्तर प्राप्त हो गया है। उनके द्वारा दिये गये सुझावों में से एक क्षेत्रीय प्रयास में धनिष्ठतर समन्वय करने तथा इस सम्बन्ध में गांवों में जाने वाले संसद्-सदस्यों को खंडों में परिवहन तथा श्रवण-दृश्य सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उपयुक्त हिदायतें दे दी गई हैं।

पर्यटन से आय

1118. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन से होने वाली आय चालू वर्ष में काफी घट गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : आय का प्राक्कलन एक जटिल क्रियाविधि है। विगत वर्ष के प्राक्कलन जिस दित्ता और क्रियाविधि पर आधारित थे वे अपर्याप्त समझे गये। इसलिये अन्य बातों के अलावा पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा की आय के प्राक्कलन की व्यवस्था के लिये परिवहन मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण नियोजित किया गया था। सर्वेक्षण जुलाई, 1965 से कार्य कर रहा है और उसका कार्य जून, 1966 में सम्पूर्ण हो जायेगा। अतएव इस समय आय पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

मैसूर में मछली पकड़ने का उद्योग

1119. **श्री बासप्पा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मछली पकड़ने का उद्योग किस पैमाने पर चल रहा है; और

(ख) इस उद्योग का विस्तार करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मैसूर राज्य में सक्रिय रूप से मछली पकड़ने में लगभग 20,000 मछियारे लगे हुए हैं और उनके पास 6,500 पाल वाली नौकायें तथा 200 यंत्रीकृत नौकायें हैं। वार्षिक मछली उत्पादन 1.89 लाख टन है जिसमें से 0.04 लाख टन का निर्यात होता है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अभी भी तैयार की जानी है। समुद्र तथा अन्तर्देशीय जल में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कई परियोजनाओं के प्रस्ताव हैं, जिनमें मछली पकड़ने की शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, मछली विपणन संघों का गठन, मछली पकडने के उद्योग से सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों की सहायता आदि के लिए व्यवस्था है। लगभग 5.50 करोड़ रुपए खर्च करने का विचार है।

भारत कृषक समाज

1120. **श्री बासप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत कृषक समाज को कोई सहायता दे रही है;

(ख) क्या सरकार ने अपने मंत्रालय के अधीन बने किसी निकाय में इस संस्था को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस निकाय का नाम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

ट्रैक्टरों का आयात

1121. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री चाण्डक :
श्री महेश दत्त मिश्र :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री बड़े :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 7 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी कालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है; और

(ग) 66 लाख रुपए की आवश्यकता पूरी करने के लिए और कितनी विदेशी मुद्रा दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) राज्य सरकारों को और विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जायेंगे परन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि पूरी मांग कब तक पूरी हो सकेगी।

चीनी का अभ्यंश

1122. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के चीनी के अभ्यंश में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या पंजाब में देहाती और शहरी क्षेत्रों में चीनी के वितरण में होने वाले भेदभाव को दूर कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संबद्ध है।

(ग) और (घ) : राज्य में चीनी के वितरण की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारें करती है। पंजाब के नगरीय क्षेत्रों में वितरण प्रति माह प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण पंचायतें आवश्यकतानुसार करती हैं। गांवों में वितरण की पद्धति निश्चित करना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक की आवश्यकता अलग अलग होती है।

विवरण

टनों में

राज्य	चीनी का बढा हुआ मासिक कोटा
1. आन्ध्र प्रदेश	3,000
2. बिहार	2,750
3. गुजरात	500
4. केरल	200
5. मध्य प्रदेश	500
6. मद्रास	750
7. महाराष्ट्र	1,000
8. मैसूर	200
9. उड़ीसा	450
10. पंजाब	1,000
11. राजस्थान	1,000
12. उत्तर प्रदेश	4,000
13. पश्चिम बंगाल	750
14. गोआ	100
15. जम्मू तथा काश्मीर	100
16. त्रिपुरा	58
17. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25

पंजाब में पर्यटन केन्द्र

1123. **श्री दलजीत सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कुछ पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में अब तक पंजाब के जिन वर्तमान पर्यटन केन्द्रों का विकास किया गया है, उनके नाम क्या है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग को पेश किये गये चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए निम्न योजनाएं सुझायी गयी है :—

भाग 2 योजनाएं (लागत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी)	रु० लाखों में
1. कुलू, कांगड़ा, मनाली और मनिकारन क्षेत्रों का समेकित विकास 2. सुरजकुंड और वदखाल पट्टी (नयी दिल्ली के निकट) पर्यटक सुविधाओं का विकास।	90.00

(ग) चालू योजना काल में पंजाब में पर्यटन की निम्न-लिखित योजनाएं शुरू की गयी हैं :—

1. **मनाली**

   (क) पर्यटक बंगला प्रथम वर्ग।

   (ख) शेड, इत्यादि जैसी कैम्पिग विकास की सुविधाओं की व्यवस्था।

2. **कुलू**

   पर्यटक बंगला प्रथम वर्ग का निर्माण।

3. **कटरेन**

   रीवर व्यू गेस्ट हाउस की खरीद और उसे पर्यटक बंगले में बदलना।

4. **पिंजोर**

   पिंजोर उद्यानों का विकास तथा वहां बिजली लगाना।

5. **सूरज कुंड**

   जलपान गृह की पहुंच सड़क, पार्किंग क्षेत्र और कर्मचारीयों के लिए क्वार्टर।

हल्दिया में सूखी गोदी

1124. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 में श्री ए० आर० मुदलियार की अध्यक्षता में नियुक्त की गई जहाज मरम्मत समिति ने सिफारिश की है कि हल्दिया में 800 फुट की एक और सूखी गोदी बनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) श्री ए० रामस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जहाज़रानी बोर्ड की उप-समिति ने सिफारिश की है कि हल्दिया में 800 फुट की एक सूखी गोदी होनी चाहिये ।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पर्यटन

1125. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के लिये राज्यवार "पर्यटन" शीर्षक के अन्तर्गत कितनी रकम नियत की गई ;

(ख) अब तक कितनी रकम वास्तव में खर्च की गई; और

(ग) यदि खर्च में राज्यवार कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत जिन योजनाओं की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णरूप से (भाग 1) या आंशिक रूप से (भाग 2) पूरी की जाएगी उनमें पर्यटन के लिए किये गये राज्यवार विनिधान बताने वाला और उन योजनाओं पर चालू योजना के अन्त तक प्रत्याशित व्यय दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5216/65।]** कालम 3 में प्रत्येक राज्य में होने वाला कम व्यय भी दिखाया गया है। कमी होने का मुख्य कारण यह है कि पर्यटन योजना के अन्तर्गत कई योजनाएं एक बार चीन के आक्रमण और फिर पाकिस्तान के वर्तमान संघर्ष के कारण रुकी रहीं। मितव्ययिता के कारण पर्यटन की योजनाओं को निम्न प्राथमिकता दी गयी। फिर पर्यटन की अधिकांश योजनाएं दूर स्थित स्थानों पर निर्माण कार्य के रूप में है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा पूरी की जाती है। चूँकि ये विभाग उच्च प्राथमिकता की बड़ी योजनाओं के काम में व्यस्त रहते हैं इस लिए पर्यटन की योजनाओं पर काम धीरे धीरे होता है। इस मंद प्रगति का एक और कारण यह है कि इन दूर स्थित स्थानों पर के काम के लिए ठेकेदार कठिनाई से मिलते है और इमारती सामान और मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं।

बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक होटल

1126. श्री लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा बंगलौर में एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक होटल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस योजना पर कितना खर्च होगा ; और

(घ) यह योजना कब पूरी होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। राज्य सरकार के सहयोग से भारतीय पर्यटन होटल निगम द्वारा बंगलौर में एक होटल की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना से संबद्ध प्रारंभिक अध्ययन पूरे हो चुके हैं।

(ग) और (घ) : योजना की लागत का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी।

नकदी तथा खाद्य फसलों के दाम

1127. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह सुझाव दिया गया है कि नकदी तथा खाद्य फसलों के दामों में समानता होनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय किस सुझाव से है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि कृषि मूल्य आयोग ने उत्पादक के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करते समय वैकल्पित सिद्धांत के तौर पर अन्ततः कृषि मंडी मूल्य अनुपात की मूवमेंट को दृष्टि में रखा था। आयोग का मत यह था कि मंडी मूल्य अनुपात के परिवर्तन से न्यूनतम मूल्यों का समायोजन करने में सहायता तो मिल सकती है परन्तु उनके प्रारंभिक स्तरों का निर्धारण करने के लिए उनसे कोई सुदृढ़ आधार नहीं मिलता।

Rabi crop in Mechanised farm at Suratgarh

1128. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rabi crop has not been sown in the Central Mechanised Agricultural Farm at Suratgarh; and

(b) if so, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). No. An area of 2,480 acres has been sown with rabi crops up to 6-11-1965 at the Farm. Due to the very adverse state of irrigation water supplies available for the forthcoming Rabi season, it would be possible to undertake Rabi sowings over an area of about 5,000 acres only, including an area of 1,200 acres under Mexican wheat.

केरल में राशन का अभ्यंश

1129. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल में खाद्यान्न का राशन घटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राशन कितना घटाया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सारे देश में प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति राशन 2 किलो तक सीमित रखने की सामान्य नीति के अनुसार केरल में राशन 320 ग्राम से घटाकर 280 ग्राम कर दिया गया है। तथापि राशन में चावल की मात्रा कम नहीं की गई है और 160 ग्राम चावल मिलता रहेगा।

मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें

1130. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई शीर्षक के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) क्या मैसूर राज्य को अब तक प्रदान की गई राशि तालाबों की मरम्मत पर प्रासंगिक व्यय को मिलाकर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तीसरी योजना व्यवस्थायें 1961—65 के लिए वास्तविक तथा पुर्वानुमानित खर्च और लघु सिंचाई योजनाओं के हेतु 1965—66 के लिये खर्च (जिसमें अक्तूबर, 1965 तक अतिरिक्त निर्धारण शामिल हैं) सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये, संख्या एल० टी०–5217/65 ।**]

(ख) तथा (ग) : चालू वित्तीय वर्ष 1965—66 के दौरान मैसूर राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपये का खर्च अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाते हुए कि राज्य सरकार ने अपने बजट में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, मई, 1965 में राज्य के लिए एक करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। चूंकि राज्य सरकार ने अपने बजट में वर्ष के लिए केवल 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, एक करोड़ रुपये की राशि जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और अधिक की व्यवस्था करना सम्भव नहीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने बजट में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपये जो मूलतः अनुमोदित किये गये थे, की व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पुष्टि होने पर उनके और अतिरिक्त निर्धारण सम्बन्धी केस पर विचार किया जाएगा।

गौहाटी में भर्ती केन्द्र

1131. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कर्मचारी भर्ती करने के लिये गौहाटी में एक केन्द्र खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये आसाम में एक प्रशिक्षण संस्थापन की स्थापना के लिये आसाम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) उस क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारियों को सब से अधिक नौकरी मे रखने वाले रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी लि० से कहा गया है कि वे इस मामले का परीक्षण मौजूदा और भविष्य को सम्मुख रख कर करें।

केरल में बोलगट्टी महल का पट्टा

1132. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बोलगट्टी महल को एक प्राइवेट होटल मालिक को पट्टे पर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। केरल सरकार ने बोलगट्टी महल को खुले टेन्डर द्वारा लीज़ पर देने का निश्चय किया है।

(ख) पर्यटन यातायात के विकास के लक्ष्य से बोलगट्टी महल को लीज़ पर देने का निश्चय किया गया है ।

(ग) जी हां। केरल राज्य सभा, त्रिवेन्द्रम में साम्यवादी दल के मंत्री श्री सी० अचुथा मेनन से केरल राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) यह प्रतिवेदन केरल सरकार के विचाराधीन है। परिवहन मंत्रालय भी केरल राज्य सरकार के साथ इस विषय में बातचीत कर रहा है।

विशाखापटनम पत्तन

1133. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में अयस्क घाट तैयार हो गये हैं और उनका प्रयोग होने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। बर्थों का प्रायोगिक व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) नार्थ ओर बर्थ 15 दिसम्बर 1964 को पूरी हो गई थी और साउथ बर्थ 5 जून 1965 को।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sugar Mills in Madhya Pradesh

1134. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to open four sugar mills on cooperative basis;

(b) if so, the names of the proposed areas; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a), (b) & (c). Nine applications were recommended by the Madhya Pradesh Government for the establishment of cooperative sugar factories in Madhya Pradesh at the following places :—

S.No.	Proposed area of location
1	Morena District (Jora).
2	Indore District.
3	Shivpuri District (Karera).
4	Tikamgarh District (Niwari).
5	Chhindwara District.
6	Narsinghpur District (Kareli).
7	Jabalpur District.
8	Hoshangabad District (Pipariya).
9	Betul District (Betul).

Letter of intent has however, been issued in August, 1965 for the establishment of only one factory in Morena District at Kailaras. The remaining cases have not been found suitable due to inadequate cane availability.

मैसूर में दुर्भिक्ष

1135. श्री बासपा :

श्री लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में कई स्थानों में दुर्भिक्ष और सूखे की स्थिति दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कालीकट हवाई अड्डा

1136. श्री मुहम्मद कोया : क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) स्थान का चुनाव करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । स्थान का चुनाव करने में इस कारण विलम्ब हुआ है कि परस्पर अच्छाई निश्चित करने के लिए संभावित स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण कराना था, भूमि-अर्जन की व्यवहार्यता का निर्धारण करना था तथा उसके वित्तीय विवरण तैयार करना था ।

उत्तर प्रदेश को रबी की फसल के लिये ऋण

1137. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रबी की फसल सुनिश्चित करने के लिये ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से रबी की फसल सुनिश्चित करने के लिए ऋण नहीं मांगा है । फिर भी उस सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उवरकों की खरीद तथा वितरण के लए 6.0 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण सहायता के लिए प्रार्थना की, जिसमें से 3 करोड़ रुपये की राशि मूलरूप से सितम्बर, 1965 में स्वीकृत कर दी गई थी । राज्य सरकार ने शेष तीन करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति के लिए अपनी प्रार्थना को फिर दोहराया । अल्पकालीन ऋण के रूप में एक करोड़ रुपये की और राशि राज्य सरकार के लिए हाल ही में स्वीकृत की गई है ।

Bridge Across Gomti

1138. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bridge across Gomti river on the National Highway between Varanasi and Ghazipur is nearing completion;

(b) whether it will be ready within the scheduled time;

(c) the acreage of land acquired for the construction of the bridge and the approach road;

(d) whether full compensation was given to the farmers whose land was acquired; and

(e) if not, the amount of loss sustained by the farmers?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). Yes, Sir. The target date for completion is 31st July, 1966.

(c) Bridge proper—5·32 acres (permanently acquired).

Varanasi side approach—34·01 acres (permanently acquired).

Ghazipur side approach : 170·28 acres (permanently acquired) 248·07 acres (temporarily acquired)

(d) and (e). Full compensation has been paid to all farmers whose land was acquired for the bridge proper and the Varanasi side approach. For Gazipur side approach, full compensation amounting to Rs. 9,003·60 has been declared for the land temporarily acquired and payments are being made as and when the

owners come for collecting the same. For the land acquired permanently for the Gazhipur side approach, awards are being prepared and the compensation will be declared and paid thereafter. The question of the farmers sustaining the loss does not, therefore, arise. For the delay in payment they will be paid interest due under the Land Acquisition Act.

Import of Foodgrains

1139. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains imported from abroad from the 15th August, 1947 to October 1965;

(b) total value in terms of Indian currency;

(c) the ratio of foodgrains imported from U. S. A. under PL-480 to the total quantity imported;

(d) the average price of imported wheat and rice per maund including procurement and other expenses; and

(e) the total approximate expenditure incurred by Government for increasing agricultural production on minor irrigation schemes, animal husbandry, fisheries, poultry farming, piggeries from 1947 to 1965, including the estimated expenditure of the year 1965-66?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) 63606 thousand tonnes.

(b) Rs. 2634 crores approximately.

(c) Ratio of foodgrains imported under PL-480 in relation to the total quantity shown against (a) above is 51·4% but in relation to the total quantity of 41515 thousand tonnes imported since 1956, when PL-480 imports commenced, it works out to 78·8%.

(d) A statement giving the required information is attached. [**Placed in the Library. See No. L. T.-5218/65**].

(e) Rupees 783·4 crores, inclusive of budget provision for 1965-66 and expenditure incurred by way of recoverable loans and grants given to the States and also the expenditure incurred in the Union Territories.

Counting of Votes

1140. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have in view a proposal according to which permission would be accorded to count the votes immediately after they are cast at polling booths during election; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard?

Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) No ; Sir. There is no such proposal under consideration in view of the practical difficulties resulting in following the proposal.

(b) Does not arise.

गांवों में सामाजिक सुरक्षा योजनायें

1141. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गांवों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है; और

(ख) इन कार्यक्रमों को बन्द करने से कितनी बचत होने की आशा है ?

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना

1142. श्री यशपाल सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री द० ब० राजू :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी संयुक्त स्कन्ध समवायों को खाद्यान्न के उत्पादन के लिए बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1143. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पहाड़ी विकास सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी योजनायें तैयार की है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार चाहने वाले व्यक्तीओंकी की तुलना में रोजगार के अवसरों का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के लिए इस समिति ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में कृषि तथा उससे सम्बन्धित विषयों में पहाड़ी विकास कार्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए जो वर्किंग ग्रुप के सब-ग्रुपस् स्थापित किये गये, ने अपनी रिपोर्टें तैयार कर ली हैं, किन्तु उनमें से कुछ अभी अन्तिम रूप से नहीं हुई है। ये रिपोर्टें केवल मार्गदर्शक हैं विस्तृत योजनायें नहीं।

सब-ग्रुप की रिपोर्टें उस स्टीरिंग कमेटी द्वारा समन्वित की जायेंगी जो विभिन्न मन्त्रालयों में स्थापित वर्किंग ग्रुपस की रिपोर्टों को समन्वित करने के लिए योजना आयोग में स्थापित की गई है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में कार्य करने वाले वर्किंग ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार चाहने वाले व्यक्तियों की तुलना में रोज़गार के अवसरों का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम

1144. **श्री हेमराज :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कृषि भूमि को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल देने के हेतु अधिनियम मे संशोधन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में डेरी फार्म

1145. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने इस समय पाकिस्तान शत्रु का सामना कर रही प्रतिरक्षा सेनाओं की दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पंजाब में बड़ी संख्या में डेरी फार्म स्थापित करने के लिये सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख) : कोई विशेष प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

देसी गेहूं का संभरण

1146. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आरम्भ की जाने वाली राशन व्यवस्था के अन्तर्गत केवल आयातित गेहुं और आटा ही दिया जायगा, देसी गेहूं नहीं; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में देसी गहूं और आटा किस प्रकार दिया जायेगा तथा इसका भाव और वितरण कैसे नियंत्रित किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास

1147. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में सूखे और असाध्य रोगों के कारण देश के दक्षिणी भाग में रुई का उत्पादन बहुत कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : दक्षिणी राज्यों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष मान्सून की अनुपस्थिति के कारण कपास की बुवाई देरी से हो सकी है। परन्तु समस्त रूपसे देखा जाए तो फसल की स्थिति संतोषजनक है।

आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद ज़िले के घाट क्षेत्रों अेल–147 कपास की फसल की लगभग 3000 एकड़ भूमि का क्षेत्र 'जासिदस' से प्रभावित हुआ जिसकी सामयिक तौर पर पौद रक्षा उपायों द्वारा रोक थाम की गई। अन्य दक्षिणी राज्यों से महामारी तथा कीटों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश को उर्वरक का दिया जाना

1148. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में उर्वरक की भारी कमी दूर करने के लिये तत्काल 50,000 टन उर्वरक भेजने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू त्रिमाही के दौरान रबी फसलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 90,530 मीट्रिक टोन्ज़ के अपने निर्धारणों में से उर्वरकों का शीघ्र सप्लाई के लिए अनुरोध किया है।

(ख) आवश्यकतानुसार विशेष ट्रेन चला कर बन्दरगाहों तथा कारखानों से उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक सप्लाई करने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1149. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को 1965–66 में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजनायें आरम्भ करने के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

योजना	1965-66 के लिए स्विकृत राशि (लाख रु० में)
1. मैट्रिक-पूर्व स्कूल	0.15
2. रिहायशी स्कूल	1.14
3. कृषि तथा औद्योगिक सहायता के लिये वित्तीय सहायता .	0.15
4. कूएं खोदना	0.35
योग .	1.74

उर्वरक का जमा हो जाना

1150. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल और रूरकेला उर्वरक कारखानों में इस समय उर्वरक के स्टाक जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टाकों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में भाण्डागार

1151. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उड़ीसा में नये भाण्डागार खोलने के प्रस्ताव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी, हां। वर्तमान निर्णय यह है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम जाजपुर रोड में एक भाण्डागार और उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम रामापुर और वीरप्रतापपुर में दो भाण्डागारों का निर्माण करें। जाजपुर रोड का भाण्डागार पूरा होने वाला है और अन्य दोनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

Director of Moghul Line Limited, Bombay

1152. Shri Masuriya Din : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Israr-ul-Haq of Kotah has been appointed as Director of Mughul Line Ltd., Bombay.

(b) whether it is also a fact that he has no known source of income;

(c) whether the Government of Pakistan had protested against his arrest by Police in 1961 under sections 452, 380 and 147 of I.P.C.

(d) whether criminal proceedings against him are still in progress in the Court of Kotah City Magistrate or in some other Court; and

(e) if the reply to any of the above parts be in the affirmative, the action Government propose to take in the matter?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : No information is available.

(d) Shri Israr-ul-Haq has informed Government that there is a case under Section 454 for trespass in respect of some disputed property, involving 17 persons including himself. This case is still sub judice.

(e) No action is contemplated. Further information is being collected.

Bridges on Bareilly-Amingaon Road

1153. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2532 on the 21st September, 1965 and state :

(a) the total number of small and large bridges which will be constructed on the Bareilly-Amingaon road in U. P.; and

(b) the particular places where these will be constructed?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The total number of small and large bridges to be constructed on the U. P. portion of the Bareilly Amingaon Lateral Road is given below:—

(i) Major Bridges (length over 500 ft.)	5 Nos.
(ii) Medium Bridges (length between 100 ft. and 500 ft.) . .	39 Nos.
(iii) Minor Bridges (length between 20 ft. and 100 ft.) .	66 Nos.
TOTAL	110 Nos.

2. This number may slightly vary depending on the requirement of bridges on certain diversions where alignment has been recently finalised.

(b) A list showing the location of bridges is enclosed. **(Placed in the Library. See No. L.T.-5219/65.)**

Production of Seeds

1154. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to produce in Government farms the seeds of foodgrains produced in the foreign countries;

(b) if so, the particulars of the foodgrains whose seeds have been produced; and

(c) the criteria adopted for supplying these seeds to the farmers?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Recently, the Government has imported about 250 tonnes of high yielding varieties of wheat seeds (Sonora-64 and Lerma Rojo) to cover about 7,500 acres. Arrangements have been made for the multiplication of about 75% of these seeds on certain Government farms, both of the States and the Centre.

Besides, the Government had also imported a small quantity of paddy seeds (Taichung Native I). These seeds were distributed to progressive farmers and organisations like the National Tonnage Clubs of India and also the Government farms. The seeds so multiplied would be collected by the National Seeds Corporation and a further multiplication programme under contract system is going on with the farmers in the second crop season for 15 to 20 thousand acres so as to produce sufficient seed to cover 2 million acres in 1966-67.

(c) The criteria adopted for supply of the seeds are that the farmer must have the necessary resources and be sufficiently enterprising to supply the inputs and observe recommended agronomic practices etc. for these highly fertilized intensive crops, as these varieties are not for marginal production conditions but only for the maximum production conditions.

वन विकास

1155. श्री लिंग रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में राज्यों में वन विकास योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) व्यय में कमी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकारी क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई लगभग 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना में लगभग 43 करोड़ रुपए व्यय होने की सम्भावना है । "शीघ्र उगने वाली किस्म के वृक्ष लगाने" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 2.75 करोड़ रुपए की योजना व्यवस्था की तुलना में 3.31 करोड़ रुपए व्यय होने की सम्भावना है ।

(ख) कुछ राज्यों में व्यय में कमी होने की सम्भावना है, परन्तु अन्य राज्यों में प्रत्याशित व्यय योजना-उपबन्ध से भी बढ़ जायेगा । मुख्यत: कमी "फार्म फारेस्ट्री" तथा "फारेस्ट कन्सोलिडेशन" की योजनाओं के अन्तर्गत हुई है । योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास संगठनों के माध्यम से गावों की समस्त उपलब्ध सांझी भूमि में वृक्ष लगाये जाने थे । योजना के लिए धन की कमी तथा जनता से कम सहयोग प्राप्त होने के कारण योजना अच्छी तरह से प्रगति न कर सकी जहां तक "फारेस्ट कन्सोलिडेशन" की योजना का सम्बन्ध है, केरल सरकार ने प्राइवेट वनों के अधिग्रहण के लिए 100 लाख रुपए की व्यवस्था की थी परन्तु इस योजना पर बहुत थोड़ी राशि व्यय हो सकी ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें

1156. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या खाद्य तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया गया है;

(ख) जून, 1965 के अन्त तक कितनी सहायता दी गई;

(ग) योजना की शेष अवधि में कितनी धनराशि दी जानी है; और

(घ) यह कब तक दे दी जायेगी; और

(ङ) यदि यह धनराशि तीसरी योजना अवधि में नहीं दी जानी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघुसिंचाई कार्यक्रम के लिए 18.26 करोड़ रुपये की लागत की एक अनुमोदित योजना व्यवस्था रखती है । इसके मुकाबले 1964–65 तक लगभग 20.85 करोड़ रुपये कुल खर्च हुए (1961–64 तक वास्तविक और 1964–65 के लिए पूर्वानुमानित)। चालू वित्तीय वर्ष 1965–66 के दौरान 7.48 करोड़ रुपये का प्लान आऊटले स्वीकृत है । राज्य सरकार को अक्तूबर, 1965 (जून, 1965 तक 65 लाख रुपये और अक्तूबर, 1965 के दौरान 29 लाख रुपये) तक और केन्द्रीय वित्तीय सहायता जो निर्धारित की गई है उसकी राशि 94 लाख रुपये है । इस प्रकार अक्तूबर, 1965 तक कुल खर्च जो हुआ । स्वीकृत हुआ 29.27 करोड़ रुपये है जो मूल तीसरी योजना व्यवस्था से अत्यधिक है । इस राशि में दोनों केन्द्र तथा राज्य के खर्च के हिस्से शामिल हैं । राज्य सरकार को आर्थिक सहायता का केन्द्रीय हिस्सा जो केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अनुमोदित नमूनों पर आधारित है विकास "कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास शामिल है" के विस्तृत शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है योजनावार नहीं । 1958–59 की संशोधित प्रणाली शुरू होने के कारण ऐसा हुआ । अतः लघु सिंचाई के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : संयुक्त केन्द्रीय दल जो हाल ही में राज्य में गया था की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता की आगे अतिरिक्त व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है । जो भी राशि अन्तिम रूप से स्वीकृत की जाएगी राज्य सरकार को शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

बकरी पालन

1157. श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में दूध की कमी को पूरा करने के लिये बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है !

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस के कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन मिल्क गोट एसोसिएशन दिल्ली में एक डेरी गोट ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है । प्रस्ताव की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) अल्पाइन, नूवियन आदि विदेशी नस्लों के द्वारा देशीय दुधारु बकरी का सुधार करना ।

(2) डेरी बकरी उद्योग की अगाधता का प्रदर्शन ।

(3) अधिक प्रजनन क्षमता वाली 100 देशीय हिरणियां तथा 5 विदेशी हिरणों की देखभाल ।

(4) उत्पादन तथा अस्पताल आदि को बकरी के दूध की बिक्री और बकरी के दूध की खपत को लोकप्रिय बनाना ।

(5) हिरनियों तथा हिरनों का उत्पादन और वितरण ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्रस्तावित फार्म के लिए पंचायती भूमि का एक टुकड़ा उपलब्ध करना स्वीकार कर लिया है । फिर भी एसोसिएशन को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में उनकी प्रार्थना पर विचार हो रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

1158. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को कुछ अन्य उद्योगों पर लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को लाभ होगा; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग आयेंगे ?

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिनियम को अन्य उद्योगों में लागू करने के प्रस्तावों पर विभिन्न अवस्था में विचार किया जा रहा है, और जैसे की किसी उद्योग के बारे में अन्तिम निर्णय हो जायेगा, उस में यह अधिनियम लागू कर दिया जायेगा ।

(ग) और (घ) : अधिनियम इस समय 43.5 लाख कर्मचारियों पर लागू है । जिन उद्योगों में इस अधिनियम के लागू करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उनमें कर्मचारियों की संख्या लगभग 2 लाख है । इन उद्योगों की सूची संलग्न है । मंशा यह है कि शीघ्रतिशीघ्र अधिक से अधिक उद्योगों में यह लागू किया जाये ।

विवरण

1. कपास ओटना, बेलना और गांठें बनाना ।
2. पटसन बेलना और गांठें बनाना ।
3. अधात्विक खनिज उत्पाद ।
4. कुछ गैस तैयार करने, उनके वितरण अथवा ढुलाई से सम्बन्धित संस्थापनायें ।
5. सिंकोना बागान ।
6. छत और फर्श के पत्थर तथा परिमाण-पत्थर (डांइमैंशन स्टोन) आदि बनाने वाली पत्थर की खदान ।
7. फ़ैरो-मैंगनीज कारखाने ।
8. स्थानीय निकाय ।
9. आतिशबाजी और कैप-वर्क्स उद्योग ।
10. मेस ।
11. लिनोलियम ।
12. इंडोलियम ।
13. नमक ।
14. नौकान्तरण संस्थापनायें ।

15. पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग ।

16. विस्फोटक उद्योग ।

17. मछली तथा अन्य सामिष पदार्थ परिरक्षण उद्योग ।

18. ठेकेदारों अथवा अन्य गैर-सरकारी संस्थापनाओं द्वारा चलाई जाने वाली रेलवे बुकिंग एजेन्सियां ।

19. हाथ से दूध निकालने से संबंधित संस्थापनायें ।

20. मशीनी औजार, उपकरण (जैसे रोड रोलर, कोलस आदि) अथवा अन्य चीज़ें किराये पर देने वाली संस्थापनायें ।

21. तम्बू और कपड़े बनाने वाले कारखाने ।

Agricultural Production

1159. Shri Baswant : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Miki, an agricultural expert of Japan has offered suggestions for increasing agricultural production in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of States which implemented the said suggestions?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

केरल सड़क परिवहन निगम

1160. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने केरल सड़क परिवहन निगम को शेयर-पुंजी के हिस्से के रूप में कितनी राशि प्रदान की है ; और

(ख) निगम के कार्यों को बढ़ाने की क्या योजनायें हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 50 लाख रुपये ।

(ख) निगम की 1965–66 की विकास योजनाओं का मोटा ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(क) सिविल निर्माण कार्य	25 लाख रुपये
(ख) 6 क्षेत्रीय वर्कशापों की स्थापना . .	15 लाख रुपये
(ग) कुछ अतिरिक्त रास्तों की बस सेवा के राष्ट्रीयकरन के लिये 110 नयी मोटर गाड़ियों की खरीद .	55 लाख रुपये
(घ) यात्रियों और कर्मचारियों के लिये सुख सुविधायें .	10 लाख रुपये
कुल	105 लाख रुपये

सरकारी क्षेत्र में चावल की मिलें

1161. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में नई किस्म की चावल की मिलें स्थापित करने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ख) ये मिलें कब तक चालू हो जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तिरूवारूर (मद्रास), मंडया (मैसूर), मेमारी (पश्चिमी बंगाल) और रायपुर (मध्य प्रदेश) में सहकारी चावल मिलों में मशीनें लगाई जा चूकी हैं और परीक्षण के रूप में मशीनें चलाई जा रही हैं। इन मिलों के लिए सेलीकरण यूनिट, शोषक (ड्रायर) और खत्रियां (साइलो) जैसी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के कार्य में प्रगति हो रही है । विक्रमगंज (बिहार) में मिल स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है शीघ्र ही कार्य पूरा हो जायेगा। ताडेपल्लीगूडेम (आन्ध्र प्रदेश) में निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और मशीनें आदि लगाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है ।

(ख) खत्री (साइले) गोदाम को छोड़कर सभी मिलों के जनवरी, 1966 तक चालू हो जाने की आशा है ।

अगरतला-आसाम सड़क

1162. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान होकर होने वाला सभी यातायात बन्द हो जाने के परिणाम-स्वरूप अगरतला-आसाम सड़क पर यातायात बहुत बढ़ गया है और इसके कारण यह बहुत बुरी तरह से टूट फूट गई है !

(ख) क्या इसको तुरन्त चौड़ा करने की जरूरत है ; और

(ग) यदि हां, तो सड़क को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) : त्रिपुरा लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी गयी सूचना से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान होकर जाने वाले क्रास-रेल यातायात के बन्द होने के कारण इस सड़क पर दबाव बढ़ गया। इस कारण इस सड़क के असामान्य रूप से टूटने की कोई सूचना नहीं दी गयी है । फिर भी भारत सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिलाँग-अगरतला सड़क को और सुधारने के प्रस्ताव पर पृथक विचार कर रही है । इस में यानमार्ग को आवश्यकतानुसार चौड़ा करना भी शामिल है और उस ने इस के लिए एक योजना पहले ही तैयार कर ली है । उक्त योजना पर अंतिम निर्णय लेने के बाद ही और अधिक सुधार कार्य शुरू किया जाएगा ।

कलकत्ता-अगरतला भारवाही सेवा

1163. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई गैर-सरकारी विमान समवाय कलकत्ता से अगरतला माल ढो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस समवाय का नाम क्या है ;

(ग) माल ले जाने के भाड़े की दरें क्या हैं ; और

(घ) कुल सामान पहुँचाने में कितना समय लगा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा की सड़कें

1164. श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर-इम्फाल, सिल्चर-इजाल, तथा पासी-बदरपुर सड़कों के निर्माण में तथा इनको सभी मौसमों में प्रयोग के योग्य बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या अगरतला-शिलांग सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस सड़क का बारक नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है, तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : पूछी गई सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6220/65।]**

वेलारी हवाई अड्डा

1166. श्री पोट्टेकाट्ट :

श्री अ० व० राघवन :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने कालीकट के निकट वेलारी हवाई अड्डे को नियमित डकोटा सेवा के लिए इस्तेमाल किये जाने के बारे में स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रस्ताव स्वीकार करने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। यह हवाई पट्टी अपनी वर्तमान स्थिति में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अनुसूचित परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है । फिर भी, कलीकट में एक हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त स्थानों का सर्वेक्षण करते समय इस आफर हो दृष्टि में रखा गया है ।

केरल में गैर-सरकारी वन

1167. श्री अ० व० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मालावार क्षेत्र में गैर-सरकारी बनों को अर्जित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अधिकृत रूप से इमारती लकड़ी काटना बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मद्रास गैर-सरकार बन संरक्षण अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कितने मुकदमे चलाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख) तथा (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दुग्ध संयंत्र

1168. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने के लिए 'यूनीसेफ' से करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) परियोजना प्रतिवेदन के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारत सरकार ने 27 अक्तूबर, 1965 को लुधियाना दुग्ध परिरक्षण परियोजना की क्रियाविधि संबंधी योजना पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) योजना के अन्तर्गत दुग्ध, दुग्ध पाउडर, घी, मक्खन तथा पनीर तैयार करने के लिए लुधियाना में एक दुग्ध परिरक्षण संयन्त्र की स्थापना की जायेगी । विकास का कार्य क्रमावस्था के अनुसार होगा । यूनीसेफ ने 800,000 डालर की रकम देने का करार किया था जिसमें से यह संस्था 175,000 डालर की रकम दे चुकी है । आवश्यकता पड़ने पर और रकम की व्यवस्था की जायेगी । इस योजना के लिए पंजाब सरकार को लगभग 1.05 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे ।

(ग) क्रियाविधि की योजना पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । अतः परियोजना रिपोर्ट का प्रश्न ही नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में "फ्लाइंग क्लब"

1169. **श्री लखमू भवानी :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के युवा लड़कों तथा लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में 'फ्लाइंग क्लब' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश में दो फ्लाइंग क्लब अर्थात् मध्यप्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर और नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर पहले से ही स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त रायपुर में एक फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब की स्थापना की सिद्धान्तरूप में सहमति अगस्त, 1961 में मिल चुकी थी । क्लब को दो ग्लाइडर और एक विंच उधार दिये गये हैं, इसके अनुदेश देने वाले इंजीनियरी और परिचालन कर्मचारी नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं

7—4 L. S./66

और क्लब ने ग्लाइडिंग प्रशिक्षण मई, 1965 से आरम्भ कर दिया है । इस क्लब को ग्लाइडिंग उत्पादान योजना में शामिल कर दिया गया है और इसे उपदान/आर्थिक सहायता निर्धारित दरों पर मिलेगी ।

आगे, क्लब ने बम्बई फ्लाइंग क्लब से एक ट्रेनर विमान खरीदा है और नागर विमानन के महानिदेशक, पावर फ्लाइंग के लिए एक इंजीनियर की नियुक्ति का अनुमोदन कर चुके हैं । आशा है कि क्लब, पावर फ्लाइंग का प्रशिक्षण निकट भविष्य में आरम्भ कर देगा ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिंद महासागर में ब्रिटेन द्वारा सैनिक अड्डों की स्थापना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matters of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Proposed establishment of military bases in the Indian ocean by U. K.".

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : The British Government have decided to set up a new colony to be known as the British Indian ocean territory, to provide defence facilities for the British and United States Governments in the Indian Ocean. Certain Islands at present administered by the Governments of Mauritius and Seychelles, both of which are British Colonies, have been taken over to form the new colony.

While some compensation will be paid to the Governments of Mauritius and Seychelles for taking over these islands, the amount remains to be determined.

It appears that the British Government have made these arrangements in view of the grant of independence to Mauritius in 1966.

Government of India's policy in regard to bases in the Indian Ocean has been one of strong opposition and this is known to the British Government.

Shri Madhu Limaye : May I know whether it is a fact that Britain has adopted this course in view of the efforts being made to oust British imperialism in Adan which indicates their departure from that cell and whether a precondition has been laid down on Mauritius to part with these islands and whether it will be Britain or Mauritius to exercise Suzerainty over these islands?

Shri Dinesh Singh : It is very difficult for us to say as to whether a precondition was laid down on Mauritius because we had no source to know about the same. However, it is apparant that since Mauritius is to get independence in 1966, that is why British Government have excluded these islands.

Shri Madhu Limaye : What about Suzerainty over these islands?

Shri Dinesh Singh : According to the proposals made known by the British Government , it seems that these will be dominated by Britain.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : क्या ब्रिटिश सरकार की प्रचलित प्रथा के अनुसार विशेषत: लेबर पार्टी की सरकार होने के नाते इस अड्डे का उपयोग पाकिस्तानी फैसिइज्म को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देने के लिए नहीं किया जायेगा ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से कोई पूछ-ताछ की है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि इस अड्डे का उपयोग पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष सुविधायें देने के लिए किया जायेगा। किन्तु जैसा कि उन्हें प्रतिरक्षा सम्बन्धी अड्डे बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को प्रतिरक्षा समझौते वालो देशों में से एक सदस्य होने के नाते वहां से कुछ सहायता मिल सकती है, इस पर भी हम हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में मौरीशस के निकट स्थित दीगो गार्सिया द्वीप समूहों को 30 लाख पौंड ऋण देने के ब्रिटिश प्रस्ताव के पीछे सैनिक अड्डा सम्बन्धी योजना बनाई गई है और क्या यह द्वीप समूह सामरिक महत्व की दृष्टि से अमरीका के लिए महत्वपूर्ण है ?

श्री दिनेश सिंह : यह 30 लाख पौंड की धन राशि जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मौरीशस को कैगोस अड्डे की स्थापना के लिए प्रतिकर के रुप में दिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, सामरिक महत्व की दृष्टि से इस द्वीप समूह का बहुत महत्व पूर्ण स्थान है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : मुझे बनारस विश्वविद्यालय में उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में आज कतिपय सदस्यों से एक अन्य ध्यान दिलाने वाली सूचना प्राप्त हुई है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhanjhar) : Sir, I gave notice of a Short Notice Question on 18th. At the instance of your secretary.........

Mr. Speaker : The Hon. Member may hear me.

I received notices and I have disallowed them on the plea that when the Bill is before the House, there is no need to allow them. Both the Houses are Sovereign. The Rajya Sabha is itself master of its own business. Despite the fact that it has passed the Bill, even so, they have allowed these and a Statement was accordingly made in that House.

I want one thing to ask: If the Hon. Minister desires to make a Statement in the House thereon, I can revive the notice and allow the members to raise Supplementaries or, the other way out is this that efforts should be made by Government to see that the Business of both the Houses are coordinated in order to facilitate Government to know about that. I cannot say anything. If he made a statement in the other House, he can as well do it in this House at 5 p.m. this evening.

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : This is all right that he should make a statement here. But I would like to make a submission that it approve of by the House, including opposition Members, the Bill may be immediately taken up

[Shri Lal Bahadur Shastri]

in this House. We can take it up even tomorrow and put it to the vote of the House irrespective of the agenda already announced. It is much better that we have it here tomorrow.

Shri H. V. Kamath : It may be taken up tomorrow.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज मैंने समाचार पत्र में वहां की गंभीर स्थिति तथा छात्रों द्वारा प्रोक्टरके कार्यालय पर कब्जा कर लिए जाने के सम्बन्ध में पढ़ा। मेरा अनुरोध है कि वाद-विवाद आरम्भ होने से पहले माननीय मंत्री महोदय वहां की स्थिति पर एक वक्तव्य दे दें। विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है।

Mr. Speaker : The hon. Minister is not present. He was not given notice of.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : इसका विधेयक के उपबन्धों से किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं है। बनारस विश्वविद्यालय के आहते में एक स्थिति उत्पन्न की गई है—यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन करता है, यदि बनारस विश्वविद्यालय के आहते में ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनसे समुचे देश में व्याकुलता फैली हुई है, तो विधेयक के उपबन्ध सही हो अथवा गलत, इस बात को बिलकुल छोड़कर भी, हम वहां की वर्तमान स्थिति तथा विधान के पारित हो जाने की अवधि तक सरकार स्थिति पर किस तरह काबू पार ही है, के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं, यही हम चाहते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी : राज्य सभा ने जिस तरीके से इस विधेयक को पारित किया है अथवा उसके संशोधन किया है, उसी के परिणामस्वरुप यह सब गड़बड़ पदा हो गई है। अतः यह कहीं अच्छा है कि विधेयक को इस सदन में लाया जाए और उस पर हम अपना मतदान दें। ऐसा किये जाने पर यह गड़बड़ पूर्णतः शान्त हो जायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुन्द) : मैं भी चटर्जी की बात का समर्थन करता हूं। चुकि राज्य-सभा ने इसका नाम बदल दिया है, अतः अब केवल लोकसभा द्वारा ही इस मामले को हल किया जा सकता है। आज 5 बजे शाम वक्तव्य दिये जाने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि विधेयक कल इस सभा में लिया जाए।

Shri Bade (Khargone) : The situation has gone worse there. Goverment should divert its attention to the situation and come soon with a statement in the House. Parliament should not be kept ignorant of the situation as it exists there.

Mr. Speaker : If some agitation is launched or a compaign started or a certain situation develops or created against the passage of a Bill by a House or against the decision taken by that House thereon can the development which has thus taken place form the subject matter of a Calling Attention Notice? The second question is how we should deal with Calling Attention Notices on this subject if the decision taken by the other House is also endorsed by this House. There can be two things. Probably the decision that this House will take may tackle the situation and also request in the end of the agitation the Second possibility is this—may be this—I am not telling it—that whatever the Rajya Sabha has done might also be endorsed by this House and the legislation thus passed by the Parliament. How far it will be correct if the hon. Members then come with Calling Attention notices or Adjournment motions and ask for a discussion

to be raised on the agitation formulated by the so passed legislation? In these circumstances I think that it will be much better if we take up the Bill earlier and give our decision as the hon. Prime Minister has just now suggested.

श्री हो० ना० मुकर्जी : विधेयक किसी एक विशेष मामले से सम्बन्धित है। हमें उसके उचित तथा अनुचित उपबन्धों पर विचार करके उस पर निर्णय देना है। बनारस में, एक विशेष प्रकार का आन्दोलन चल रहा है और सरकार को उससे निपटना है। हमें उसके शैक्षिक तथा अन्य पहलुओं पर निष्पक्षरुप से विचार करना है, किन्तु जहां तक बनारस विश्वविद्यालय के आहते में, जो केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार है उत्पन्न स्थिति का सम्बन्ध है, इस सभा का अधिकार है कि वह सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त करके उस पर अपनी राय प्रकट करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस पर और आगे कोई चर्चा की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री केवल यह बता सकते हैं कि वहां इस समय क्या स्थिति है। इस आन्दोलन के उद्देश्य क्या हैं और क्या उनकी मांगे हैं—इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में दोपहर बाद एक वक्तव्य देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है कि कल विधेयक इस सभा के समक्ष लाया जायेगा। हमें क्या यह आश्वासन दिया जा सकता है कि विधेयक आज पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ताकि हम विधेयक का अध्ययन करके कल सभा में आ सकें।

अध्यक्ष महोदय : इसे अभी पुरःस्थापित किया जायेगा। सचिव।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 जिसे राज्य-सभा ने अपनी 16 नवम्बर, 1965 की बैठक में पारित किया, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है।"

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रुप में

सचिव : श्रीमान् मैं बनारस हिन्दु-विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में सभा-पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण विधेयक की प्रतियां ले सकते हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I am raising a question of privilege against the Prime Minister in connection with the Ichhogil Canal. It is based on facts which are as follows:—

The Ichhogil canal in the Khemkaran and Kasur area flows underneath the river sutlej. But the Prime Minister in his statement said that the river flowed underneath the canal.

Secondly, since the Ichhogil canal passed under the river Sutlej, it was possible for Pakistan to close the canal and to take her forces secretly through the tunnel. But the Prime Minister had denied this.

Mr. Speaker : I have once given my ruling that only when a Member or Minister or the Prime Minister makes a Statement knowing it to be false can a question of breach of privilege arise. No wrong Statement and no Statement even if it is considered false by any other member can give cause for a breach of privilege motion. Therefore there was nothing of that sort in this motion, and I, therefore, disallow it.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Prime Minister made a wrong statement knowing it to be false.

अध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य, चाहे वह मंत्री हो, जानबूझकर झूठा वक्तव्य देता है, जब उसे इस बात की जानकारी है कि तथ्य इसके विपरीत हैं और इसके पश्चात् वह जानबूझकर गलत वक्तव्य देता है,, तभी केवल विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई भी गलत वक्तव्य अथवा अन्य कोई वक्तव्य, चाहे किसी सदस्य द्वारा उसे झूठ ही क्यों न समझा जाए, विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव का कारण नहीं बन सकता। इसलिए प्रस्तुत प्रस्ताव मे इस किस्म की कोई भी बात नहीं है और, इसलिए मैं इस पर अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I would like to raise a point of order under article 105 of the constitution.

Mr. Speaker : No point of order can be raised on my ruling. Now paper to be laid on the Table.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल सर्वेक्षण तथा सीमा अधिनियमों में संशोधन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं श्री चि० सुब्रह्मण्यम् की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सर्वेक्षण तथा सीमा अधिनियम, 1961 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 286/65 की एक प्रति, जो दिनांक 20 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सर्वेक्षण तथा सीमा नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—5203/65।]**

खान अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं, चीनी उद्योग तथा गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियमों के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड पर सकारी संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं—

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) धातूत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1581 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोयला खान (तीसरा संशोधन) विनियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1602 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1603 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) धातूत्पादक खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1604 में प्रकाशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5204/65।]**

(2) गोदी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 13 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3525 में, प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—5205/65।]**

(3) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—7(2)/65 दिनांक 16 नवम्बर, 1965 की एक प्रति जिसके द्वारा चीनी उद्योग के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5206/65।]**

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) अधिसूचना संख्या 9/65 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कतिपय आगे संशोधन किये गये।

(दो) औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गम तथा प्रबन्ध) संशोधन विनियम, 1965 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10/65 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5207/65।]**

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)

श्री शाहनवाज खां : मैं भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के वर्ष 1961—62 और 1962—63 के वार्षिक प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5208/65।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1656 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (खुदरा मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1657 में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—5209/65 ।**]

नियम समिति

RULES COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

बारहवां प्रतिवेदन

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : मैं भारतीय आइल कम्पनी (वर्तमान भारतीय आइल कारपोरेशन लिमिटेड) के बारे में प्राक्कलन समिति के 28वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाही के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 12वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

एकस्व विधेयक—जारी

PATENTS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पेटेंस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये 22 नवम्बर, 1965 के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

श्री श्रीनारायणदास अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Sir, this Bill does not provide for the International Convention for the protection of industrial property. I would like to know from the Minister as to why we have not joined the International Convention for the protection of industrial property.

The Second thing that I would like to mention about is that the Bill provides for the Government to take over the right of patent in the national interest. It is very extensive. But it can be done only when compensation is paid. There is also a provision in the Bill which empowers the Government to acquire any patent and it is good that it also gives the right to the patentee in such cases to appeal to the High Court.

I have not gone through the Atomic Energy Act. But it should be made clear whether the Secrets in respect of the manufacture of atomic weapons are patentable or not.

If somebody giving a new shape to something which is already produced or invented and thereby claims the patent right, in that case this right cannot be granted to him. I, therefore, suggest that in clause 29, the year 1912 should be omitted.

Now I come to the Patent agent. The Bill provides for the Government to take over the right of removing the name of any patent agent from the patent register maintained for the purpose. It should, therfore, be clarified whether an appeal can be filed against the decision of the Government to remove the name of a patent agent from the patent register.

Under clause 66, the Govt. will have a right to revoke any patent if it sees that the patent is being misused and it operates against the interest of the the country. In such cases, I suggest that the patentee should have the right to appeal against the decision of the Government.

The Bill is now being referred to the Joint Committee. They should not allow any provision to be incorporated in the Legislation which may allow any patentee or inventor to harm the country. On the other hand, an inventor who has produced something in the interest of the society, country or individuals should not be deprived of the benefit of his invention.

I would also suggest that the work relating to patents should be entrusted to able Scientist and an efficient organisation should handle this work.

With these words, I support the motion for reference of the Patents Bill to a Joint Committee.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : जिन लोगों को एकस्व विधान कार्यरूप में परिणत करने का अनुभव है, वे जानते हैं कि इस बारे में 1911 का कानून व्यापक नहीं है। इस बारे में मुझे याद है कि विधेयक 1953 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु फिर पता नहीं उसका क्या बना। फिर 1957 में भी इस दिशा में प्रयास किया गया। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के विधान की बहुत आवश्यकता है। इस विधान के कार्य के बारे में जिन लोगों को अनुभव है, वे यह जानते हैं कि वास्तव में 90 प्रतिशत एकस्व विदेशियों के हाथ में है। भारतीयों के पास इस दिशा में केवल 10 प्रतिशत भाग है। अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में भारतीयों को आविष्कार करने में सहायता दें। इस बारे में मेरा मत यह है कि सरकार को बिना उचित प्रतिकर के किसी एकस्व के अर्जन की शक्ति देना लगभग बिना प्रतिकर से वंचित करने के समान है। विधान में इस प्रकार का उपबन्ध असंवैधानिक घोषित कर दिया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अन्तर्गत कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता।

खंड 5 के अन्तर्गत चीजों के दावों के सम्बन्ध में आविष्कार के बारे में एकस्व नहीं दिया जा सकता परन्तु पद्धति अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी दावों को अस्वीकार किया जा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि

[श्री नि० चं० चटर्जी]

व्यवहारिक रूप में हम कोई एकस्व और एकाधिकार नहीं देंगे और उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देंगे जिसमें अपनी अविष्कार सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण कोई ऐसी वस्तु का निर्माण किया हो जो रोगों को दूर करने तथा अन्य बातों के प्रति लाभदायक हो। वास्तव में बात यह है कि यदि हम विभिन्न आविष्कारों के सम्बन्ध में एकस्व अधिकार की अनुमति प्रदान नहीं करते तो हमारी एकस्व विधि वास्तव में नकारात्मक हो जायेंगी और इस से नये उत्पादों के लिये अनुसन्धान को किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक बात तो सब ही समझ सकते हैं कि कानूनी अदालत में प्रक्रियाओं के उल्लंघन को प्रमाणित करना बहुत ही कठिन होता है। अतः मेरा कहना है कि यह बनावटी विभेद नहीं किया जाना चाहिये।

इस विधयक से एक लाभ अवश्य होगा कि वास्तव में सरकार को किसी एकस्व पर अधिकार करने अथवा इसे रद्द करने की शक्ति प्राप्त हो जायेंगी। और इसके लिये यह कह दिया जायेगा कि इसका उपयोग सरकार अपने लिये करना चाहती है। यह शब्द "इसके अपने प्रयोग के लिये" जो इस उपबन्ध में डाले गये हैं, इसका यही अर्थ हो सकता। और यह इतना विस्तृत और व्यापक है। इसका यह प्रभाव कि एकस्व विधि ही रद्द हो जायेगी। मेरा मत यह है कि इसका कुछ उद्देश्य नहीं हो सकता। हमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं रखना चाहिये कि अनुचित जब्ती के लिये इस प्रकार व्यापक अधिकार दे दिये जाये। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि जहां तक एकस्व शब्द का सम्बन्ध है इसमें भेद नहीं किया जाना चाहिये। जहां एक मामले में इसकी अवधि 10 वर्ष की होगी वहां दूसरे मामले में यह 14 वर्ष हो जायेगी। समय की अवधि रखी तो जानी चाहिये, परन्तु एक जैसी होनी चाहिये। सब के लिये चार वर्ष रख दिये जाय तो ठीक रहेगा।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन उद्देश्यों का उल्लेख विधेयक में है उनको सामने रखते हुए इस विधेयक को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाना चाहिये। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे आविष्कारों को प्रोत्साहन न प्राप्त हो। वर्तमान विधेयक से भारत में सभी विदेशी सहकारिता का अन्त हो जायेगा। यह बहुत बड़े महत्व की बात है। वैसे भी इससे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता, दक्षिण पश्चिम) : यदि इस विधेयक का सही अर्थों में विश्लेषण किया जाये तो पता चलता है कि यह देश के साथ बहूत बड़ा धोखा है। देश के हित को छोड़ कर इसमें केवल विदेशी सहयोगियों का हित ही एक मात्र हित है, जिस विधेयक को प्रारूपित करते समय

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सामने रखा गया है। यह विधयक उन एकस्वियों के प्रभाव से प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि 1922 से लेकर आज तक एकस्व विधि का लाभ उठाकर देश का शोषण करते आ रहे हैं। और देश को लूट कर अपना हाथ रंगते रहे हैं। मैं इस संदर्भ में यह भी कह सकता हूं कि सरकार ने विदेशी एकस्वियों के दबाव में आकर, विशेष रूप में दवाइयों वाले एकस्वियों के, मूल विधेयक को छोड़ दिया है। इन औषधि एकस्वियों का संगठन बहूत ही शक्तिशाली है और वे लोग प्रत्येक प्रकार से सरकार को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।

एकस्व विधि के अन्तर्गत जो संरक्षण दिये गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे लाभ उठाते हुए इन लोगों ने क्या अनुसंधान तथा आविष्कार किये हैं? ये लोग अपने लिये सारा का सारा कच्चा माल जो उन औषधियों के लिए जरूरी होता है, बाहर से मंगा रहे हैं। 'सिबा' के अतिरिक्त किसी भी सार्थ ने किसी प्रकार की अनुसन्धान शाला स्थापित नहीं की। यह भी नहीं किया गया कि इन लोगोनें देश में मूल औषधियों बनाने के लिय लिए कोई स्वदेशी संयन्त्र स्थापित नहीं किया। और विधि ने आज तक लोगों को अनसन्धान तथा आविष्कार करने में कोई सहायता नहीं दी। न ही इस दिशा में कोई प्रोत्साहन ही दिया गया। प्रत्युत इससे इस दिशा में रूकावट ही पैदा हुई हैं।

मैं यह भी निवदन करना चाहता हूं कि विधेयक के मूल प्रारूप में खाद्यान्नों, औषधियों तथा भेषजों के लिए एकस्व की अवधि सात वर्ष रखी गयी है। वर्तमान विधेयक में यह अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी है। सरकार को बताना चाहिये कि सरकार ने किस दबाव और किस सिद्धान्त के अनुरूप यह तबदीली की है? किस हित को ऐसा करते हुए सामने रखा गया है? मंत्री महोदय ने बताया है कि अब निर्मित वस्तु नहीं बल्कि केवल प्रक्रिया के एकस्व की अनुमति दी जाती है। क्या कारण है कि स्वामिस्व का निर्णय करते हुए एकस्व प्राप्त वस्तु अर्थात् जिस वस्तु का निर्माण किया जाय, उस वस्तु के कारखाने को मूल्य निर्धारित करने दिया जाता है, और फिर उस को आधार माना जाता है। मेरा अनरोध यह है कि एकस्व का निर्धारण करते समय हमें स्वदेशी कच्चे माल का मूल्य तथा उत्पादन मूल्य काफी कम कर देना चाहिये मेरा अनुरोध है कि संयुक्त समिति को इस पर विचार करना चाहिये।

यदि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को औद्योगिक लाइसेन्स दिया जाता है, तो वह अन्तिम है। एकस्व नियंत्रक को व्यक्ति की पूंजी की व्यवस्था करने तथा अविष्कार से लाभ उठाने की तथा जोखिम उठाने की क्षमता की पुनः जांच करने का अधिकार दिया जाये। एकस्व को प्रक्रियाओं तक सीमित करने का कुछ अर्थ नहीं होगा जिसका कारण यह है कि हमारा रासायन उद्योग विकसित नहीं है। इस दिशा में यह एक तथ्य है कि एकस्वाधिकार लाइसेंसों की व्यवस्था से एकाधिकार प्रभावशाली रूप से समाप्त नहीं हो सकेंगे क्योंकि भारतीय फर्मों को एकस्वियों से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय फर्में, यथा संभव अधिक लाभ उठाना चाहेगी।

हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जहां तक जीवन का बचाव करने वाली दवाइयों का सम्बन्ध है, एकस्व विधि रखने का कोई नैतिक आधार नहीं है। मेरा तो स्पष्ट मत यह है कि उन्हें एकस्व के योग्य नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि प्रमाणु शक्ति सम्बन्धी अविष्कारों को एकस्व न होने के योग्य बनाया जा सकता है तो खाद्यान्न, औषधियों, तथा जीवन का बचाव करनेवाली दवाइयों को एकस्व न होने के योग्य क्यों नहीं बनाया जा सकता है। आखिर इसके लिये कुछ कठिनाइयों को तो प्रस्तुत किया जाय।

यह बहुत ही अच्छी बात है कि 1956 में हमें रूस सरकार द्वारा बहुत ही सरल शर्तों पर लगभग 18 करोड़ रुपया मिलेगा। इस धन का उपयोग चार बड़े कारखाने बनाने पर किया जायेगा। यह प्रस्थापना बहुत ही प्रशंसनीय है। इस सब को मिलाकर लगभग एकीकृत भेषज उद्योग बनेगा जिस से कृत्रिम भेषज, विटामिन, एन्टी बायटिक औषधियों, हारमोनों तथा मध्यवर्ती रसायनों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जायेगा। यह देश के लिये बहुत ही अच्छी बात होगी। 1962 की बात है कि परिवर्तित रुप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। यदि रूसी कारखानों को चालू किया जाना है, जैसा कि सुझाव दिया जाता है तो इसका प्रभाव तो बहुत गहरा होगा। इससे बड़ी एकाधिकारी समवायों का जो प्रभाव बाजार पर पड़ता है वह प्रायः समाप्त हो जायेगा।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि संयुक्त समिति को विदेशी एकाधिकारी एकस्वियों के हितों के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख कर इस दिशा में विचार करें। विधेयक में जो दोष हैं, उन्हें इसी दृष्टि से दूर किया जाना चाहिये। और राष्ट्रीय हित और आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इस पूरे विधेयक पर ही व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिये। राष्ट्रीय हित ही सरकार के समक्ष होना चाहिये और किसी प्रकार के बाहय दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देश के साथ भारी धोखा किये जाने वाली बात होगी।

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके पीछे जो भावना है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। आखिर बहुत देर तक औषधिवालों का एकाधिकार सरकार सहन नहीं कर सकती। यह एकस्व अधिनियम गत 50 वर्षों से देश में लागू है, परन्तु इस पर भी देश ने कोई प्रगति इस दिशा में नहीं की है। न कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान हुआ है और कोई औद्योगिक विकास ही

[श्री छ० म० केदरिया]

हुआ है। औषधियों और भेषजों के मामले में भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकस्वों से आविष्कार करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि एकस्व विधि द्वारा अविष्कारकर्त्ता को दिये गये संरक्षण का पूरा लाभ उठाने के लिये, जिन परिस्थितियों की अपेक्षा होती है, वे देश में विद्यमान नहीं है। हमारा विकास हो रहा है अतः जरुरी नहीं कि विकसित देशों में जो बात अच्छी है वह हमारे यहां भी अच्छी हो।

भेषज उद्योग में बहुत कम अनुसंधान हुआ है। जो भी अनुसन्धान हुआ है उसका लाभ नहीं उठाया जा सका। मेरा निवेदन यह है कि अनुसन्धान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इसके लिये कोई एकस्व विधि हो। एकस्व को दिये जाने के स्थान पर अविष्कार करने वालों तथा वैज्ञानिकों को पारितोषक दिये जाने चाहिये। जो लोग बीमारियां को दूर करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं वे लोग एकस्व की चिन्ता नहीं करते। एकस्व का लाभ लोग व्यापारी तरीकों से करना मानव कल्याण की दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। एकस्वों से एकाधिकारों को बढ़ावा मिलता है। विदेशी सहयोगी भारतीय बाजार का दुरूपयोग कर रहे हैं।

इस विषय में भारत इटलीसे शिक्षा ले सकता है। इटली के भेषज उद्योग को कभी एकस्व की जरूरत महसूस नहीं होती। एकस्व विधि से देश को वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है। एकस्व विधि को रद्द कर दिया जाना चाहिये। औषधों में कोई एकस्व नहीं होने चाहिये। सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया तो हमें इसका समर्थन करना चाहिये। राष्ट्रीय तथा औद्योगक हि ों में इसे समर्थन मिलना चाहिये।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) **:** This law is in force in our country since 1911. But so far no basic changes have been made in this. A committee was set up in 1948 but their recommendations were not implemented. Later on a committee was set up in 1957, in the Chairmanship of Shri Rajgopala Ayyangar. Their 99 per cent of the recommendations have been accepted and in the changing circumstances certain other things are being inserted in this act. This Bill gives ample opportunity for exploitation by foreigners. The Hon. Minister has brought this Bill before Parliament under pressure by certain persons.

If any foreigner, after getting his invention patented, does not take effective steps in regard to his invention within 2 years, the Government will, under the provisions of this Bill, revoke his patent. This would be depriving the people of the benefit of experience he gained abroad as we are already backward in regard to scientific progress. We should be liberal in this respect till such time we reach at par with other countries in scientific inventions. We shall have to consider every aspect from practical point of view. We shall have to give protection to foreigners till such time we become self sufficient in the production of medicines, baby food etc. We sould take advantage of the inventions made by foreigners and make progress. The Government should reconsider the provision relating to two years in that light.

The term of a patent should be reduced from ten to six or seven years. There should be a provision in the Bill to make use of a new invention so that it can also be patented.

This is not the time of policies. We have to see as to how we can coordinate our efforts in the World progress. There is no doubt that we are much behind other countries. I agree with the basic spirit of the Bill and I thank the Hon. Minister for bringing this Bill. We should try to get benefit from any invention in the World in the public interest.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री द्वारा पेश किया जाना चाहिये था। इस विधेयक में पेटन्ट की बजाय उद्योग की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में इस देश की यूरोप के अन्य देशों से तुलना नहीं की जा सकती। सरकार को पहल करने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये कुछ उपबन्ध करना चाहिये ताकि वह आविष्कारिता की अपनी शुरुआत का उपयोग कर सकें और कुछ आविष्कार कर सकें। यह बन्धन बिल्कुल गलत है कि कोई विशेष उत्पाद को केवल इसलिये पेटेन्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ उत्पादन कुछ निर्धारित वर्षों में उन प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक यत्न हो जाता है और इससे सारी धारणा का अन्त हो जाता है।

हमें जिन औषधियों की अधिक आवश्यकता है, उनमें हमारे साथ विदेशी सहयोग है। हर जगह 49 प्रतिशत विदेशी सहयोग है और 51 प्रतिशत अंश हमारा है। लेकिन इनमें से कितने मामलों में हमने तकनीकी जानकारी प्राप्त की है? इसमें कितना समय लगेगा? इसमें क्या संशोधन किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को यह जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके ?

औषधियों और अन्य वस्तुओं को पेटन्ट किये जाने के बारे में प्रतिबन्धों में ढील दी जाय। यह अनुसंधान का युग है। यह भी हो सकता है कि एक आविष्कार के पेटन्ट किये जाने के बाद दूसरा आविष्कार कोई दूसरा विद्यार्थी करता है तो वह पेटन्ट के अधिकार से वंचित रह जाता है क्योंकि उनके आविष्कार का तरीका समान है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाय। इससे हमारे देश में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उन सिद्धान्तों के विरुद्ध हूं जिन पर इस विधेयक को पेश किया गया है।

हमें यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारा देश कम विकसित देश है ; वैज्ञानिकों को अधिक अवसर नहीं मिलते और हमें विदेशी सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है। आज औषधियों का उत्पादन लागत बहुत अधिक है। हर व्यक्ति को औषधि नहीं मिल पाती। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि "माइसीन" औषधियां सब निःशुल्क अस्पतालों में उपलब्ध होंगी अथवा उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिये ऐसी औषधियों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ताकि देश को इससे लाभ हो। विधेयक के उपबन्धों में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाय जिससे वह देश तथा समाज की परिस्थितियों के अनुकूल बन सके।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, a person who has spent so much of his time and energy in inventing something must get a proper return for it because it is a sort of his property and is something on which he has to make his living. But at the same time it should be seen that the new invention does not lead to an increase in the prices of these medicines through monopoly. Hence a proper balance should be maintained.

The effect of this Bill is on medicines and food. There has not been any change in the policies of Government. It should be seen that medicines produced in our country are available to masses at lower prices. The medicines, so patented, should be given wide publicity. It should be our effort to manufacture medicines in our own country through research and experiments in laboratories and their prices should be brought down.

Patent rights are civil rights and, therefore, there should be a provision in the Bill so that a person is entitled to move the High Court if he feels aggrieved.

Some time limit should be put on the patent rights allowed to foreigners in our country and during this period we should try to manufacture those items here ourselves.

[Shri Gauri Shanker Kakkar]

The Joint Committee should see that a person is not benefited so much through monopoly for life long. The Government should nationalise or take over that patent right so that the benefit goes to masses and the compensation should be paid in lump sum to the person concerned as it was paid in respect of immoveable properties. We should try to become self-sufficient in respect of medicines and food. During the last 17-18 years we have not made any progress. So at the time of consideration on the amendments in the Patents Bill, it should be taken in view that medicines & food, which have been allowed patent rights, should be taken over by Government so that they are produced in the country itself and the profit does not go out.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : यह कहा गया है कि मुल अधिनियम कुछ हद तक अपना मुख्य उद्देश्य पूरा करने में असफल सिद्ध हुआ है। इस विधेयक की जांच करते समय संयुक्त समिति यह देखे कि वर्तमान विधेयक में किये गये उपबन्ध उस उद्देश्य को कहां तक पूरा कर सकेंगे जो उद्देश्य मूल अधिनियम द्वारा पूरे नहीं किये जा सके अर्थात् क्या इस विधान से भारतीयों द्वारा किये गये आविष्कार को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे क्या इन अविष्कारों से देश में औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। यह बात मानी गयी है वर्तमान स्थितियों में 90 प्रतिशत पेटेंट कराने वाले विदेशी हैं। अतः पहली बात यह देखनी चाहिये कि पेटेंट प्राप्त करने के लिये विदेशियों को निरुत्साहित करने और भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान विधेयक पुराने अधिनियम से कहां तक भिन्न है।

यह कहा गया है कि यह विधेयक राजगोपाल आयंगर समिति के व्यापक प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों पर आधारित है। अतः संयुक्त समिति यह देखे कि यह उन सिफारिशों से कहां तक भिन्न है और जो सिफारिशें इसमें शामिल की गयी है अथवा छोड़ी गयी हैं क्या ऐसा इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में ठीक किया गया है। मुझे बताया गया है कि कई मामलों में आयंगर समिति की सिफारिशों को इस विधयक में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा करना भारतीय आविष्कारकर्त्ताओं के हित में नहीं है।

यह भी देखा जाय कि पेटेंट कराने वाले अपने अधिकार का लोगों के हित के विरुद्ध प्रयोग न करे। इस बारे में उपबन्धों की अच्छी तरह जांच की जाय और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन किया जाय। इस बारे में नियंत्रक के अधिकारों और पेटन्ट की अवधि के बारे में भी विचार किया जाय। यह कहा गया है कि 10 वर्ष की अवधि पेटन्ट का पूरा लाभ उठाने के लिये अपर्याप्त है। इस सब पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। कसौटी यह होनी चाहिये कि क्या नये विधेयक से भारत के हितों को लाभ होगा या हम पुरानी हालत में ही रहेंगे। यदि समिति ने इस दिशा में कुछ किया तो वह देश की बड़ी भारी सेवा करेगी। आखिर भारत का भविष्य उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : इस विधेयक को पढ़ने से अत्यंत प्रसन्नता होती है परन्तु यह विधेयक पहले ही पेश किया जाना चाहिये था। विधेयक कई समितियों द्वारा देखा जाता है। उन सभी समितियों से होकर यह विधेयक भी यहां पर पेश किया गया है और उनके विचार का परिणाम हमारे समक्ष है। परन्तु एक ऐसे विधेयक के बारे में आप क्या सोचेंगे जो इस सभा में मंत्रालय द्वारा पेश किया जाये और जिसका सात पृष्ठों का शुद्धि-पत्र हो? वर्तनी (स्पेलिंग), विराम चिन्ह तथा अन्य प्रकार की त्रुटियों के लिए कौन उत्तर दायी है? मेरे विचार से इस विधेयक से इस बात का पता चलता है कि हमारे मंत्रालयों के काम में कितनी ढिलाई आ गयी है। ऐसे विधेयक की, जिससे स्वतंत्र भारत को बहुत आशाएं है, सुन्दरता मारी जाती है। मुझे आशा है कि यह बात भविष्य में विधेयक को सभा में पेश करते समय ध्यान में रखी जायगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में रूढ़िवाद व्याप्त है। इस विधेयक का उद्देश्य आविष्कारों को प्रोत्साहन देना है। यदि इस विधेयक को ठीक प्रकार क्रियान्वित किया गया तो मुझे विश्वास है देश में आविष्कारकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु मुझे सन्देह है कि इस विधेयक

से ऐसा हो सकेगा। इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध होना चाहिए था जिससे आविष्कार करना इस देश में लाभकारी; तथा सम्मानित व्यवसाय हो सके ।

मेरे विचार से तो इस एकस्व विधेयक से लोगों में आविष्कार करने की प्रतिभा दब जायेगी। इस विधेयक में कुछ ऐसा उपबन्ध होना चाहिए कि इस विधेयक के संचालन से मिलने वाले धन में से कुछ राशि उसके अनुसार देश में उसी प्रकार आविष्कारिक योग्यता का पता लगाने के लिए रखी जाय जिस प्रकार हम देश में नई वैज्ञानिक प्रतिभा का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक खाद्य-पदार्थों पर लागू होगा और पारिभाषिक खण्ड के अनुसार खाद्य-पदार्थों से तात्पर्य किसी भी ऐसे पदार्थ से है जो बच्चों असमर्थ व्यक्तियों या स्वास्थ्य लाभ करने वालों द्वारा खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाये या लाने के योग्य हों । मेरे विचार से तो हमारे देश ने बनावटी खाद्य-पदार्थों के सिवाए अन्य किसी प्रकार के खाद्य-पदार्थों का निर्माण नहीं किया । मैं ऐसे बनावटी खाद्य-पदार्थों के बारे में समाचार पत्रों में बहुत से विज्ञापन देखता हूं । इन सब विभिन्न प्रकार के खाद्यपदार्थों का हमारा देश में अभाव है। हम आगे क्या करने जा रहे है यही कि हम किसी अन्य देश से पेटेन्ट लेकर उसे अपना बना लेंगे या फिर इस प्रकार के खाद्य-पदार्थ के लिए पेटेन्ट देंगे जो पौष्टिक तत्वों के सामान्य स्तर से निचले स्तर का हो। ग्लेक्सो तथा इस प्रकार के अन्य खाद्य-पदार्थ दूसरे देशों में उपलब्ध खाद्य-पदार्थों की केवल नकल मात्र है। आपको यह बताना होगा कि इस स्वतंत्र देश की स्थिति तथा देशवासियों के आर्थिक सामर्थ्य के अनुकूल किस प्रकार के खाद्य-पदार्थों के लिए इस विधेयक के अन्तर्गत पेटन्ट दिया जाता है । ऐसा करने पर ही यह खण्ड वास्तविक होगा ।

इस विधेयक में 'अविष्कार' से तात्पर्य है—"निर्माण की कोई नयी और उपयोगी कला, प्रक्रिया विधि या तरीका..........।"

हमारे देश में अब तक केवल साबून बनाने की कला, प्रक्रिया, विधि या तरीके का ही पता लगाया गया है । सब प्रकार के साबुनों के भड़कीले विज्ञापन मैं समाचार पत्रों में देखता हूं और इसी क्रीमों के विज्ञापन देखता हूं । परन्तु मुझे सन्देह है कि ये विधियां हमारे देश की हैं ।

हम टंकों, सुपरसोनिक वायुयानों हलों आदि का निर्माण करना चाहते हैं। इन सब प्रकार की चीजों, मशीनों आदि के निर्माण की कला, प्रक्रिया तथा विधि को किस प्रकार पेटेन्ट देंगे ? मुझे यह जानकर अत्यन्त हार्दिक प्रसन्नता होती है कि हम बाइसिकिलों, स्कूटरों, तथा सिलाई मशीनों का निर्माण कर रहे है । परन्तु यदि आप वास्तविकता देखें तो यह ज्ञात होगा कि ये चीजें यहां पर केवल जोड़ी (असेम्बल) जाती है। सदन में पूछने पर बताया जाता है कि इनमें 80 प्रतिशत पुर्जे देश में ही निर्मित है। परन्तु गणना करने पर यही ज्ञात होता है कि 80 प्रतिशत देशी पुर्जों की कीमत बाहर से मंगाये गये 20 प्रतिशत पुर्जों की कीमत से बहुत कम है ।

मै यह जानकर अत्यन्त भयभीत होता हूं कि औषधों तथा भेषजों को भी पेटन्ट दिया जायेगा । मेरा अनरोध है कि इन्हें पटेन्ट देते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाये। यद्यपि विधेयक में 'औषधों' तथा 'भेषजों' को परिभाषा पर्याप्त सावधानी के साथ दी गयी है । परन्तु मेरा सुझाव है कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जाये जिसके अनुसार औषधों और भेषजों को चार वर्गों में बांटा जाये अर्थात् एलोपैथिक, होम्योपथिक, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली औषधें और भेषजें। आधुनिक औषधों के पक्ष में ही अधिक बल देकर हम लोगों में उपक्रम भावना को दबा रहे है ।

देश में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाये गये लगभग 200 राज्यों से छुटकारा पाने के लिए हमने प्रयत्न किये परन्तु इस पेटेन्ट अधिनियम द्वारा हम फिर से नियंत्रक के रूप में एक छोटे राज्य का नरेश ही नहीं वरन् एक बड़े राज्य का महाराजा बनाने जा रहे हैं। नियंत्रक को विधायिनी शक्ति, रजिस्ट्रीकरण

[श्री दी० चं० शर्मा]

शक्ति, दंडदायिनी शक्ति, न्यायिक शक्ति और इस प्रकार की सभी दी गयी हैं। इस तरह उसे बहुमुखी देवता बना दिया गया है। इसलिए अनुरोध है कि इस नियंत्रक की सिविल न्यायालय सम्बन्धी शक्ति वापस ली जाये क्योंकि वह देश-हित में न्यायपूर्वक उन सिविल न्यायालय सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग न कर सकेगा। इसी प्रकार उसकी शक्तियों को न्यूनतम किया जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : My first complaint in regard to this Patent Bill is that we had not been able to make any headway in the field of inventions and scientific research and this has been one of our greatest weaknesses for the last 18 years. Hence we have to consider this Bill from three points of view–inventions, inventors and foreigners. Firstly I would like to say about foreigners point of view. We have become much more dependent on foreign firms. We have to pay as much as 10 to 15 per cent of the value of the production on account of patent rights to foreign firms. Therefore, we have to see whether this enactment would bring to end those procedures under which we have to send large sums to foreign countries. I want to say about patents for name and patents for process in order to make distinction between them.

Once I suggested to one millionaire industrialist, the manufacturers of bicycles, to name one type of bicycles as 'Hind' instead of 'India'.

About the patent rights for the process, I would like to say that we are far behind in the field of research. We have not so far discovered even the proces through which we could prepare 'Mishri' out of Sugar with long suffering the loss of about 10 per cent of Sugar while it has become possible in foreign countries.

In 1953 Solar cooker was inaugurated in India and a wide publicity was given to it, it was proposed to manufacture 5,000 such solar cookers every month. There must have been a patent for that so called cooker. But the cooker itself never came forth. I desire that in the rules there should be some provision for awarding punishment to those who are responsible for spending large sums on research and making such announcements regarding new discoveries which do not come forth later on.

The Government is spending Rs. 160 crores per annum on atomic research and Rs. 40 crores on general research work in the country will very little result coming out. Our Scientists fail to understand even simple matters in research. One of its main reason is that the Ministers under whose charge research laboratories are running have little knowledge of the Scientific matters and they take no pains in trying to understand them and guide the scientists. I want to emphasise that it is absolutely necessary that the entire question of research is given a fresh thought from a new angle. The world has gone much ahead in scientific research. There is a great defect in the Country that someone becomes controller, another one Minister or Chairman. I have come to know that the same person holds the office of both Chairman and Secretary in Atomic Energy Department. Thus the same person shoulders the responsibility of research work and administration both resulting in lack of proper supervision. Technical persons are not esteemed high in the administration. Only I.A.S. and administrative personnel are given much regard. This entire outlook should be changed. Unless the scientists do not renunciate their attachment with the traditional

knowledge and look ahead, they will not be able to make any inventions. Our administrative system is full of flattery and backbiting and it does not allow new inventions to be made. One scientist told me that promotion of a scientist depends on his high relations. The inventor should be given money but so far as possible he should be given a proper status with a view to stimulate research and inventions.

The rights and profits of foreign concerns should be limited and the price of things produced in India should be brought down. There should be no patent for a name but for a process only. Those concerns which try to bargain in that regard must not be given any lift. At present Russia appears to be more liberal in the matter of granting patents. It is hoped that the Americans would also be liberal in that regard as they used to be earlier.

Mr. Deputy Speaker : Now another item of business is to be taken up at 15 hrs. As such you may now finish your speech. Next time the Hon'ble Member may conclude his speech.

भारत का जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ANNUAL REPORT OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

"कि यह सभा भारत का जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों पर जो 18 फरवरी, 1965 को सभा-पटल पर रखे गये थ, विचार करती है।"

अपने विचार बताने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री की अनुपस्थिति पर, जिनका कर्तव्य इस वाद-विवाद का उत्तर देना है, घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। 5 सितम्बर, 1963 को इस सभा में जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर मैंने चर्चा आरम्भ की थी और यह पहला अवसर था कि सभा में पहली बार उन पर चर्चा की गई। इस बीच सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें बहुत ही जानकारी दी गई है। इस प्रतिवेदन में इस समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें दी गई हैं जिनपर आज इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए। ये 1963 में दिये गये मेरे निष्कर्षों तथा विचारों की पुष्टि करते हैं।

सर्वप्रथम हम उसके कार्य के परिमाण को लेते हैं। 1959 में निगम ने अपने कार्य की वृद्धि के लिये एक पंच वर्षीय योजना बनाई थी और 1000 करोड़ रुपये के कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया जो 1963 तक प्राप्त करना था। उस समय वित्त मंत्री ने बताया था कि इससे अधिक अच्छा कार्य भी हो सकता है। किन्तु दुर्भाग्य से लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तथा वित्त मंत्री का दावा भी पूरी तरह असत्य रहा। 1963-64 में यह लक्ष्य अवास्तविक मानकर शीघ्रता में त्याग दिया गया और 750 करोड़ रुपये का लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह टिप्पणी की है कि निगम अपने लक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर नहीं निर्धारित करता रहा है और यदि भारत में जीवन बीमा कार्य तथा राष्ट्रीय आय के अनुपात की तुलना दूसरे देशों के अनुपात से की जाये तो यह पता चलता है कि भारत में जीवन बीमा कार्य का विस्तार करने का बहुत विशाल क्षेत्र है। इसलिए किसी एक वर्ष का लक्ष्य निश्चित करते समय निगम

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

को पिछले काम को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए वरन् यह भी देखें कि लोगों की बचत में कितनी वृद्धि हुई है और उसका कितना भाग लक्ष्य होना चाहिए ।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिछले चार वर्षों में निगम ने अपने सामान्य से वार्षिक लक्ष्य भी व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं किये । यह निगम के वर्तमान संगठन में कार्य शक्ति कम होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य है । इससे यह स्पष्ट होता है कि निगम के अधीन जीवन बीमा कार्य ढीलाढाला हो गया है तथा रूक गया है । यदि एक ओर निगम के जीवन बीमा कार्य में मात्रा की कमी हुई है तो दूसरी ओर कार्य में गुणात्मक ह्रास हुआ है । जीवन बीमा निगम की सेवा का स्तर बहुत गिर गया है । पालिसियों के समाप्त होने (लेप्स) का अनुपात लगातार बढ़ने से यह बात स्पष्ट होती है । यदि गहराई से देखा जाये तो हर नई 2 पालिसियों 1 पालिसी समाप्त हो जाती है । जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है । वर्ष के अन्त पालिसियों का एकदम जोर बढ़ जाता है । 1963 में मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया ।

प्रीमियम दरों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने की अत्यधिक आवश्यकता की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जीवन बीमा निगम ने जिस समय प्रीमियम की दरें निर्धारित की थी तब से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी हुई है । परन्तु प्रशासन ने अभी तक प्रीमियम की दरों पर विचार नहीं किया है । बार-बार यही बताया जाता है कि उनके पुनरीक्षण के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायेगा । मैं नहीं जानता कि निगम के पास प्रीमियम की दरों का पुनरीक्षण न करने का क्या औचित्य है जबकि ये दरें 1925 तथा 1935 के बीच की गई जीवनांकिकीय खोजों के आधार पर निर्धारित की गई थीं। प्रीमियम की ऊंची तथा अनाकर्षक दरें ही इस देश में जीवन बीमा की असंतुलित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं । इन दरों के पुनरीक्षण करने के लिए केवल सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने ही सिफारिश नहीं की किन्तु प्राक्कलन समिति ने भी इसके लिए कहा है ।

क्या वेतन बचत योजना को फिर से चालू करने तथा इस योजना के अन्तर्गत अधिक प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर निगम ने विचार किया है इसके लिए भी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है ।

अब मैं संक्षेप में जीवन बीमा निगम के संगठन सम्बन्धी पहलू पर बताना चाहूंगा । यह आधारभूत बात है कि निगम को स्वायत्तता को संसद् के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । इस निगम की स्वायत्तता का यह मतलब नहीं है कि इससे सरकार को संरक्षण मिले । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यही हो रहा है । निगम निर्माण की युक्ति जो हमारी सारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, असफल कर दी गई है और स्वायत्तता के नाम पर कुछ सीमा तक इसका दुरुपयोग किया गया है । इन निगमों ने कई बार संसद् के प्राधिकार तथा गरिमा से दूर भागने का प्रयत्न किया है । जीवन बीमा निगम ने प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है ।

इस सम्बन्ध में निगम को सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के प्रश्न को भी मैं उठाना चाहता हूं । मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकारी निगमों को सरकार द्वारा संविधि के अन्तर्गत दिये गये निदेशों तथा अनुदेशों के बीच स्पष्ट भेद करना चाहिए और सरकारी निगमों तथा सरकार के सम्बन्धों का विनियमन करने वाले नियमों संहिताबद्ध करना चाहिए । इसके लिए भी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है । क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन संहिताबद्ध नियम सभा-पटल पर रखे जायें और उन पर चर्चा की जाये । निगम प्रणाली का उदय तथा विकास देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

माननीय मंत्री से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस सुझाव के बारे में क्या हुआ जिसमें इस विशालकाय तथा एकाश्मक निगम को 5 या 6 स्वतंत्र क्षेत्रीय निगमों में बांटने के लिए कहा गया था ।

जब जीवन बीमा कार्य का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तब भी श्री अशोक मेहता ने ऐसा ही सुझाव दिया था । उस समय हमें बताया गया था कि सरकार इस मामले के प्रति जागरूक है और इस पर उचित विचार किया जायेगा । बाद में वित्त मंत्री ने भी स्वयं इस सभा में कहा था कि आरम्भ में क्षेत्रीय संगठनों सहित केवल एक स्वायत्त निगम होना चाहिए और यदि पता चले कि उसका कार्य संतोषजनकरुप से नहीं चल रहा है तो उसे कई स्वायत्त निगमों में बांट दिया जायेगा । स्वर्गीय प्रधान मंत्री महोदय तथा सरकारी उपक्रमों के बारे में कृष्णमेनन समिति ने भी यही बात कही थी । निगम को बांट देने की इस सिफारिश पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने फिर से जोर दिया है और इसकी पुष्टि की है । क्योंकि इस मामले पर सरकार को अपनी नीति निर्धारित करनी है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बतायें कि इस बारे में सरकार की क्या योजना है ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

जीवन बीमा निगम की डिवीजनल कार्यालयों के समाप्त किये जाने की मांग के बारे में 1963 में हुए वाद-विवाद की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाता हूं । जहां तक इसके संगठन के अकार तथा रूप का सम्बन्ध है यह न तो केन्द्रीत और न ही विकेन्द्रित है ।

एक समय स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि डिवीजनल कार्यालय समाप्त कर दिये जाने चाहिये ।

मैं माननीय राज्य मंत्री से जानना चाहते हूं कि जीवन बीमा निगम की इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस मामले पर उसका क्या विचार है । क्या निगम ने इस प्रश्न पर विस्तार में विचार किया है ?

व्यय अनुपात को कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है । जीवन बीमा निगम का व्यय अनुपात संसार में सब से अधिक है । और जब तक इसको कम नहीं किया जायेगा निगम का व्यापार बढ़ नहीं सकता है ।

निगम ने एजेंटों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध में अभी तक विनियम नहीं बनाये हैं । बार बार समिति और विशेषज्ञों ने यह बताया है कि एजेंटों की सेवा की शर्तों को अधिक सुरक्षित नहीं किया जायेगा निगम का व्यापार बढ़ नहीं सकता ।

इस समय निगम में बेनामी एजेंट भी काम करते हैं । समिति ने सिफारिश की है कि बेनामी एजेंटों को शीघ्र अति शीघ्र समाप्त किया जाये और नये एजेंटों को उनकी भरती के समय अच्छी तरह जांचा जाये ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि निगम को स्थायी एजेंसी शक्ति बनानी चाहिये और इसके लिये पूर्णकालिक एजेंट होने चाहिये और उनको उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि निगम ने इस दिशा में बहुत कम काम किया है ।

अधिकारियों की सेवा की शर्तों में भी सुधार होना चाहिये ।

ऐसा सुनने में आता है और समिति के प्रतिवेदन से भी कुछ ऐसा पता लगता है कि जीवन बीमा निगम में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों को लाया जा रहा है । हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या पहले ही काफी गम्भीर है और अगर ऐसा किया गया तो निगम के प्रत्येक 30 कर्मचारियों में से 29 बेरोजगार हो जायेंगे । हमें इस प्रश्न पर मानवीय पहलू से विचार करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि निगम इस सम्बन्ध में अपने नैतिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा ।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

कई मामलों में बीमें के पैसों की अदायगी में बहुत देर की जाती है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सभापति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सांवैधानिक स्थिति क्या है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : सभापति महोदय, जब मैं अध्ययन दल के साथ कलकत्ता गया तो मने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से पूछा क्या कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा आप अपनी भविष्य निधि का प्रयोग कर सके ताकि जब कि आप सेवा में हो आपको अपने आड़े दिनों के लिये कुछ मिल सके। मुझे बताया गया कि कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि एक निश्चित दिन पर यदि कोई उपदान का उपबन्ध नहीं हो तो यह रकम मिल सके। मैंने पुछा परन्तु क्या इसको बीमा योजना के लिये काम में लेने दिया जाता है। उनमें से कुछ ने उत्तर दिया हम छोटी आय के वर्ग के लोग हैं और हमारे सामने आवास की सब से बड़ी समस्या है। जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि ने हमें बताया कि हम निगम से अब ऋण दे रहें हैं ताकि निम्न आय वाले कर्मचारियों के लिये आवास योजना को चालू किया जा सके। जीवन बीमा निगम ने यह एक बहुत अच्छा कार्य किया है।

अब निगम ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना व्यापार फैला रहा है और उसने डाकखानों को प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया है। डाकघरों के जरिये परिनियम इकट्ठा करने से लोगों को सुविधा रहती है इसलिये निगम को गाँवों में यही तरीका अपनाना चाहिये। कम आय वाले लोगों बीमे को प्रोत्साहन देने के लिये भविष्य निधि के साथ साथ बीमे को भी अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

डा० सिंघवी ने कहा कि व्यय अनुपात अधिक है। शायद इसको अभी तक इसलिये कम नहीं किया जा सका है कि इमारतों पर भारी पूंजीगत व्यय हुआ है। अनुपात व्यय 27.5 प्रतिशत है। हो सकता है अच्छे प्रशासनिक अनुभव से अनुपात को कम लाभ जा सके और अन्त में हम देखेंगे कि निगम उन लोगों की सेवा करेगा जो कुछ भी बचा नहीं सकते हैं।

Shri K. N. Tiwary (Baghar) : At present the L. I. C. is advancing loans for house building only in the cities and not in the urban areas. A similar scheme should be started for the villages also and loans advanced to the villagers for the construction of houses.

The L. I. C. should extend the Scheme of girls marriage insurance to the rural areas. This will enhance the business of the Corporation as also save the villagers from the usurious practices of the village money-lenders.

Under the Crop insurance scheme the insurance both of cash crop and cereal crop should be introduced. This will help stabilising the price in case of crop failure in certain cases as also bring more business to the Corporation.

At present the people are faced with great difficulty at the time of the settlement of their claims and they have to waste a lot of time and energy before the claims are settled. This is one of the reasons why people do not take much interest in insurance. In this regard the cultivators should be given the facilities similar to those given to the Armed forces and the services.

The farmers should be given facility for the insurance of his bullocks and tractors just as trucks are insured.

श्री प्रभात कार (हुगली) : सभापति महोदय, जीवन बीमा निगम के कार्य में कोई बुनियादि कमी है और यही कारण है जैसा कि आप देखते हैं आज विनियोजन समिति के सदस्य भी इस्तीफा दे रहे हैं; श्रेणी एक के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं ; श्रेणी दो के अधिकारी अथवा विकास अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी धमकी दे रहे हैं। पालीसी धारियों को ले लीजिये, उनकी अनेकों शिकायतें हैं। एजेंट जो निगम के व्यापार को बढ़ाते हैं बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि इसकी योजना ठीक से नहीं बनाई गई है और यदि बनाई भी गई है तो उसकी क्रियान्विति ठीक से नहीं हुई है।

जीवन बीमा निगम का 1000 करोड़ रु० का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यद्यपि राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, उसके अनुपात से जीवन बीमे का कार्य में वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि डा० सिंघवी ने बताया राष्ट्रीय आय का केवल 20 प्रतिशत जीवन बीमा की पालीसियों में जाता है।

व्यपगत अनुपात भी बढ़ रहा है और इसका कारण जैसा कि मैंने पहले बताया यह है कि विकास अधिकारियों का कोटा बहुत अधिक है। अपने कोटे को पुरा करने के लिये वें वर्ष के बिल्कुल अन्त में कुछ पालीसियां ले आते हैं और वें एक किस्त देने के बाद व्यपगत हो जाती हैं। इन सब बातों के लिये जीवन बीमा निगम के कार्य में सम्पूर्ण जांच की आवश्यकता है।

जैसा कि डा० सिंघवी ने बताया जब तक बेनामी एजेंसिओं को समाप्त नहीं किया जायगा और पूर्णकालिक एजेंटों को नहीं रखा जायेगा जीवन बीमा निगम के व्यापार में सुधार नहीं हो सकता है। कर्मचारियों के मकान के लिये लगभग 1 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। परन्तु निगम $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लेता है जो कि बहुत अधिक और इस कारण वह रकम ज्यों की त्यों पड़ी है और किसी भी कर्मचारी ने उससे फायदा नहीं उठाया है। स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये बिना ब्याज के ऋण देता है, रिज़र्व बैंक केवल 3 प्रतिशत ब्याज लेता है। आज कल जब कि मकानों की इतनी कमी है यह पैसा कम ब्याज पर भी दिया जा सकता है।

जीवन बीमा में इस समय सब से महत्वपूर्ण विषय इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटरों को लगाने का है। यह कहा गया है कि निगम ने दो कम्प्यूटर पद्धतियों को लगाने का निर्णय किया है और ये कम्प्यूटर अन्तमें वर्तमान मशीनों का स्थान ले लेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमें पता है ये कम्प्यूटर इस प्रकार के हैं कि ये बहुत तरह का काम कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं बच रहता है जो ये न कर सकें। इन के लाने से कर्मचारियों के लिये कोई काम नहीं बच पायेगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जीवन बीमा निगम एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। ऐसे समय में जब कि बेरोजगारी की समस्या बड़ी गम्भीर है इसको ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो देश के लिये हितकर हो। इन नई मशिनों को लाने से लगभग 30,000 कर्मचारी बेरोज़गार हो जायेंगे। जिस समय इस निगम को स्थापित किया गया हमें आशा थी कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने में इससे काफी सहायता मिलेगी। यदि मशिनों को ही आदमियों को स्थान लेना है तो मंत्रीयों के स्थान पर मशीनें लगा दीजिये।

निगम की विनियोजन नीति भी कोई ठीक नहीं है। निगम को चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन कम करके उसे सहकारी क्षेत्र में बढ़ाये न कि सरकारी क्षेत्र में कम कर के जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

श्री सेझियान (पेराम्बलूर) : पिछले 3 वर्षों से जीवन बीमा निगम का काम लगभग 700 करोड़ रु० पर ही पड़ा है। 1963 तक के लिये 1000 रु० का लक्ष्य रखा गया था।

[श्री सेझियान]

जबकि नया काम आना लगभग बन्द हो गया है व्यपगत अनुपात तथा व्यय अनुपात तेजी से बढ़ा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जा रही है—अब गणपूर्ति है ।

श्री सझियान : आरम्भ में नये काम पर अनुचित जोर दिया गया और इस काम की किस्म और इसको प्राप्त करने की लागत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यपगत अनुपात बढ़ गया है ।

1962-63 में 297 करोड़ रु० का व्यपगत हुआ, 1963-64 में 270 करोड़ रु० का और 1964-1965 में 292 करोड़ रु० का । 1958-59 और 1960 के आंकड़ों से पता चलता है कि एक वर्ष में किये गये कुल काम का एकतिहाई से भी अधिक अगले तीन वर्षों में व्यपगत हो गया । इससे पता चलता है कि एजेंटों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ।

1963-64 में व्यय अनुपात 12.46 था और 1964-65 में यह बढ़ कर 14.09 हो गया। इससे पता चलता है कि व्यय अनुपात प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ।

प्राक्कलन समिति ने मंत्रालय तथा निगम का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए है और कहा है कि व्यय अनपात को 8 या 9 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिये । जीवन बीमा के राष्ट्रीय करण से पूर्व 1955 में नवीकरण का व्यय अनुपात 9.1 प्रतिशत था । इसका कारण यह है कि निगम में अधिकारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । 1957 में श्रेणि एक के अधिकारियों की संख्या 903 थी और 1964 में यह बढ़ कर 2,751 हो गई । 1957 में विकास अधिकारियों की संख्या 5,960 थी जो बाद में बढ़ कर 5,960 हो गई । इसके विपरीत क्लर्कों की संख्या में केवल 96 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इन सब बातों की वजह से जीवन बीमा के कारोबार का बोनस केवल 16 रु० और 12.50 रु० रहा है । यह गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों के बोनस से काफी कम है ।

जीवन बीमा निगम इस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था कि इसके काम को गांव गांव में फैलाया जायेगा । परन्तु, अब हम देखते हैं कि शाखा कार्यालयों में काम बढ़ाने की बजाय केवल ऊंची जगह पर ही शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि सरकार जीवन बीमा निगम की त्रुटियों को दूर करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाये ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : यह प्रसन्नता की बात है कि आज हमें जीवन बीमा निगम पर चर्चा करने का अवसर मिला है । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सामान्य बीमा निगम को जीवन बीमा निगम के साथ मिलाया जाना चाहिए । किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार के लिये इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करने का उचित अवसर नहीं है । सामान्य बीमा का कार्य उसी प्रकार होते रहना चाहिए जिस प्रकार वह इस समय चल रहा है । किन्तु जहां तक जीवन बीमा के कारोबार का सम्बन्ध है इसमें बहुत कुछ किया जाना चाहिए ।

यदि जीवन बीमा निगम पालिसियों के सम्बन्ध में अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका तो इसका मुख्य कारण निगम का अपना कारबार शहरों में ही सीमित रखना है । निगम ने गावों में अपना कारबार नाम मात्र को भी नहीं बढ़ाया । चूंकि जीवन बीमा निगम एक ऐसी संस्था है जिसके वित्त पर सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सरकार इस धन का प्रयोग जनता की भलाई के लिये करे । इसके लिये यह आवश्यक है कि निगम का कार्य क्षेत्र गांवों तथा कोयला खानों तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम के धन का विनियोजन करने के बारे में सरकार की व्यापक नीति क्या है। चूंकि निगम के धन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, अतः सरकार यह बताये कि वह इस नीति में किस प्रकार सुधार करेगी ताकि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का और अधिक विकास किया जा सके।

माननीय सदस्य श्री प्रभात कार ने जीवन बीमा निगम मे काम करने वाले कर्मचारियों का उल्लेख किया था। अब भी बेनामी कारोबार बड़े व्यापक रूप से चल रहा है। इस से निगम तथा देश, दोनों की बदनामी होती है। अतः सरकार को बेनामी कारोबार को समाप्त करने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं यन्त्रों तथा इलैक्ट्रोनिक एककों का प्रयोग करके निगम के कार्यकरण में सुधार करने के पक्ष में हूं। किन्तु सरकार को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में पहले आश्वासन भी दिया था। प्रत्येक संस्थान में कार्य क्षमता में सुधार करने के लिये यन्त्रों आदि का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है।

यह सराहनीय बात है कि जीवन बीमा निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है किन्तु इस में अधिक सुधार करने की गुंजायश है। अतः निगम के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमें प्रतिरक्षा कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है। निगम इन क्षेत्रों में पूंजी लगा कर अपने कारोबार का काफी विस्तार हो सकता है। आशा है कि निगम तथा सरकार द्वारा इस दिशा में पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : सरकार जीवन बीमा निगम सम्बन्धी कानून में किसी प्रकार का बड़ा परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है अतः मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का कोई अधिक लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिये नहीं कहा फिर भी माननीय सदस्य अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करे। मंत्री महोदय को बोलने के लिये आधा घंटा चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अतः आज इस पर पूरे दिन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय परसों बोल सकते हैं क्योंकि कल इसके लिये समय नहीं मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसके लिये सहमत हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे वादविवाद का उत्तर देना है। अतः समय ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिये सुविधाजनक हो।

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह ही।

श्री शिंकरे : मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम की असफलता का वास्तविक कारण इसके प्रबन्ध को में व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की भावना का अभाव है। इस सम्बन्ध में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव का एक उदाहरण बताता हूं। गोवा में जीवन बीमा योजना लागू करने के बाद एक बीमा एजेन्ट ने मेरा बीमा किया। मेरी डाक्टरी करने के बाद सभी औपचारिक कार्यवाहियां पूरी की गई। बाद में मुझ से कहा गया कि तुम्हारा बीमा नहीं हो सकता क्योंकि आठ-दस वर्ष पहले मेरी एक साधारण शल्य-चिकित्सा हुई थी। यद्यपि यह एक साधारण बात थी। किन्तु मेरा बीमा नहीं किया गया। पहली

[श्री शिंकरे]

किश्त से डाक्टरी की फीस काटकर बाकी रकम का एक चैक मुझे लौटा दिया गया। आज निगम की यह दशा है। कोई भी कार्य में व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाता है। यदि निगम के प्रबन्धक इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से कार्य में रुचि लें तो इस का कोई कारण नहीं कि हमारे जैसे देश में बीमे के कारोबार का काफी विस्तार न किया जा सके। भारत में कम से कम पचास लाख व्यक्तियों का कम से कम 15-20 अरब रुपये की रकम का बीमा किया जाना चाहिए जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि यहां पर मुश्किल से केवल 16 लाख का बीमा होता है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं जिसमें हम में सभी बातों के बारे में आत्मतुष्टि की भावना घर कर गई है। हमें इस आत्मतुष्टि के दृष्टिकोण का परित्याग करना होगा।

अब समय आ गया है जब कि हमें सरकारी उपक्रमों के बारे में अपनी नीति की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करनी चाहिए। सरकार को प्रत्येक सरकारी उपक्रम में लगाई जानेवाली पूंजी पर न्यूनतम लाभ तथा उपक्रम द्वारा प्रतिवर्ष किये जानेवाले कारोबार के बारे में स्पष्ट रूप से गारंटी देनी चाहिए। इस से जनता का उनमें विश्वास बना रहेगा। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में सभी मूल तथा मुख्य उद्योगों का कोटे के अनुसार अथवा अनुपात के अनुसार वितरण किया जाना चाहिए। इससे उद्योगों में प्रतियोगिता की भावना बनी रहेगी जो कि अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

सरकारी उपक्रमों तथा गैर सरकारी उपक्रमों को एक समान समझा जाना चाहिए, सभी औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी कानून सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू किये जाने चाहिएं ताकि वे देश के लिये अच्छा कार्य कर सकें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अब समय आ गया है जब कि हमें इस बात का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए कि कुछ समय पूर्व पारित किये गये जीवन बीमा अधिनियम के अन्तर्गत किस प्रकार कार्य चल रहा है। अधिनियम बनने से पूर्व विधेयक पर चर्चा करते समय मैंने जिन बातों की आलोचना की थी वे इस समय हमारे सामने आ रही हैं।

आज एक ऐसी प्रणाली बढ़ती जा रही है कि ऐसे व्यक्तियों को बीमा एजेन्ट नियुक्त किया जाता है जो कुछ काम नहीं करते और दूसरों के आश्रित होते हैं। आज ऐसे एजेन्टों में सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों की संख्या अधिक है। सरकार को ऐसी प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस से अन्य लोगों को, जो अच्छा कार्य कर सकते हैं और जिनके जीवन निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं है, उनके हक से वंचित रखा जाता है। सरकार को इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए।

हाल में हमने एक कानून बनाया था जिसके अनुसार बीमा कारोबार से होने वाला कुल लाभ 5 प्रतिशत सरकार द्वारा कर सम्बन्धी कानून बनाये बिना ले लिया जाता है जबकि हमारे संविधान के अनुसार कर सम्बन्धी कानून बनाये बिना कोई भी कर नहीं लिया जा सकता। एक तो जीवन बीमा निगम प्रीमियम बढ़ाना चाहता है और दूसरी ओर बीमा किये गये व्यक्तियों के धन से होने वाले लाभ का 5 प्रतिशत सरकार ले लेती है। यह सभी बीमा करने वाले लोगों से अप्रत्यक्ष रूप में कर लेना है। सरकार को इस उपबन्ध पर पुनर्विचार करना चाहिये और बीमा किये गये लोगों को पांच प्रतिशत छूट के रूप में दिया जाना चाहिए।

चूंकि सरकार जीवन बीमा निगम को एकाधिकार के आधार पर चलाती है अतः उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निगम इस प्रकार कार्य करे कि उसे लाभ हो और उसका उद्देश्य बीमा कराने वाले व्यक्तियों की सेवा करना हो। हमें बीमा की प्रीमियमों का इस प्रकार समंजन किया जाना चाहिये ताकि बीमा कराने वाले आम लोगों को कम बोझ वहन करना पड़े। एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन की दर घटाई जानी चाहिए और उन्हीं लोगों को एजेन्ट नियुक्त किया जाना चाहिए जो वास्तव में

अच्छा कार्य करें। कमीशन, प्रीमियम की दरें घटाने तथा खर्च में कमी करने से बीमा कराने वाले लोगों को अधिक लाभ होगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, जीवन बीमा निगम से हमे जो आशायें थीं वे पूरी नहीं हुई। हमारे भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री देशमुख ने इस बात का आश्वासन दिया था कि जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किये जाने से सरकार के पास एकाधिकार हो जाने से उसके धन को अधिक उत्पादक साधनों में लगाया जायेगा। प्राक्कलन समिति 1961 से बार-बार इस बात पर जोर दे रही है कि निगम के कार्य की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए किन्तु यह खेद की बात है कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक निगम के संगठन का संबंध है इसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यह देश का एक ऊंचा संगठन है किन्तु इसके क्षेत्र कर्मचारियों को अत्यन्त बुरी दशा में रहना पड़ता है जब कि वे स्वयं पहल करके बहुत सराहनीय कार्य करते है। एक सरकारी उपक्रम के लिये अपने कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना खेद की बात है। निगम में प्रथम श्रेणी के बड़े अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। एक ओर तो बड़े अधिकारी मौज करते हैं और दूसरी ओर नीचे के कर्मचारियों की दशा दयनीय है। निगम को छोटे कर्मचारियों के साथ जिन पर वह निर्भर करता है, सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करना चाहिये और उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।

हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने जीवन बीमा निगम के ढांचे तथा कार्यकरण की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया था। निगम के प्रधान ने 29 नवम्बर, 1960 को प्राक्कलन समिति के प्रधान को बताया था कि यदि निगम प्रतिवर्ष 10 अरब रुपये से अधिक का नया कारोबार करने लगेगा तो इसे एक अथवा अधिक निकायों में बांटा जायेगा और यह लक्ष्य, 1963 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा थी। किन्तु न तो यह लक्ष्य ही पूरा हुआ और न ही भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन ही पूरे किये गये। बेनामी कारोबार जैसे पुराने कदाचार और त्रुटियां अब भी विद्यमान है। यह उचित समय है जब कि निगम के ढांचे और कार्यकरण की जांच पड़ताल करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति, जिसका कई बार वचन दिया गया था, नियुक्त की जानी चाहिए क्योंकि निगम के ढांचे और कार्यकरण में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

यह दु:ख की बात है कि भारत के जीवन बीमा व्यापार का अनुपात विश्व में सब कम है किन्तु अवधि पूरी होने से पहले समाप्त होने वाली पालिसियों का अनुपात सब से अधिक है। यह एक ऐसे निगम के लिये शोभा की बात नहीं है जिसे विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना था।

आज देश में मकानों की बहुत कमी है। बड़े-बड़े शहरों में नयी इमारतें नहीं बन रही हैं। देश अभी तक एक गंदी बस्ती सा बना हुआ है जब कि विश्व के अन्य देशों के बड़े नगरों में भव्य इमारतें बन रही हैं और नगर बहुत सुन्दर रूप धारण कर रहे है। अत: इस निगम से यह आशा की जाती है कि वह देश में अच्छे मकान तथा इमारते बनाने में सहायता दे।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम इस समय एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे है किन्तु इसके लिये बहुत कम समय दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार के विषयोंपर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये ताकि सदस्य विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, the Chairman of the Life Insurance Corporation has taken some steps to redress the grievances of the employees of the Corporation and he is expected to do some thing more in this direction. The Chairman of the corporation should appoint a pay commission as early as possible to make its recommendations regarding the dearness allowance, conditions of service, etc. of the employees, so as to bring them at par with others.

[Shri Madhu Limaye]

A scheme for compulsory insurance of our armed forces personnel should immediately be formulated by the corporation with the cooperation of the Ministry of Defence and the Ministry of Finance. If the Corporation is not in a position to bear the whole burden, the Government should be prepared to share it so that our armed forces personnel and their families might feel a sense of security.

The Salary Saving Scheme has been introduced in a number of States. But still there are States which have not introduced the scheme. It is also not clear whether the scheme is being implemented in Central Government departments also. Some immediate steps should be taken to introduce the scheme in all the departments of Government.

The question of age has become very complicated and it involves considerable difficulties. It should be seen that either policies are not issued or if they are issued, the details about the age are clearly stated. There must be clearcut about the matter.

The premium notices should be sent in regional languages and not in English alone because a large number of people are taking policies in villages. This would expedite the payment of premia. An incentive drive should be launched to give encouragement to the development officers, agents, etc. with a view to see that policies are not lapsed before it becomes mature.

The corporation is incurring a wasteful expenditure on several items. The houses allotted to the officers are being used by their relatives for some other purposes. It should be stopped immediately. Cases of several other irregularities in the Corporation have come to light which should be put to an end.

It is only the richer class which has taken advantage of the loan scheme of the Life Insurance scheme so far. It must be looked into so that others may also be benefited. The employees of the Corporation have the grievances that while some of them are getting bonus, others are not. Government should look into this matter in order to benefit all the employees of the Corporation.

Staff regulation 10-B should be reconsidered and it may it be amended accordingly.

श्री स० मो० बनर्जी : समय कम होने के कारण मैं केवल कुछ बातें कहूंगा। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि निगम में कम्प्यूटरों का प्रयोग करने से बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। यद्यपि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा, किन्तु कम्प्यूटरों का प्रयोग किये जाने से कर्मचारियों की छँटनी किया जाना अनिवार्य है। इसका पूरी तरह से विरोध करने के लिये अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने अगले महीने इसके विरुद्ध एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है। निगम में इस प्रकार यंत्रीकरण से कोई भी कदम सफल नहीं हो सकता जिसके द्वारा निगम अपने कारोबार के क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना चाहता है।

निगम मकान बनाने पर बहुत खर्च कर रहा है। किन्तु उसने अपने 503 तृतीय श्रेणी के तथा 108 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान दिये हैं जब कि इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 38,000 है। यह निगम के लिये लज्जा की बात है। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि निगम के कर्मचारियों के लिये मकान क्यों नहीं बनाये गये।

यह आश्चर्य की बात है कि कानपुर के एक उद्योगपति से, जो कि इस सभा के सदस्य रह चुके हैं, अभी तक 23 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल नहीं की गई है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त व्यापारी को कर में 32 हजार रुपये की छूट दी गई है।

मैं मंत्री महोदय को फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निगम में इस प्रकार यंत्रों के प्रयोग का पूरी तरह विरोध किया जायेगा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION ARISING OUT OF THE STRIKE BY THE STUDENTS OF THE BANARAS HINDU UNIVERSITY

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 17 नवम्बर, 1965 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन के विरोध में हड़ताल कर दी। बनारस के कुछ नागरिक और विद्यार्थी विश्वविद्यालय के नाम से 'हिंन्दू' शब्द हटाये जाने के विरुद्ध थे।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने 17 नवम्बर को कैम्पस में एक बैठक की और बाहर की संस्थाओं के कुछ विद्यार्थियों ने भी अन्दर आने का प्रयत्न किया, परन्तु विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें अन्दर नहीं आने दिया। उसके पश्चात्, काशी विद्यापीठ, हरिश्चन्द्र कालेज और विश्वविद्यालय से विद्यार्थी एक जलूस में शहर गये और वहां एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को समाप्त करने के लिये जोशीले भाषण दिये गये।

उसी दिन 5 और 8 बजे के बीच भारतीय जन संघ और हिन्दू महा सभा ने टाउन हाल में एक सार्वजनिक सभा की। इस सभा में 10,000 व्यक्ति थे।

इस घटना की सूचना पाकर मैंने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य दिया और सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया और विद्यार्थियों से अपील की कि वे हड़ताल तोड़ दें। मैंने उन्हें बताया कि विधेयक अभी कानून नहीं बना है और लोक सभा विद्यार्थियों की भावनाओं को ध्यान में रखेगी।

17 नवम्बर की रात को उपकुलपति ने विद्यार्थियों की एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष को मेरे वक्तव्य के बारे में बताया और उनसे अपील की वे हड़ताल तोड़ दें। उन्होंने विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि वे अगर चाहें तो मुझे और लोक सभा के सदस्यों से मिल सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 18 नवम्बर, '65 को 1,000 विद्यार्थी एक जलूस में विश्वविद्यालय के सेंट्रल कार्यालय में गये और उपकुलपति से मिले और एसोसिएशन के सचिव ने उन्हें बताया कि विद्यार्थी तब तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जायेगा।

19 नवम्बर को विश्वविद्यालय से चार विद्यार्थियों का एक शिष्टमंडल मुझे मिला। और मुझसे अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय के नाम में हिन्दू शब्द रहने दिया जाये। मैंने उनको बताया कि वे हड़ताल तोड़ दें और विश्वविद्यालय के नाम पर धब्बा न लगायें। मैंने उनको बताया कि लोक तंत्रात्मक राज्य में संसद् सर्वोच्च है और इसे कोई विशेष कार्य करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 20 नवम्बर से बैठकें और प्रदर्शन करते रहे और इस कार्य में पटना, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ के विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। जब राष्ट्रपति वाराणासी गये तो विद्यार्थियों ने उन्हें एक ज्ञापन पत्र दिया। लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने संस्कृत विश्वविद्यालय

[श्री मु० क० चागला]

के सामने प्रदर्शन किया। बाद में विद्यार्थी संघों के अध्यक्ष नादेसर पैलेस गये और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र दिया। 21 नवम्बर की शाम को विद्यार्थियों ने राज्य सभा के सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया।

कल लगभग 1,000 विद्यार्थियों ने एक जलूस निकाला और विश्वविद्यालय ने गेट पर कब्जा कर लिया। मुख्य प्राक्टर को कार्यालय बन्द करके वहां से जाना पड़ा। विद्यार्थियों ने गेट पर यातायात का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। शाम को आठ बजे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मुख्य प्राक्टर के कार्यालय पर पुनः कब्जा कर लिया। विद्यार्थी अब काले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल गेट पर भी काले झंडे लगा दिये है।

कल उपकुलपति ने विद्यार्थियों से अन्तिम अपील की और उनसे कहा कि वे सांविधानिक ढंग से व्यवहार करें। अब स्थिति कुछ शांत है सिवाये इसके कि विद्यार्थियों का अब भी गेट पर कब्ज़ा है।

मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने विश्वविद्यालय के नाम के प्रश्न के बारे में कोई रवैया नहीं अपनाया है और वह उसे संसद् के स्वतन्त्र निर्णय के लिये छोड़ देगी। मुझे कोई सन्देह नहीं कि इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले संसद् सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

श्री हेम बरुआ : मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय : आप सब के नाम हैं। परन्तु मैं सभा से पूछना चाहता हूं यदि संसद् के किसी निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई आन्दोलन अथवा प्रदर्शन होता है और दूसरी सभा में अभी इस पर विचार होना है तो क्या उस समय इस पर चर्चा करना और प्रश्न पूछना उचित होगा, जिसका सारे प्रश्न पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस पर शीघ्र विचार होना चाहिये इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर कल विचार करेंगे। यद्यपि हमें देश में सभी लोगों की राय को ध्यान में रखना चाहिये, फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय संसद् ही लेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। यह वांछनीय नहीं है। इससे आन्दोलन करने वालों को प्रोत्साहन मिल सकता है। मैं इस पर और प्रश्नों की इज़ाजत नहीं दे सकता। अब सभा कल के ग्यारह बजे तक स्थगित है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 24 नवम्बर, 1965/3 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 24, 1965/Agrahayana 3, 1887 (Saka).

GIPN—S5—4 Lok Sabha/65—14-9-66—600